महानगर नई दिल्ली बुधवार 1 जनवरी, 2020, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

केरल विस में सीएए विरोधी प्रस्ताव पारित

तिरुवनंतपुरम, 31 दिसंबर (भाषा)।

राज्य में सत्तारुढ़ माकपा नीत एलडीएफ और विपक्षी कांग्रेस नीत यूडीएफ ने सीएए के खिलाफ पेश प्रस्ताव का समर्थन किया, वहीं, भाजपा के एकमात्र विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ओ राजगोपाल ने इसका विरोध किया। यह विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र था। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पेश किया था।

विशेष एक दिवसीय सत्र में प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पेश किया

इससे पहले प्रस्ताव पेश करते हुए विजयन ने कहा कि सीएए धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के तानेबाने के खिलाफ है तथा इसमें नागरिकता देने में धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। उन्होंने कहा, 'यह कानून संविधान के आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों के विरोधाभासी है।' विजयन ने कहा, 'देश के लोगों के बीच चिंता को देखते हुए केंद्र को सीएए को वापस लेने के कदम उठाने चाहिए और संविधान के धर्मनिरपेक्ष नजरिए को बरकरार रखना चाहिए।' विजयन ने विधानसभा को यह भी आश्वासन दिया कि इस दक्षिणी राज्य में कोई निरोध केंद्र नहीं खोला जाएगा।

सत्र शुरू होते हुए विधानसभा में भाजपा के इकलौते विधायक ओ राजगोपाल ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह गैरकानूनी है क्योंकि संसद के दोनों सदनों ने सीएए कानून को पारित कर दिया है।

विधानसभाओं के पास सीएए पर कोई शक्ति नहीं : रविशंकर

तिरुवनंतपुरम, 31 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता पर कोई कानून पारित करने की शक्तियां सिर्फ संसद के पास है और केरल विधानसभा सहित किसी राज्य विधानसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम रद्द करने की मांग करने वाला एक प्रस्ताव केरल विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद उनका यह बयान आया है। बाकी पेज 8 पर

बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर मोबाइल सेवा पर लगाई रोक

ढाका, 31 दिसंबर (भाषा)।

बांग्लादेश सरकार ने भारत के साथ लगे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मौजूदा परिस्थितियों में मोबाइल नेटवर्क पर अस्थायी रोक लगा दी है। खबरों के अनुसार इस कदम से क्षेत्र में करीब एक करोड़ लोग प्रभावित होंगे। बाकी पेज 8 पर

जनरल रावत और जनरल नरवणे ने संभाला कामकाज

'सीमा पर हर चुनौती से निपटने को सेना तैयार'

"सेना पाक और चीन से लगी सीमा पर बेहतर तरीके से चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुई है।'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

थल सेना प्रमुख के पद से विदा होने के कुछ घंटे पहले जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान, चीन से लगी भारत की सीमा पर पैदा होने वाली किसी बाकी पेज 8 पर

जनरल नरवणे कामकाज संभालने के बाद जनरल रावत से हाथ मिलाते हुए

'पाक आतंकी अड्डे बंद करे, वर्ना हमले का अधिकार'

"पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के किसी भी कृत्य का जवाब देने के लिए कई सारे विकल्प हैं।'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मंगलवार को भारत के 28वें सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। वह 13 लाख सैनिकों वाले बल का नेतृत्व करेंगे। कार्यभार संभालते बाकी पेज 8 पर

कश्मीर में नए साल में एसएमएस सेवा बहाल

जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में ब्रॉडबैंड सेवाएं भी शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से पूरे कश्मीर में सेवाएं पूरी तरह बहाल करने का फैसला लिया गया है।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

नए साल के साथ ही कश्मीर घाटी में करीब पांच महीने से बंद मोबाइल एसएमएस सेवा आधी रात से बहाल कर दी गई है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में ब्रॉडबैंड सेवाएं भी शुरू की गई हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने इस बात की जानकारी दी। इससे पहले छात्रों, छात्रवृत्ति आवेदकों, कारोबारियों और अन्य की सुविधा के लिए दस दिसंबर को मोबाइल फोन पर एसएमएस सेवा शुरू की गई थी। कंसल ने कहा कि 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से पूरे कश्मीर में सेवाएं पूरी तरह बहाल करने का फैसला लिया गया है।

सरकार ने कुल 149 दिन तक एसएमएस सेवाओं पर प्रतिबंध रखा

कंसल ने कहा, 'एसएमएस सेवाएं व अस्पतालों में इंटरनेट को 31 दिसंबर की आधी रात से शुरू किया जा रहा है। हालात सामान्य करने के सरकार के प्रयासों का यह नतीजा है।' उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर रोक के कारण अस्पतालों में बीमारों की तीमारदारी प्रभावित हो रही थी। बाकी पेज 8 पर

आतंकी संगठनों में जाने वाले युवकों की तादाद घटी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने मंगलवार को कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश में 2019 में 160 आतंकवादी मारे गए और 102 को गिरफ्तार किया गया। आतंकवादी संगठनों में शामिल होने वाले स्थानीय युवाओं की संख्या में कमी आई है।

उन्होंने कहा, '2018 में इस तरह के 218 (स्थानीय) युवक आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए थे, लेकिन 2019 में केवल 139 शामिल हुए है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी घटनाओं में 30 फीसद की कमी आई है और पिछले वर्ष की तुलना में कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं में 36 फीसद की गिरावट आई है। डीजीपी ने कहा, 'इस वर्ष इस तरह (कानून एवं व्यवस्था) की केवल 481 घटनाएं हुई है जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 625 थी।'

जम्मू कश्मीर में पथकर चौकियां खत्म

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू-पठानकोट राजमार्ग पर लखनपुर सहित सभी पथकर चौकियों को समाप्त करने की मंगलवार को घोषणा की।

यह फैसला नव वर्ष एक जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा। इससे राज्य को सालना 1,500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। इस फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया है जबकि उद्यमियों ने इसे 'राज्य में औद्योगिक क्षेत्र की बाकी पेज 8 पर

दिल्ली सहित उत्तर भारत में शीतलहर जारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में शीतलहर व हाड़ कंपा देने वाली ठंड का कहर मंगलवार को भी जारी रहा। राजधानी में सुबह का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सोमवार की सुबह से दो डिग्री अधिक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में बुधवार से बर्फबारी की आशंका जताई है। यूपी में कानपुर का तापमान दिन की शुरुआत में शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया
कानपुर में पारा शून्य पर पहुंचा
कश्मीर घाटी में बुधवार को हो सकती है बर्फबारी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण कम से कम 34 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से दो डिग्री नीचे है। पालम में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में यह 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में सोमवार को अधितम तापामन लुढ़ककर 9.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था।

दिल्ली के लिए 1901 के बाद दूसरा सबसे अधिक ठंड वाला बाकी पेज 8 पर

बढ़ा रेल किराया आज से लागू

यात्री ट्रेनों में एक से चार पैसे प्रतिकिमी की बढ़ोतरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

नए साल में रेल सफर करने वाले यात्रियों को अधिक किराया देना होगा। बुधवार से भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेन के लिए एक पैसे से चार पैसे प्रतिकिलोमीटर तक किराया बढ़ाने की घोषणा की है। अब वातानुकूलित श्रेणी से सफर करने वाले यात्रियों को अधिक पैसा खर्च करना होगा। रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपण्ण शैली श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया है। आदेशों के मुताबिक उपनगरों को जोड़ने वाली रेल के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उप नगरों के एकल टिकट व अन्य टिकट की दरों में कोई इजाफा नहीं होगा।

उपनगरों को जोड़ने वाली रेल के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं

ताजा आदेश एक जनवरी 2020 से ही मान्य

आदेशों के मुताबिक सामान्य गैर वातानुकूलित ट्रेन में सभी श्रेणी में एक पैसे प्रतिकिलोमीटर की दर से इजाफा लागू होगा। इसमें द्वितीय श्रेणी बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस विधायक के समर्थकों ने कार्यालय में की तोड़फोड़

पुणे, 31 दिसंबर (भाषा)।

भोर के कांग्रेस के विधायक संग्राम थोप्टे के समर्थकों ने उन्हें महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने को लेकर मंगलवार को यहां पार्टी कार्यालय पर हमला किया।

संग्राम थोप्टे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने को लेकर नाराज हुए समर्थक

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को 36 मंत्रियों को शामिल कर महीने भर पुराने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। मंत्रिमंडल में अब 43 सदस्य हो गए हैं। पुलिस ने यहां बाकी पेज 8 पर

पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर कदम

102 लाख करोड़ की परियोजनाओं की पहचान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

आर्थिक सुस्ती को दूर करने और देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने 102 लाख करोड़ रुपए की ढांचागत परियोजनाओं की पहचान की है। जिनपर अगले पांच साल के दौरान अमल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं में 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करने के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि इसके बाद चार माह की अल्पावधि बाकी पेज 8 पर

खर्च में कटौती की कवायद शुरू की सरकार ने

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

सरकार की राजस्व प्राप्ति में कमी को लेकर चिंता अब दिखने लगी है। उसने चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान सरकारी खर्च में कटौती के उपाय शुरू कर दिए हैं। इसके तहत बाकी पेज 8 पर

बुनियादी उद्योगों का उत्पादन नवंबर में गिरा 1.5 फीसद

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

खनिज ईंधन, बिजली और इस्पात जैसे क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट के चलते बुनियादी क्षेत्र के आठ उद्योगों का उत्पादन नवंबर महीने में एक साल पहले के मुकाबले 1.5 फीसद कम रहा। यह लगातार चौथा महीना है जब बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में संकुचन आया है।

मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन आठ में से पांच बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में बड़ी गिरावट से नवंबर में इनमें कुल मिला कर संकुचन हुआ। नवंबर 2018 में आठ उद्योगों के उत्पादन में 3.3 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई थी।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन

लगातार चौथा महीना उद्योगों के उत्पादन में संकुचन आया

महीने (नवंबर-2019) में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इस्पात और बिजली के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। सीमेंट उद्योग की वृद्धि दर घटकर नवंबर, 19 में 4.1 फीसद पर आ गई, बाकी पेज 8 पर

पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के नतीजों में भोपाल दूसरे स्थान पर रहा | **स्वच्छता सर्वेक्षण 2020** | दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजों में राजकोट दूसरे स्थान पर रहा

सफाई के सालाना मुकाबले में इंदौर फिर आगे

इंदौर, 31 दिसंबर (भाषा)।

लगातार तीन बार देश के सबसे साफ-सुथरे शहर का खिताब हासिल करने वाले इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 शुरू होने से ऐन पहले सफाई के इस सालाना मुकाबले में बढ़त बना ली है। आगामी चार जनवरी से शुरू होने जा रहे इस सर्वेक्षण की दो आरंभिक रैंकिंग में मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा शहर देश भर में अव्वल रहा है। इन नतीजों के बाद इंदौर की महापौर ने शहरवासियों को बधाई दी है।

आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दो स्वच्छ सर्वेक्षण लीगों (अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर) के ये तिमाही आधारित नतीजे मंगलवार को नई दिल्ली में घोषित किए। पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के नतीजों में भोपाल दूसरे स्थान पर रहा जबकि दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजों में राजकोट ने दूसरा स्थान हासिल किया। पहली तिमाही में सूरत को और दूसरी तिमाही में नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला।

इंदौर की महापौर मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ ने ट्वीट किया, 'अब मुख्य परीक्षा की घड़ी आने वाली है। आगामी चार से 31 जनवरी तक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 चलेगा। हमें इस सर्वेक्षण में भी प्रथम आना है और स्वच्छता का चौका लगाना है।'

आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दो स्वच्छ सर्वेक्षण लीगों (अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर) के ये तिमाही आधारित नतीजे मंगलवार को नई दिल्ली में घोषित किए।

नतीजों से उत्साहित इंदौर की महापौर मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ ने ट्विटर पर शहरवासियों को बधाई देते हुए कहा, 'अब मुख्य परीक्षा की घड़ी आने वाली है। आगामी चार से 31 जनवरी तक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 चलेगा। हमें इस सर्वेक्षण में भी प्रथम आना है और स्वच्छता का चौका लगाना है। 'स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020' की तिमाही रैंकिंग से पता चलता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साफ-सफाई की दौड़ में पिछड़ गई है। इस लीग की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) रैंकिंग में भोपाल 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर के बाद दूसरे स्थान पर था। लेकिन इस श्रेणी के शहरों की दूसरी तिमाही रैंकिंग (जुलाई से सितंबर) में भोपाल तीन पायदान नीचे खिसककर पांचवें स्थान पर आ गया।

'स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020' की पहली और दूसरी तिमाही रैंकिंग में एक से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मध्य प्रदेश का खरगोन शीर्ष तीसरे स्थान पर बना हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इस लीग के तीसरे चरण (अक्तूबर से दिसंबर) के नतीजे आने बाकी हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग हासिल करने के लिए प्रतिभागी शहरों को इसकी तीनों लीगों में भी उम्दा प्रदर्शन करना जरूरी है जिनके जरिये साफ-सफाई की स्थिति को अलग-अलग पैमानों पर लगातार आंका जाता है।

स्वास्थ्य सचिव का दावा, बच्चों के इलाज में नहीं बरती लापरवाही

–जयपुर, 31 दिसंबर (भाषा)।

राजस्थान में कोटा के एक अस्पताल में मासूमों की मौत की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मासूमों के उपचार में कोई कोताही नहीं बरती गई। गौरतलब है कि कोटा के जेके लोन अस्पताल में 23–24 दिसंबर को दस मासूमों की मौत हो गई थी।

तीन सदस्यीय जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अस्पताल अपनी क्षमता से 150 फीसद अधिक पर काम कर रहा है और अस्पताल में बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए और सुधार की आवश्यकता है। राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार 10 में से आठ बच्चों को गंभीर हालत में अन्य अस्पतालों से यहां भेजा गया था, जबकि दो बच्चों का जन्म अस्पताल में ही हुआ था।

उन्होंने बताया कि सभी को उचित उपचार दिया गया था। कमेटी ने मेडिकल रिकार्ड की जांच की और पाया कि जिनको वेंटीलेटर पर रखने की जरूरत थी, उन्हें उचित उपचार दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिन 10 मासूमों की मौत हुई है, वे समय से पहले जन्म के कारण अधिक जोखिम में थे।

गालरिया ने कहा, 'समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अस्पताल अपनी क्षमता से 150 फीसद अधिक काम कर रहा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या की तुलना में बिस्तर कम हैं। इसी तरह की स्थिति आइसीयू में भी है। बिस्तर की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।' उन्होंने कहा कि मासिक आधार पर अस्पताल में फैले संक्रमण के नमूने लेने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले, ये नमूने तीन माह में एक बार लिए जा रहे थे। वहीं, आइसीयू और एनआइसीयू में आक्सीजन की आपूर्ति सिलेंडर के बजाय पाइपलाइन के जरिये करने के निर्देश भी दिए गए है। सचिव ने कहा कि अस्पताल अधीक्षक को उनके पद से हटा दिया गया है क्योंकि अस्पताल में बहुत से यंत्र वार्षिक सुधार प्रक्रिया नहीं होने के कारण बेकार पड़े हुए थे। राज्य सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच दल में डॉक्टर अमरजीत मेहता, डॉ रामबाबू शर्मा और डॉ सुनील भटनागर शामिल थे।

राजस्थान : अस्पताल में मासूमों की मौत का मामला

सरकार उठाए जरूरी कदम : हर्षवर्धन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख कोटा मेडिकल कॉलेज के जेके लोन अस्पताल में हुईं शिशुओं की मौतों को रोकने को कदम उठाने के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में भारत सरकार की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है।

पत्र में लिखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति–2017 के प्रकाश में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्राथमिकता बच्चों के अस्तित्व और विकास के सुधार है। चार सालों में राजस्थान में शिशु मृत्युदर कम हुई है। हालांकि राजस्थान में यह दर 38 प्रति हजार है जो राष्ट्रीय दर 33 प्रति हजार से अधिक है। पत्र में लिखा गया है कि मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि कोटा मेडिकल कॉलेज के जेके लोन अस्पताल में 77 शिशुओं की मौत हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विकसित किए गए स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के मुताबिक 2019 में शिशु मृत्यु दर 20.2 फीसद रही है जो 2018 में 14.3 फीसद और 2017 में 4.3 फीसद थी। यह भी प्रकाश में आया है कि जेके लोन अस्पताल में 70 फीसद रेडियंट वार्मर काम नहीं कर रहे हैं और बिस्तर–नर्स अनुपात भी 13–1 का है जो 4–1 का होना चाहिए। मंत्रालय की ओर से लिखा गया है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान सरकार से इन रोके जा सकने वाली मृत्युओं को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है।

झारखंड : स्टीफेन मरांडी बने अस्थायी विधानसभाध्यक्ष

रांची, 31 दिसंबर (भाषा)।

स्टीफेन मरांडी को झारखंड की पांचवीं विधानसभा का अस्थायी विधानसभाध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) बनाया गया है और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को एक सादे समारोह में राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई।

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक मरांडी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी डॉ रामेश्वर उरांव एवं सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। हेमंत के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन एवं अन्य नेता तथा अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।

मरांडी नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद सात जनवरी को नये विधानसभाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। राज्य विधानसभा का प्रथम सत्र छह से आठ जनवरी तक आयोजित होगा, जिसमें सात जनवरी को दिन में साढ़े ग्यारह बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। नई सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 29 दिसंबर को इस आशय का निर्णय लिया गया था।

मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार सत्र के प्रथम दिन छह जनवरी को 81 सदस्यीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी जबकि दूसरे दिन सात जनवरी को नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। उसके बाद 11.30 बजे पूर्वाह्न में विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सात जनवरी को ही वित्तीय वर्ष 2019–2020 का द्वितीय अनुपूरक व्यय ब्यौरा पेश किया जाएगा।

सीआरपीएफ के महानिदेशक सेवानिवृत्त, आइटीबीपी प्रमुख को अतिरिक्त प्रभार

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक आर आर भटनागर मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। फिलहाल देश के सबसे बड़े अर्धसैन्य बल सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभार आईटीबीपी के महानिदेशक एस एस देसवाल को सौंपा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 1984 बैच के हरियाणा कैडर के आइपीएस अधिकारी देसवाल नियुक्ति होने और नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार संभाले जाने या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, सीआरपीएफ का प्रभार संभालेंगे।

1983 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भटनागर ढाई साल से ज्यादा समय तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कमान संभालने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वे अप्रैल 2017 में सीआरपीएफ के महानिदेशक (डीजी) नियुक्त किए गए थे। उन्होंने गुरुग्राम में सीआरपीएफ के बेस में मंगलवार सुबह रस्मी विदाई परेड का निरीक्षण किया और औपचारिक रूप से यहां लोधी रोड में स्थित मुख्यालय से विदा होंगे। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के पूर्णकालिक प्रमुख की घोषणा सरकार अगले सप्ताह कर सकती है। सीआरपीएफ 3.25 लाख से ज्यादा कर्मियों के साथ भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है। देश में आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और नक्सल रोधी अभियानों में बल के कर्मियों को तैनात किया जाता है ।

लोकपाल के पास शिकायत करने का प्रारूप जल्द होगा अधिसूचित : केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिह ने मंगलवार को कहा कि भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के पास शिकायत दायर करने के लिए एक प्रारूप (फॉर्मेट) जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक निर्दिष्ट फॉर्म में शिकायत दायर की जाएगी।

इस प्रारूप को अधिसूचित करने के संभावित समय के बारे में पूछे जाने पर कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा, 'यह जल्द ही होगा।' कार्मिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने और अधिक विवरण देते हुए बताया कि इसने (मंत्रालय ने) शिकायत प्रारूप पर कानून मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया है।

अधिकारी ने कहा, 'हमने कानून मंत्रालय से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की हैं। मंत्रालय के अंदर कुछ चर्चा चल रही है और प्रारूप जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।' इस बीच, लोकपाल ने किसी भी प्रारूप में प्राप्त हुई सभी शिकायतों की पड़ताल की है। ताजा अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2019 तक कुल 1065 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 1000 की सुनवाई की गई और उनका निपटारा किया गया। लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने वाली शीर्ष संस्था है। यह केंद्र सरकार के पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की समयबद्ध जांच करता है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई थी। लोकपाल के आठ सदस्यों को 27 मार्च को न्यायमूर्ति घोष ने उनके पद की शपथ दिलाई थी। नियमों के मुताबिक लोकपाल पैनल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्यों का प्रावधान है। इनमें से चार सदस्य न्यायिक सदस्य होंगे।

लोकपाल अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। यह कुछ खास श्रेणी के सरकारी सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है।

पोस्टमार्टम के लिए तीन किमी पैदल ले जाना पड़ा शव

राज्य मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी

कोच्चि, 31 दिसंबर (भाषा)।

केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से उस घटना पर रिपोर्ट मांगी है जिसमें कुछ आदिवासियों को एर्नाकुलम जिले में जंगलों के रास्ते करीब तीन किलोमीटर चलकर एक व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ा था। आदिवासियों को अपने गांव में सड़कों की खस्ताहालत के चलते ऐसा करना पड़ा था।

आयोग ने मीडिया में आई खबरों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एंटनी डोमिनिक ने मुख्य सचिव और एर्नाकुलम जिला कलेक्टर को तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। दरअसल बीते सप्ताह एर्नाकुलम जिले में कुंजीप्पाड़ा आदिवासी कॉलोनी में सोमन (37) नामक व्यक्ति ने कथित रूप से अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस जांच के बाद उसके शव को कथित रूप से चटाई में लपेटकर कंधों पर डालकर नजदीकी सड़क पर ले जाया गया। इसके बाद वे एक नदी पार कर शव को एक जीप में रखकर मुख्य सड़क पर ले गए। बाद में शव को एंबुलेंस में रखकर पोस्टमार्टम के लिये कोथामंगलम तालुक अस्पताल ले जाया गया।

यूजीसी–नेट का परिणाम जारी

60 हजार से अधिक उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य घोषित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने मंगलवार को यूजीसी–नेट का परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था जिसमें से करीब आठ लाख ने परीक्षा दी थी। इनमें से 60 हजार से अधिक उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पांच हजार से अधिक जेआरएफ के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। उम्मीदवार को जल्द ही प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। यूजीसी–नेट का आयोजन दो से छह दिसंबर 2019 के बीच 10 पालियों में हुआ था। 81 विषयों में आयोजित हुई इस परीक्षा के लिए 219 शहरों में 700 केंद्र स्थापित किए गए थे। इन केंद्रों पर नकल को रोकने के लिए 1450 सीसीटीवी कैमरे, 3100 से अधिक मोबाइल जैमर किए गए थे। परीक्षा को सही तरह से संपन्न कराने के लिए 19 क्षेत्रीय संयोजक, 200 शहर संयोजक और 600 पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई थी।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

Kakoo Devi W/o Sh. Ram Badan R/o C-150, Block-C, Yadav Nagar, Delhi presently at J-636, Gali No.1 1/2, Swaroop Nagar, Delhi-110042, do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced ISLAM and renounced HINDU Religion with effect from 06.06.1998. 0040526072-7

It is for general information that I, Saurabh Kanojia R/o-F-13/9 Krishna Nagar Delhi-51, inform that name of mine is written as Saurabh in my Educational Documents. The actual name of mine is Saurabh Kanojia which may be amended accordingly. 0040526044-1

I,Shabana Parveen W/o.Sh.Mohd.Khalid R/o.13 Type-IV Quarters Sch.B President-Estate Rashtrapati-Bhawan New Delhi-110004, have changed my name to Shabana Khalid permanently. 0040526046-2

I,No.14651836N (NK)SK LAL SK MIYA,unit 310FD, WKSP-COY-EME(7017 EME BN)resident of Dusarbid,Tehsil-Sindkhed Raja,Distt-Buldana, Maharashtra,declares that name of my minor son has been recorded wrongly,as SHAIKH KAMRAN in my service document record part-II order.Whereas,Correct name is SHAIKH KAMRAN SHAIKH LAL,amended accordingly,vide:affidavit-No.IN-DL03329678649944R dated:31.12.2019,before:-Ram Kishore Singh,Regd.No-2548,New Delhi. 040526003-2

I,Azaz Hussain Ansari S/o-Late.Maqbool Hasan,R/o-House.No.R-12,First Floor,Near Hari Masjid,Joga Bai Extn.,Jamia Nagar,New Delhi-110025,have changed my name to Ajaz Hussain Ansari for all,future purposes. 0040526039-2

I, Suresh Kumar S/o Inderjeet R/o Rz-D1/163, Galino.7, Mahavir Enclave, Palam, Delhi-110045. Changed My Name To Suresh Dutta. 0040526046-5

I, Sundram Chandra Shekhar S/O-Sundram Ganpathi R/O-A-106, Katayayani-Apartment, Plot.No-8, Sector-6, Dwarka, 110075. Have Changed My Name To Sundaram Chandra Shekhar. 0040526046-7

I, Sumit Malhotra R/O Pocket-L-325, Sarita Vihar New Delhi-110076, Changed My Minor Child Name Simrun Sumitbhai Malhotra To Simrun Malhotra. 0040526072-3

I, Suman Devi W/o Ratan Kumar Goyal R/o-A-3, Prem Kutir Society, Sector-9, Rohini, Delhi, have changed my name to Suman Devi Goyal for all purposes. 0040526034-3

I, Km Pooja Chand W/O Dharamveer R/O-B-33 Street No.10 Gamri Extension Garhi Mendu, North,East Delhi-110053. Changed My Name To Pooja Bisht. 0040526021-4

I Pandhari Laxman Basunde H.No-185/8/Sf Gurudwara Wali-Gali, Arjun-Nagar, N.Delhi-110029,Changed My Minor Daughter Name Rohini Pandhari Basunde To Rohini Basunde. 0040525943-9

I, VANDNA D/o Kapil Dev R/o:A-87 S-2 Dilshad Colony East Delhi-110095 have changed my name to VANDANA for all purposes. 0040526011-1

I, Sukriti Arora D/o Kuldeep Arora R/o H.No.2303, Sector-16, Faridabad-121002, have changed my name to Sukritti Arora. 0040526034-4

I, Sudhir S/o Sh. Sudershan Nand Gupta R/o Flat No.1004, Oasis Emerald Height, Ramprastha Greens, Sector-7, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201010, have changed my name from Sudhir to Sudhir Gupta for all future purposes. 0040525980-1

I, Shipra Chanana D/o Naveen Chanana R/o-61 2nd-Floor, Bhera Enclave, Paschim Vihar, Delhi-110087 have changed my name to Kaavya Chhabra. 0040526034-7

I, Shikha Sotra W/o Ashok Kumar R/o 97, Priya Darshni Vihar, Part-1, Near Rana Pratap Bagh, Delhi-110009, have changed my name to Shikha for all purposes. 0040526030-1

I, Shaji Kuriakose R/o 65 N, 1st Floor, Gautam Nagar, ND-49 have changed my minor Son's name from Chris K Shaji to Chris Shaji for all purposes. 0040526072-1

I, Sanjiv Kumar S/o Pritam Dass Vaid R/o C-71/2, Patel Garden, Kakrola Maud, Delhi-110078, have changed my name to SANJEEV KUMAR VAID. 0040526023-1

I, Ruchi W/o Mr. Sudhir Gupta R/o 1004, Oasis Emerald Height, Ramprastha Greens, Sector-7, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201010, have changed my name from Ruchi to Ruchi Agrawal for all future purposes. 0040525980-2

I, Sanjeev Kumar Agarwal S/o Sh. Om Prakash Gupta & Smt. Sushma Gupta R/o Flat No. 105, Tower–B1, Wishtown Klassic, Sector-134, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201304, informs that my name has been wrongly written in my 10th class Certificate & Mark-sheet as Sanjeev Kumar Agrawal. I hereby informs that my correct name is Sanjeev Kumar Agarwal for all future purposes. 0040525986-1

I, Sandip Kumar S/O Bishnu Deo Ray R/O H.No-1188, Sector-13, Duplex Vasundhra, Ghaziabad, Have Changed My Name To Sandeep Kumar. 0040526021-5

I, Rekha Poddar, D/O Vijay Gupta, R/o C-29, Pamposh Enclave, New Delhi-110048 have changed my name to Rekha Gupta for all purposes 0070690566-1

I, Reena D/o Virender W/o Ravinder Singh Nain, H.No. 2861, First Floor Sector-46, Gurugram (Haryana), have changed my name to Reena Nain. 0040526034-9

I, Ravinder Singh Gehlavat S/o Ram Kanwar Gahlawat R/o-T-604/4A, Street No.21, Baljeet-Nagar, Patel-Nagar, New Delhi-110008. have changed my name to Ravinder Singh Gahlawat. 0040526034-8

I, Ram Badan S/o Sh. Gyani Dass, R/o-C-150, Block-C, Yadav Nagar, Delhi, presently at J-636, Gali No.1 1/2, Swaroop Nagar, Delhi-110042. have changed my name from RAM BADAN to MOHAMMAD FAROOQ. 0040526072-4

I, Ram Badan S/o Sh. Gyani Dass, R/o C-150, Block-C, Yadav-Nagar, Delhi, presently at-J-636, Gali No.1 1/2, Swaroop-Nagar, Delhi-110042, do hereby solemnly affirm and inform that I have embraced ISLAM and renounced HINDU Religion with effect from-26.02.1998. 0040526072-5

I, Rakesh Kumar S/o Sh. Parkash Chand Jain R/o A-7/51, 1st Floor, Sector-16, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Rakesh Kumar Jain for all purposes. 0040525989-1

I, Rakesh Kumar S/O Dharm Pal H.No-715, Sector-23, Faridabad. Changed My Name To Rakesh Gupta. 0040526077-5

I, Puran Singh S/o Prem Singh R/o 246E, Pocket-1, Mayur Vihar Phase-I, Delhi-110091 have changed my name to Puran Singh Nayal, for all purposes. 0040525988-1

I, Prikshit Alias Parikshit Dagar Alias Parikshit S/O-Jagbir Singh Dagar, R/O-V.P.O Kabulpur, Rohtak, Haryana 124001, Have Changed My Name To Parikshit Singh Dagar. 0040526021-7

I, Preeti W/o Abhimanyu Verma, H.No.1002 Ward No.24 Jagdish Colony Rohtak Haryana 124001, changed my name to Preeti Verma. 0040526034-1

I, Pranav Balwant Gorthekar S/o Sh. Balwant Shakarao Gorthekar R/o 708/Km-32, Jaypee Kosmos, Sector-134 Noida G.B. Nagar Uttar Pradesh-201304 have changed my name from Pranav Gorthekar to Pranav Balwant Gorthekar For all future purposes. 0040526035-1

I, Parminder Kaur W/o Kapil Wadhwa R/o 344, DDA Flats, New Ranjeet Nagar Delhi-8 have changed my name to Priyanka Wadhwa. 0040526021-1

I, Paavani, Spouse Of JC-670728H Sub Kalyanam Sreerama Murthy, Resident Of J-4/7, RR Colony, Delhi Cantt Have Changed My Name From Paavani To Kalyanam Pavani Vide Affidavit Dated 24/12/2019 Before Notary, Delhi 0050160417-1

I, Om Kumari D/o Ram Prasad R/o-GH-6, Flat.No-99, Prachin-Apartment, Paschim-Vihar, New Delhi-110087, have changed my name to Khushboo Prasad. 040526077-1

I, Neeraj S/o Mukand Lal R/0-B-1/3 Hb Society Mianwali-Nagar Paschim Vihar Delhi-110087. Changed My Name To Neeraj Arora. 0040526046-6

I, Neeelam Verma W/o Neeraj Verma R/o 9975/3, Multani Dhanda, Paharganj, Delhi-110055, have changed my name to Neelam Verma. 0040526034-6

I, Naresh Rani W/o Vijay Chopra R/o A-1/43, Sector-16, Rohini, Delhi-110089 have changed my name to Poonam Chopra. 0070690570-1

I, Mustakeem S/O.Abdul Wahid R/O-G-4/9 F/F Sunder-Nagri Delhi-93. Have Changed My Name from Mustakim Qureshi to Mustakeem, for all future purposes. 0040526046-3

I, Mohd Akram Siah S/O-Mohmed Sultan Siah Add-E-16, 2nd-Floor, Sohna-Road, Vipul-World, Sector-48, Gurgaon, Haryana 122001. Changed My Name To Mohmed Akram Siah. 0040526077-3

I, Manoj Kumar Garg S/o Tej Ram R/o HR-258 Gali No.7 Pul-Pehladpur Jaitpur/South Delhi-110044, have changed my name to Manoj Kumar. That Manoj Kumar Garg and Manoj Kumar is the same and one person. 0040526046-4

I, Mannat Khurana S/o Daljeet Singh R/o B-11 Ramesh Nagar New Delhi-110015 have changed my name to Mannat Singh. 0040526077-2

I, Manish Kumar S/O Inder Pal R/O 8,Gali No-7, B-Block, West Karawal Nagar, Delhi-110094, Have Changed My Name To Monu. 0040526072-2

I, Manish Kumar Goyal S/o Prem Chand Goyal R/o-1/11010 Subhash Park, Naveen Shahdara Delhi-32, have changed my name to Manish Goyal for all purposes. 0040526044-3

I, Krishan Kumar S/o Desh Raj R/o Wz-149, Plot No-137A, Near Shiv Shakti Mandir, Ravi Nagar, New Delhi-110018, have changed my name to Krishan Mehndiratta. 0040526043-1

I, Chintu S/o Raju Ram R/o C-930, Mangolpuri, Delhi-110083, have changed my name to CHETAN KUMAR. **I,** Kanchan Rani R/o C-107 Z; D.D.A Flats, Jahangirpuri , North west Delhi, Delhi-110033 have changed my name to Kanchan Khurana 70690624-1

I, Kaminey D/O Satish Gupta R/O Us-193, Fourth Floor, North School-Block, Mandawali, Fazalpur, Delhi, Have Changed My Name Kaminey Gupta. 0040526021-6

I, Kakoo Devi W/o Sh. Ram Badan R/o-C-150, Block-C, Yadav Nagar, Delhi, presently at-J-636, Gali No.1 1/2, Swaroop Nagar, Delhi-110042. have changed my name from KAKOO DEVI to HAZRA. 0040526072-6

I, Jitender Chaurasia/Jitender Kumar S/o Jagdish Prasad R/o G-6/74-75, Sector-11, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Jitender Kumar Choursia. 0040526034-5

I, JC-541779Y Ex Nb Sub Bhupal Singh Kharayat of Dist.-Pithoragarh requesting for change ofwrongly entered name and date of birth of my wife in my Army docus from Munni Devi DOB 26Mar 1977 to Munni Devi Kharayat DOB 01 Jul 1976. 0040525984-1

I, JC-541779Y Ex Nb Sub Bhupal Singh Kharayat of Dist.-Pithoragarh requesting for change of wrongly entered date of birth of my son Lakshya Kharayat in my Army docus from 10/02/2001 to 11/02/2001. 0040525982-1

I, Inderjit Kaur W/o Ravinder Singh R/o-WZ-69E/2, Meenakshi Garden,Tilak Nagar,Delhi-110018,have changed my Name to Inderjeet Kaur 0040526003-1

I, Gurmeet Kaur Mokha W/O Manjeet Singh Mokha R/O 24,Defence Officers Enclave Dhaula Kuan Part-1, New Delhi-110010.Changed My Name To Gurmeet Kaur. 0040526077-4

I, Abdul Khalique S/O Zaheeruddin R/O 12/181, Yamuna Vihar, Delhi-110053. Change My Name To Abdul Khalique Ansari. 040526021-9

I, ANOOP SINGH S/o Jeet Singh Gulia R/o H.No.313, Village Bazidpur Saboli (57), Sonipat Haryana-131029 have changed my name to ANUP SINGH GULIA, for all purposes. 0040525999-1

I Syed Mohd Hamid S/O Mohd Yameen R/O-3559 Katra Babar Beg Lal Kuan Delhi-110006 Have Changed My Name To Mohd Hamid. 0040526021-2

I Pawan Kumar Bajaj R/O B-26, Panchwati, Azadpur,New Delhi -110033 Have Changed My Name To PawanBajaj As Per Document 0070690631-1

I Neeru Bala W/o Vimal Jain Add-715/18 Gali No.4 Shastri Nagar arya-nagar Rohtak Haryana-124001, changed my name to neeru jain.40526034-2

I Mohammed Liaqat Ali S/O Mohd.Yusuf R/O.R-279/3, Gali No.2, Sir Syed-Road, Jogabai-Extn. Jamianagar, Delhi-110025. Have Changed My Name To Liaquat Ali. 0040526021-8

I Meenakshi W/o Aditya Saxena R/o-H.No.29, Village Singhola, Delhi-39 have changed the name of my minor son from Manav Saxena to Manav Singh Khatri permanently. 0040526034-10

I Khalida Hamid W/O Mohd Hamid R/O-3559 Katra Babar Beg Lal Kuan Delhi-110006 Have Changed My Name To Khalda Begam. 0040526021-3

I Hitherto known as Niranjan Dass Gupta alias Narendra Gupta Son of Johri Lal Residing at D-142 D-Block, Ramprastha Colony, Chander Nagar, Ghaziabad Uttar Pradesh-201011, have changed my name and shall hereafter be known as Narendra Gupta 0040526044-4

I, Mohit S/o Samar Pal Dagar R/o M.C.F -160, East Chawla colony Ballabgarh Faridabad 121004, have change my Name Mohit to Mohit Dagar, for all purposes. 0040526046-1

खोया+पाया

Lost Original Conveyance Deed of Property No.H-58,Jai Triveni Apptt., Vikaspuri New Delhi-18, founder may inform-Manish Kumar Sachdeva S/o Late Harvishan Lal Sachdeva #9911496204 0040526044-5

I Zeba Naaz D/o Abdul Laiq R/o 954, Kucha Kabil Attar Chandni Chowk Delhi-6 have lost my original Qualifying Examination Certificate of 10th class and Marksheet year 1997 (Roll No.6146923) issued by CBSE and others documents. Finder contact. 9818424210 0040526002-1

I Salman Saleem S/o Saleemuddin R/o 1402, Katra Shahanshah Farash Khana Delhi-6 have lost my original Qualifying Examination Marksheet of 10th class year 2009-11 (Roll No.8800888) and others documents. Finder contact. 8375987558 0040526002-2

I, Pawan S/o Om Prakash R/o-478 Gali No.8, West Kanti Nagar Delhi-110051 lost my X pass grade Sheet Cum Certificate Year-2014 Roll No.8608729 CBSE, Delhi 0040526044-2

I,Anoop Kapoor S/o-H.C.Kapoor,Flat.No.84-D, Third-Floor,DDA MIG Flats,Pocket-06,Kondli Gharoli,Mayur Vihar,Phase-III,Delhi,have lost my original Possession Letter,NOC of Water and Electric of above address.Finder contact. 0040526039-3

It is notified for the information that my original Examination Certificate of Main Secondary examination of Year 2017, and RollNo.8167557, issued by CBSE has been actually lost. Name of Candidate: Munazzah Saleem D/o Saleem Ahmed R/o-B-2/118, Yamuna-Vihar, Delhi-110053, Mob-9871904297. 0040526072-10

LOST Original lease deed of property N-12, Malviya Nagar, N.Delhi-110017. Loss reported Crime Br. Delhi Police. Finder contact to Jagdish/ Parvesh Chander: 9810265145/ 9818001150. 0040526036-1

I MOHAMMAD ILYAS S/o Mohammad Ismail R/o 2345, 46 Gali Meer Madari Rodgran Lal Kuan Delhi-6 have lost my original Qualifying Examination Certificates of 10th class and Marksheet year 1992 (Roll No.6125206) issued by CBSE and others documents. Finder contact. 9818424210 0040526002-3

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Smt. Sushma Rani W/o. Late Sh. Bal Krishan R/o. B-719, Ground and First Floor, Bunkar Colony, Bharat Nagar, Delhi - 110052 has disowned her son namely SACHIN ARORA, his wife Neelam Arora and their children Lakshay Arora (Son) and Vanisha Arora (Daughter) R/o. B-719, Second Floor, Bunkar Colony, Bharat Nagar, Delhi -110052 from her all moveable and immovable properties, as they have become disobedient and further broken severe all kind of relationship with them because they have threatened to implicate my client along with family members in false cases. Anybody dealing with them shall do the same at his own risk, cost and consequences and my client and other family members shall not be responsible for any act and deed of them whether made at any point in time

S.P. GUPTA-ADVOCATE
Ch. No. 593, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi -54
Mob.: 7042198312

PUBLIC NOTICE

My Client, Sonia Doseja W/o Shri Rajeev Doseja R / o A-2/702, Rang Rasain Apartment, Sector-13, Rohini, Delhi, is the sole and absolute owner of the flat bearing No. A-1/130, Sector 16,Rohini, Delhi and Kritika Dabla D/o Shri Pawan Kumar R/o 1, Maharaja Lane, Civil Lines, Delhi, has illegally occupied the said Flat and my client has instituted a case seeking the recovery of possession bearing No. 419 titled as: SONIA DOSEJA VS. KRITIKA DABLA & ORS and the same is pending adjudication in the court of Ms. Kiran Gupta , ADJ, Rohini Courts, Delhi and Kritika Dabla and her associates are intending to create third party interest in the said flat and any body deals with them, shall be doing at his / her / their own peril

Rajan Bhatia (Advocate)
30, Pocket-11A, Sector-23, Rohini, Delhi-85
Enrol. D-128A/64

PUBLIC NOTICE

Take notice that my client Sh. Ranaji Ganguly, S/o late Sh. K.K. Ganguly, R/o J-1954, Chittranjan Park, New Delhi-110019 is the absolute owner of Basement, Ground Floor, Third Floor, Terrace and the Proportionate Owner of 50% of land and all common areas and parking on stilt floor of Property No. J-1953, Chittaranjan Park, New Delhi-110019. However M/s Jagtarni Homes Pvt. Ltd. has prepared some forged and fraudulent documents in connivance with Sh. Surender Sahlot, Ms. Aushee Malika Gupta, Ms. Kalyani Gersappe and Ms. Karobi Wade in respect to the above property. These persons do not have any right, title or interest in this property. Any party dealing with them in respect to the above property will do so at its own risk, cost and criminal consequences.

VIKAS GUPTA ADVOCATE
Off.: B-19, Tigri Extension, New Delhi-110080

It is for general information that I Mohit Kumar S/o Pappu Gupta R/o RZ-79-B, Khasra No. 356, Gali No. 7, Shivpuri, West Sagarpur, Delhi-110046 declare that name of mine and my father and address has been wrongly written as Mohit Gupta and Rani Gupta in my Driving License No. DL-0920140271986. The actual name of mine and my father and address are: Mohit Kumar and Pappu Gupta and address RZ-79-B, Khasra No. 356, Gali No. 7, Shivpuri, West Sagarpur, Delhi - 110046 respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

I, AMIT GUPTA S/o Sh. Ashok Gupta, R/o Flat No.F-13-D, Munirka, New Delhi alongwith others are the owners and in possession of Prop.No.E-871, Saraswati Vihar, Pitampura, Delhi, by virtue of WILL executed by Late. Lajja Wati Gupta which is duly registered on 29.05.1998, with the office of Sub-Registrar, Sub-Distt.No.VI-A, Delhi, which has been lost/misplaced and not traceable till date against which the Complaint has been lodged vide LR No.2054134209 on 31.12.2019, if any body found, the same may be submitted or contact to me.

(AMIT GUPTA) Mob.9821155163

PUBLIC NOTICE

WHEREAS my client Mr. Raj Kumar Seth S/o Late Ram Chand Seth R/o B-35, Gali No.8, Shashi Garden, Mayur Vihar Phase-I, Delhi-110091, has desired and declare that he has broken all family relation with her niece Payal D/o Late Anand Kumar Seth causing mis-behavior for ever with immediate effect, my client will not responsible for any dealing with her.

Deo Raj Singh (Advocate)
Chamber No.B-108, Baba Guru Charan Singh Block, Tis Hazari Court, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE

I, SUDERSHAN GUPTA s/o Late Sh. Shiv Dayal, r/o HD-19, Pitampura, Delhi is the owner and in possession of Prop. No. HD-19, Pitampura, Delhi. The previous transfer documents of the above said property such as GPA, SPA, Sale Agreement, Receipt, WILL etc. have been lost/misplaced and not traceable till date against which the Complaint has been lodged vide LR No.2054473/2019 on 31.12.2019, if any body found, the same may be submitted or contact to me.

(SUDERSHAN GUPTA)
Mob. 9810375213

PUBLIC NOTICE

Be it know to all concerned that my client, Smt. Prem W/o Late Ram Niwas, R/o House No. E-474, J.J. Camp Tigri, New Delhi-110062, has disowned there son's 1) Kaml, his Wife Rekha and there children, 2) Dinesh Kumar, his Wife Seema and there children, from all of her moveable and immovable properties because of there bad beh

मौसम

तापमान	नई दिल्ली	
अधिकतम–13.7 डि.से.		सूर्योदय– 7:14
न्यूनतम– 4.1 डि.से.		सूर्यास्त– 17:35

राज्य नाम प्राधिकरण की बैठक में फैसला

प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन अब 'सुप्रीम कोर्ट'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

ब्लू लाइन मार्ग पर पड़ने वाला प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन को अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली सरकार की राज्य नाम प्राधिकरण ने मंगलवार को 60वीं बैठक में यह फैसला लिया है। इसके अलावा राज्य नाम प्राधिकरण ने दिल्ली के छह अन्य स्थानों का नाम भी बदलने का निर्णय लिया है। वहीं, सरकार ने अन-इलेक्ट्रिफाइड एरिया में भी बिजली के रेट इलेक्ट्रिफाइड एरिया के बराबर करने का फैसला लिया है।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बाबत बुलाई प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की राज्य नाम प्राधिकरण की 60वीं बैठक में इन स्थानों के नाम बदलने का फैसला लिया गया। मुकरबा चौक अब शहीद कैप्टन बिक्रम बत्रा चौक होगा। कुछ माह पहले शहीद कैप्टन के माता-पिता आए थे और उन्होंने मुकरबा चौक का नाम शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा रखने की मांग की थी। ब्लू लाइन पर पड़ने वाला प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन होगा। यह मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट के पास स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार (एजी) अनिल कुमार शर्मा ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था।

सिसोदिया ने कहा कि एमजी मार्ग को आचार्य तुलसी मार्ग के नाम से जाना जाएगा। यहां से भी बार-बार नाम बदलने की मांग उठ रही थी। इसके लिए अखिल भारतीय अनुब्रत न्यास की तरफ से प्रस्ताव आया था। वहीं, रानी बाग मार्केट गोल चक्कर का नाम बदल कर महर्षि दयानंद चौक कर दिया गया है। लाजपत नगर फ्लाई ओवर का नाम बदल कर श्रीझूले लाल सेतु कर दिया गया है। इसके लिए विधायक मदन लाल की तरफ से मांग की गई थी। शक्ति नगर चौक का नाम भगवान महावीर चौक कर दिया गया है। जैन कॉलोनी, वीर नगर के एसएस जैन सभा की तरफ से यह मांग की गई थी। महरौली से बदरपुर मार्ग को अब आचार्य श्री महाप्रज्ञा मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास की तरफ मांग की गई थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम स्थानों के नाम ऐसे नहीं बदल रहे हैं। किसी स्थान का नाम किसी राजनीतिक व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा गया है। जो नाम बदले गए हैं, वह वहां की सोसायटी या व्यक्ति के नाम पर है।

बिजली का एक दाम

सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अब पूरी दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बराबर होंगे। अब इलेक्ट्रिफाइड और इलेक्ट्रिफाइड एरिया में बिजली के रेट बराबर कर दिए गए हैं। जिन लोगों से अतिरिक्त पैसे लिए गए हैं, उन्हें वापस किए जाएंगे। व्यावसायिक गतिविधि में इलेक्ट्रिफाइड एरिया में 1500 रुपए प्रति किलोवाट बिजली के रेट थे और अन-इलेक्ट्रिफाइड एरिया में 4 हजार रुपए प्रति किलोवाट था। अब वहां पर भी 1500 रुपए ही देने होंगे। बवाना और बुराड़ी के पास कुछ क्षेत्र हैं, जहां लोगों को लाभ मिलेगा। कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों की कॉलोनियां पक्की हो जाए, तभी हम सभी संतुष्ट होंगे। लोग न तो ट्वीट और न होर्डिंग्स लगाने से संतुष्ट होंगे।

विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गठित की समितियां

माकन को दिल्ली के घोषणापत्र की जिम्मेदारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को प्रदेश चुनाव समिति, घोषणापत्र समिति और कुछ अन्य समितियों का गठन किया जिनमें प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है।

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न समितियों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बयान के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में 56 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। इसमें पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, अजय माकन सहित जनार्दन द्विवेदी को भी जगह दी गई है। दूसरी ओर कीर्ति आजाद चुनाव अभियान समिति के प्रमुख बनाए गए हैं।

चोपड़ा चुनाव समिति व आजाद प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष नियुक्त

अरविंदर सिंह लवली चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने

इस समिति में कुल 124 नेताओं को जगह दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन की अगुआई में 69 सदस्यीय घोषणापत्र समिति का गठन किया गया है। हारुन युसूफ को इस समिति का उपाध्यक्ष, किरण वालिया को संयोजक तथा नरेन्द्रनाथ को सहसंयोजक बनाया गया है।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल की अध्यक्षता में 140 सदस्यों वाली प्रचार समिति का गठन किया गया है जबकि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली 65 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति की अगुआई करेंगे। पूर्व विधायक मुकेश शर्मा की अगुवाई में 104 सदस्यीय मीडिया समन्वय समिति गठित की गई है।

शीतकालीन सेमेस्टर पंजीकरण का छात्र संघ करेगा बहिष्कार

जेएनयू में आज से पंजीकरण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में बुधवार से शीतकालीन सेमेस्टर के लिए पंजीकरण शुरू होंगे जो पांच जनवरी तक जारी रहेंगे। जेएनयू छात्र संघ की ओर से पहले दिन पंजीकरण का बहिष्कार करने का निर्णय किया गया है। यह बहिष्कार आगे जारी रहेगा या नहीं इसका निर्णय बुधवार रात को विद्यार्थियों की आम सभा में तय किया जाएगा। बुधवार से ही छात्रावास का बढ़ा शुल्क भी लागू होगा।

छात्र संघ की ओर से छात्रावासों के मेस और कोषाध्यक्ष कार्यालय की भी तालाबंदी रखने का फैसला लिया गया है। जेएनयू के सभी छात्रावास के अध्यक्षों के बीच मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके तहत विद्यार्थी फिलहाल बुधवार को पंजीकरण प्रक्रिया का बहिष्कार करेंगे, जबकि आगे की रणनीति बुधवार रात अलग-अलग खंडों में विद्यार्थियों की आम सभा के जरिए तय होगी।

जेएनयू में छात्रावास की नई फीस को लेकर छात्र 64 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत छात्र सेमेस्टर परीक्षा का बहिष्कार कर चुके हैं। हालांकि परीक्षा के बहिष्कार की घोषणा के बीच जेएनयू की ओर से वाट्सऐप और ईमेल के जरिए परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। कुलपति ने सोमवार को आंदोलन कर रह विद्यार्थियों परीक्षा का एक और मौका देने की बात कहते हुए आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया था।

शुल्क वापसी के लिए हर कदम उठाएंगे : छात्रावासों के लिए नई नियमावली और बढ़े शुल्क पर छात्र संघ ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया है कि पूर्ण शुल्क वापसी के लिए अपने आंदोलन जारी रखेगा। छात्र संघ ने जेएनयू प्रशासन पर विद्यार्थियों को धमकाने का आरोप लगाया है। जिन विद्यार्थियों को जांच के लिए नोटिस मिले हैं, उन सभी विद्यार्थियों से छात्र संघ ने जांच में शामिल नहीं होने के लिए कहा है।

गंभीर अपराध में 8.74 फीसद की गिरावट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

बीते वर्ष की तुलना में दिल्ली के गंभीर अपराधों में 22 दिसंबर तक 8.74 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई कानून व्यवस्था की बैठक में पुलिस ने यह रिपोर्ट दी है। उपराज्यपाल ने 2020 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यह बैठक बुलाई थी। राजनिवास पर हुई इस बैठक में प्रधान सचिव गृह समेत दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी शामिल हुए।

पुलिस ने यह भी दावा किया है कि इस दौरान आपराधिक मामलों को सुलझाने में भी पुलिस को अधिक सफलता मिली है। बीते वर्ष यह फीसद 90.12 था जो इस बार बढ़कर 93.89 फीसद हुआ है। उपराज्यपाल ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि अपराधों के मामलों में सामाजिक स्थिति के आधार पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और इस रिपोर्ट के आधार पर आने भविष्य की रणनीति को तैयार किया जाए। उन्होंने इन अपराधों की वजह से युवाओं की मनोदशा पर भी चिंता जाहिर की है।

कच्ची कॉलोनियों से हटा अनधिकृत का ठप्पा : जावड़ेकर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एवं दिल्ली चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों पर लगे अनधिकृत के ठप्पे को हटा दिया है। जावड़ेकर ने कहा कि यह चुनावी फैसला नहीं है। यह जनता को न्याय दिलाने का फैसला है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को इन कॉलोनियों के नक्शे बनाने को कहा था। दिल्ली सरकार ने 5 साल तक ये नक्शे नहीं बनाए। 2019 में आम आदमी पार्टी सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर 2021 तक का समय मांगा। उन्होंने बताया कि इस पत्र के बाद केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों की जिम्मेदारी थी और इन्हें नियमित करने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली की 192 जे.जे. क्लस्टर में से 32 झुग्गी कैम्पों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अभी 160 कालोनियों का सर्वे अभी चल रहा है। दिल्ली चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक तरुण चुघ ने कहा कि आज हमारे सामने चुनौतियों भरा माहौल है। बैठक में प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, रविन्द्र गुप्ता, राजेश भाटिया समेत अन्य नेता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

सिसोदिया का सवाल : क्या नियमितीकरण का अभियान सिर्फ एक जुमला है

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या भाजपा का इन क्षेत्रों को नियमित करने का वादा सिर्फ एक जुमला है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को नियमितिकरण पर ट्वीट किया था। सिसोदिया ने मंगलवार को ट्वीट में कहा-मुझे उम्मीद है कि आप (पुरी) यह जानते होंगे। अब, लोगों को गुमराह करना बंद करें। उन्होंने कहा कि यदि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जाएगा, तो इस मुद्दे को लेकर पूरा अभियान सिर्फ एक जुमला है।

SIGNATURE GLOBAL
MAKING INDIA AFFORDABLE
AN ISO 9001:2015, 14001:2015, OSAS 18001:2007 CERTIFIED COMPANY

ICRA ★★★★★★

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइजर/डेवलपर	सिग्नेचर बिल्डिर्स प्राइवेट लिमिटेड
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष – 51/2019 दिनांक : 06.03.2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि : 08.08.2019. मेमो न.: ZP-1110/AD(RK)/2019/19109. हरियाणा रेरा प्रमाणित न.: 51 of 2019 dated 09.09.2019
3. स्थान	सेक्टर 93, गुरुग्राम, हरियाणा।
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5 एकड़ में कुल 720 अपार्टमेंट में से 307 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी-सह-क्रेश।

5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम

अपार्टमेंट के विवरण

कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK TYPE -01	113	539.384	78.114	21,96,593.00	1,09,830.00	4,39,319.00
2BHK TYPE -03	120	594.916	70.849	24,15,088.50	1,20,754.00	4,83,018.00
2BHK TYPE -04	43	577.112	79.029	23,47,962.50	1,17,398.00	4,69,593.00
3BHK TYPE -01 (MQ)	31	641.351	120.32	26,15,404.00	1,30,770.00	5,23,081.00

ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान 6 महीने तक बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 25.12.2019 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर Signature Builders Pvt. Ltd., Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053-121-121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 17.01.2020. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

योग्यता : 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुक्का की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो उसे का केवल एक फ्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक : 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कॉलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।

MEMBER
ORCHARD AVENUE 2
THE OASIS OF LIFE IN TOWN
SECTOR 93, GURUGRAM
UPSCALE
HAR PARIVAR EK GHAR

SIGNATURE BUILDERS PRIVATE LIMITED | CIN: U70101DL2011PTC220275
Regd. Office - 1309, 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in

HOME LOAN PARTNER: HDFC HOME LOANS, ICICI Bank, YES BANK, TATA CAPITAL

AVAIL INTEREST SUBSIDY BENEFITS OF RS. 2.67 LAC (APPROX) UNDER PMAY (PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA)**

7053-121-121

सभी एलआईसी पॉलिसी भुगतानों हेतु डिजिटल हो जाइए

यह 24x7x365 कार्यरत है!!

अब अपने नवीनीकरण प्रीमियम, पॉलिसी ऋण एवं ऋण पर ब्याज का भुगतान कम्प्यूटर पर एक क्लिक अथवा अपने स्मार्ट फोन पर करें

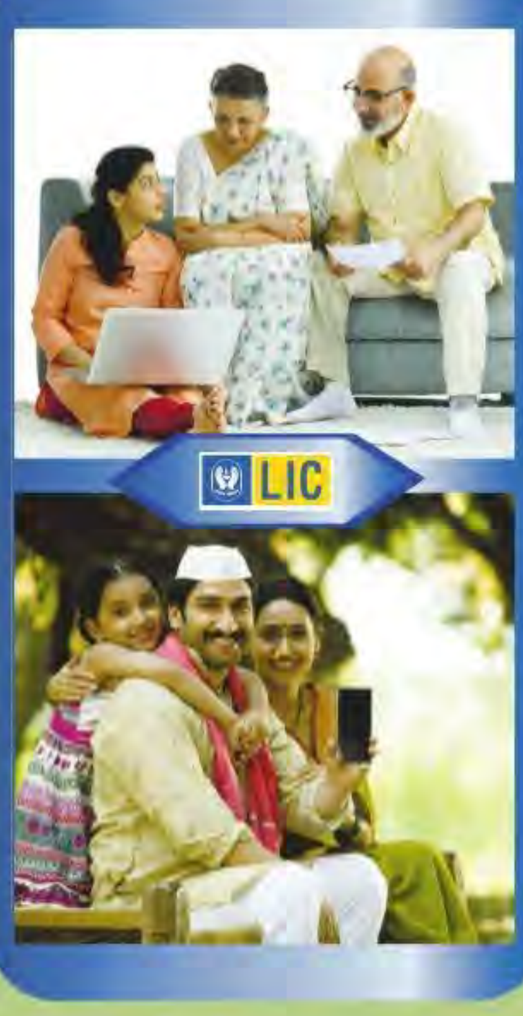

एलआईसी की किसी भी शाखा में अपना एनईएफटी विवरण अपडेट करें डिजिटल रूप से आपके पॉलिसी भुगतानों के निस्तारण में हमारी मदद करें।

नि:शुल्क

निम्नांकित में से किसी भी डिजिटल भुगतान विकल्प का प्रयोग करें एवं तत्काल अधिकारिक रसीद प्राप्त करें

• भीम/यूपीआई • डेबिट कार्ड • क्रेडिट कार्ड • ई-वॉलेट • नेट बैंकिंग • पेटीएम • फोनपे

डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा बनिए।

कॉल सेंटर सेवा (022) 6827 6827
एलआईसी मोबाइल एप "MyLIC" डाउनलोड करें
या विजिट करें www.licindia.in हमें फॉलो करें LIC India Forever

IRDAI Regn. No. 512

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC/AR/19-20/16/HIN

जामक/धोखाधड़ी वाली फोन कॉल्स से सावधान रहें।
आईआरडीएआई बीमा पॉलिसी विक्रय, बोनस की घोषणा अथवा प्रीमियम के निवेश जैसी किसी गतिविधि से शामिल नहीं है। ऐसी फोन कॉल्स प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से पुलिस शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया जाता है।

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	14.7 डि.से.	14.7 डि.से.	13.6 डि.से.	14.3 डि.से.
न्यूनतम	4.8 डि.से.	4.8 डि.से.	4.7 डि.से.	4.7 डि.से.

डंडे से पीटकर राज मिस्त्री की हत्या, चार गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

बाहरी उत्तरी जिले के नरेला औद्योगिक इलाके में सोमवार दोपहर (चिनाई) निर्माणाधीन मकान का मसाला (बदरपुर और रेत) गिरने पर हुई। इस विवाद में चार युवकों ने राज मिस्त्री की ईंट, फावड़े, कील लगे डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं अधमरा करने के बाद बदमाशों ने पीड़ित को चाकू भी गोद डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। आरोपियों को भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त गौरव शर्मा के मुताबिक मृतक की पहचान राज मिस्त्री मोहम्मद जसीम के रूप में हुई। आरोपितों की पहचान आसिफ उर्फ चिकना, अंकित, सैफ अली उर्फ बचकांडा और साजिद के रूप में हुई है। सभी बवाना जेजे कॉलोनी के रहने वाले है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मोहम्मद जसीम परिवार के साथ बवाना जेजे कालोनी में रहता था और राज मिस्त्री का काम करता था। पुलिस को दी शिकायत में चश्मदीद 22 साल के दीपक ने बताया कि वह परिवार के साथ बवाना जेजे कॉलोनी में रहता है और बैट्री ई-रिक्शा चलाता है।

सोमवार शाम चार बजे वह नरेला औद्योगिक स्थित मदर डेयरी के पास मोमोस खा रहा था। वहीं पास में एक निर्माणाधीन मकान में चिनाई का काम हो रहा था। चिनाई के दौरान बदरपुर से बना मसाला पड़ोस के खाली प्लॉट में गिर गया। वहां चार युवक बैठे हुए थे। मसाला गिरते ही चारों युवक गाली-ग्लौच करने लगे। उसके बाद चारों निर्माणाधीन मकान में चले गए। जाते ही चारों आरोपितों ने कील लगा डंडा उठाकर मोहम्मद जसीम को पीटना शुरू कर दिया। चारों आरोपितों ने जसीम को कील लगे डंडेस फावड़े व ईंट से मार-मारकर हत्या कर दी।

डीटीसी चालक के पैर में गोली मारी

नई दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिले के अलीपुर इलाके में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के एक चालक को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। दोनों राज्यों और जगहों के चक्कर काटने के बाद अंत में मामला अलीपुर थाना पुलिस ने दर्ज किया। पीड़ित का इलाज जारी है।

पुलिस के मुताबिक 40 साल के कर्मवीर परिवार के साथ सोनीपत में रहते हैं। वह डीटीसी में बतौर ड्राइवर कार्यरत है। पुलिस के मुताबिक सोमवार देर रात जीटीके डीपों से ड्यूटी खत्म होने के बाद वह अपनी वैगन आर कार से घर लौट रहे थे। सिंधु बार्डर के पास मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने पीड़ित को इशारा करके रोका और खटकड़ गांव का रास्ता पूछा के बहाने लूटपाट शुरू करदी। विरोध करने पर बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर पीड़ित के पैर में गोली मार दी। पीड़ित ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस व दिल्ली पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जहां घटना हुई वह हरियाणा का इलाका था। हरियाणा पुलिस ने भी देरी न करते हुए दिल्ली में घटना होने की बात कही और मामला दर्ज करने से इनकार किया। घंटो मशक्कत करने के बाद अलीपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी। **(जसं)**

महिला मित्र को प्रभावित करने के लिए चलाई गोली, गिरफ्तार

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

- आरोप है कि युवक मस्ती में महिला मित्र को प्रभावित करने के लिए पिस्तौल हवा में लहरा रहा था
- संयोग से पिस्तौल भरी हुई थी और गोली महिला के पैर में जा लगी

महिला मित्र को प्रभावित करने के लिए तिलकनगर में एक युवक को गोली चलाना महंगा पड़ गया। आरोप है कि खुद गोली चलाने के बाद वह उसके पैर में लगी जिससे वह घायल हो गया। अस्पताल पहुंची पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है।

तिलकनगर पुलिस के मुताबिक, इलाके में सोनू शर्मा नामक एक युवक जब अपनी महिला मित्र (गर्लफ्रेंड) के साथ छतरी वाला पार्क, तिलक नगर में बैठा हुआ था। आरोप है कि उसी दौरान उसने मस्ती में महिला मित्र को प्रभावित करने के लिए पिस्तौल निकाली और हवा में लहराने लगा। संयोग से उसके पिस्तौल में गोली भरी हुई थी और वह चल पड़ी। गोली उसके पैर में ही लग गई और वह घायल होकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती हो गया। पैर में गोली लगने की सूचना अस्पताल से पुलिस को मिली तो उसने जांच शुरू की। पहले तो सोनू शर्मा ने पुलिस को बताया कि दो लड़कों ने पार्क के बाहर उस पर गोली चलाई और फरार हो गया। लेकिन जांच में उसकी झूठ का पोल खुल गया और वह जेल पहुंचा दिया गया। जांच में सोनू शर्मा के अलावा उसकी महिला मित्र से भी अलग-अलग पूछताछ की गई और उनके बयान में विरोधाभास नजर आया। फिर महिला मित्र ने ही सबकुछ बता दिया। पुलिस टीम ने आर्म्स एक्ट का मामला तिलकनगर थाने में दर्ज किया और फिर सोनू से पूछताछ के बाद उसके दोस्त मनोज उर्फ रमन को भी गिरफ्तार कर लिया। मनोज के पास से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद कर ली गई है।

खबरों में शहर

जीवन में संघर्ष की ताकत देता हैं खेल : भावना छिब्बर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

ग्लोबल हाईट्स स्कूल में स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली-एनसीआर के बीस से ज्यादा स्कूलों ने भाग लिया। शिक्षाविद हर्ष टंडन व योजना राघव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र, प्रीतक चिह्न देकर सम्मानित किया। स्कूल की उप प्रधानाचार्या भावना छिब्बर ने छात्र जीवन में खेलों के महत्व को रेखांकित किया। उन्हेंने कहा कि प्रतियोगिताएं जीवन में संघर्ष करने की ताकत प्रदान करती है। इसलिए छात्रों को कभी भी विपरित परिस्थितियों में हार नही माननी चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मेहनत व लगन ही सफलताएं लाती हैं।

बुराड़ी थाना परिसर में किया सम्मान समारोह आयोजित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

बुराड़ी थाना परिसर में दिल्ली पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि बुराड़ी थाना अध्यक्ष रमण कुमार सिंह बेहतर काम करने वाले जवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर के पुलिस पदाधिकारियों के अलावा समाजसेवी राम अवतार त्यागी व अनुज व सागर त्यागी ने मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के तहत बुराड़ी थाने परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। सम्मानित जवानों को पुष्पमाला व पदक प्रदान किए गए।

डीईआरसी में नए सदस्यों को दिलाई शपथ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

दिल्ली विद्युत विनियामक बोर्ड (डीईआरसी) में खाली पड़े सदस्यों के पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। यह शपथ ग्रहण आयोग के अध्यक्ष की अगुआई में हुई। अशोक कुमार सिंघल और अखिलेश कुमार अब बतौर आयोग सदस्य के तौर पर काम करेंगे। अशोक कुमार सिंघल को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में कार्य का अनुभव है और अखिलेश कुमार भारतीय वन सेवा से संबंधित अधिकारी हैं। इन्होंने करीब 29 वर्ष तक अपनी सेवाएं वन मंत्रालय को दी है। इस मौके पर प्रधान सचिव ऊर्जा समेत ऊर्जा विभाग से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

स्वच्छता सर्वेक्षण में एनडीएमसी अव्वल

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

केंद्र के स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय राजधानी में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र सबसे स्वच्छ रहा और इसके बाद दिल्ली छावनी को स्थान मिला।

परिणामों के मुताबिक, शहर में दक्षिणी नगर निगम (एसडीएमसी) और उत्तरी नगर निगम का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। एनडीएमसी पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में 20वें स्थान पर रहा जबकि दूसरी तिमाही के परिणाम (जुलाई-सितंबर) में यह 75वें स्थान पर चला गया।

त्रिलोकपुरी में निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा, कोई हताहत नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

त्रिलोकपुरी क्षेत्र में मंगलवार रात निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना रात लगभग 7:50 बजे हुई।

इसमें आठ मजदूर फंस गए जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर चार दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई थीं।

2020 में नोएडा के यातायात को बेहतर बनाने में खर्च होंगे 4500 करोड़

आशीष दुबे
नोएडा, 31 दिसंबर।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक महानगर नोएडा ने 2019 में करीब साढ़े नौ हजार करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को पूरा किया है। इसमें सबसे अधिक मेट्रो परियोजना पर खर्च हुआ। 2020 में भी मेट्रो परियोजनाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। शहर की रफ्तार बढ़ाने और लोगों को यातायात के बेहतर माध्यम उपलब्ध कराने के लिए 4500 करोड़ रुपए विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे।

तैयार हो रहीं परियोजनाओं से शहर को विश्व मानचित्र पर अलग पहचान मिल रही है। 1250 किलो प्लास्टिक कचरे से तैयार गांधी का चरखा, शहर को कचरा घर मुक्त बनाकर घर-घर से कूड़ा उठाने और प्रत्येक शनिवार और रविवार को विभिन्न सेक्टरों व गांवों में होने वाले सफाई गिरी अभियान से भी शहर को नई पहचान मिली है। 2019 में 29.07 किलोमीटर लंबी एक्वा लाइन मेट्रो (सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा) पर 5500 करोड़ रुपए और ब्लू लाइन विस्तार (सिटी सेंटर से सेक्टर-62 इलेक्ट्रानिक सिटी) पर 1900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

इसके अलावा सेक्टर-108 में 34.71 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक पार्क, सेक्टर-33 में 72.57 करोड़ रुपए की लागत से शिल्प हाट एवं बुनकर भवन, शाहदरा नाले पर बने तीन पुलों के चौड़ीकरण पर 50.33 करोड़ रुपए, कालिंदी कुंज पर यमुना के समानांतर पुल पर 119.95 करोड़ रुपए, सेक्टर- 94 में कमांड कंट्रोल का निर्माण 22.25 करोड़ रुपए और सेक्टर- 62 में 14.57 करोड़ रुपए की लागत से दादा-दादी पार्क का निर्माण पूरा हुआ है। 2020 में शहर के यातायात की दिक्कतों को दूर कर रफ्तार देने के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस के नीचे तीन अंडर पास निर्माण कार्य पर 143 करोड़ रुपए की लागत, सेक्टर- 71 चौराहे पर 55.28 करोड़ रुपए की लागत से अंडर पास, चिल्ला रेगुलेटर से महामाया फ्लाई ओवर तक एलिवेटेड मार्ग पर 605 करोड़ रुपए, डीएससी मार्ग पर आगहापुर से एनएसईजेड तक एलिवेटेड मार्ग परियोजना पर 461.64 करोड़, सेक्टर- 168 व सेक्टर- 123 में सीवर शोधन संयंत्र पर 327 करोड़ रुपए और नोएडा सेक्टर- 71 से नॉलेज पार्क-5 तक मेट्रो विस्तार योजना पर काम होगा।

851 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सेक्टर- 39 स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय, 100 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, सेक्टर-एक, तीन और पांच में भूमिगत कार पार्किंग, सेक्टर-91 में जैव विविधता पार्क व सेक्टर- 150 में शहीद भगत सिंह पार्क का निर्माण और सेक्टर-38ए में बहुमंजिला कार पार्किंग परियोजनाएं अगले तीन महीने में उपयोग में आ सकेंगी।

केनरा बैंक
Canara Bank
(भारत सरकार का उपक्रम)

क्रेडिट समीक्षा मानीटरन एवं वसूली अनुभाग,
आंचलिक कार्यालय, सी-3, सेक्टर-1, नोएडा
फोन-0120-2424896 ई-मेल : crmrecronoida@canarabank.com

बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित कब्जा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, संबंधित पार्टियों से बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर दिनांक 31-01-2020 को अप. 12.30 बजे से अप. 01.30 बजे तक (बिक्री की समाप्ति तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों तथा न्यूनतम बोली वृद्धि राशि 10,000.00 के साथ) बेची जाएगी।**

अचल सम्पत्तियों, सुरक्षित मूल्य, ईएमडी, देयताओं और ज्ञात ऋणभार(रों), यदि कोई, का पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	सम्पत्तियों का विवरण	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी	मांग सूचना के अनुसार बकाया देय राशि	ईएमडी खाता विवरण
1.	**श्रीमती शगुन त्यागी के साथ श्री नीरज त्यागी, श्री अभिमन्यु प्रताप सिंह त्यागी** के संयुक्त नाम में आवासीय सम्पत्ति सं. ई-13, तृतीय तल, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली-110016, क्षेत्रफल परिमाप 338.90 वर्ग गज **चौहद्दी : पूरब** : प्लॉट नंबर डी-10, **पश्चिम** : रोड, **उत्तर** : रोड, **दक्षिण** : प्लॉट नंबर ई-14	रू. 1,75,00,000.00 (रूपए एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)	रू. 17,50,000.00 (रूपए सत्रह लाख पचास हजार मात्र)	रू. 5,06,54,033.00 (रूपए पांच करोड़ छह लाख चौवन हजार तेतीस मात्र) पार्टी को जारी की गई सरफासी मांग सूचना दिनांकित 08-02-2018 के अनुसार + 01-02-2018 की प्रभावी तिथि से उस पर सभी लागतें, प्रभार, खर्चे तथा अन्य अनुषंगी व्यय। बकाया देयताएं : स्थानीय सरकार (सम्पत्ति कर, जल कर, बिजली बिल इत्यादि) = बैंक को ज्ञात नहीं	खाता नंबर - 3980296000001 आईएफएससी - सीएनआरबी0003980 शाखा : एसएमई नोएडा
2.	सम्पत्ति : **श्रीमती सपना गर्ग पत्नी श्री नवीन कुमार गर्ग, मैसर्स कान्हा** उद्योग की गारंटर तथा बंधकदाता के नाम ग्राम गौसपुर टैना, परगना/तहसील-खुर्जा, जिला बुलंदशहर के खसरा नंबर 900 का हिस्सा, खाता नंबर 245 स्थित भूमि की आबादी प्लॉट, परिमाप 340 वर्ग मीटर अथवा 406.64 वर्ग गज की ईएमटी। **चौहद्दी : पूरब** : 35 मीटर/बाबू सिंह की सम्पत्ति, **पश्चिम** : 35 मीटर/बाबू सिंह की सम्पत्ति, **उत्तर** : 10.38 मीटर/प्रताप सिंह का खसरा नंबर 899, **दक्षिण** : 10.38 मीटर/15' चौड़ा रास्ता (रजवाहा पटरी)	रू. 8,53,000.00 (रूपए आठ लाख तिरेपन हजार मात्र)	रू. 85,300.00 (रूपए पिच्यासी हजार तीन सौ मात्र)	रू. 23,69,024.77 (रूपए तेईस लाख उनहत्तर हजार चौबीस तथा पैसे सतहत्तर मात्र) 04-08-2017 तक पार्टी को जारी की गई सरफासी मांग सूचना दिनांकित 09-09-2015 के अनुसार + 01-08-2015 की प्रभावी तिथि से उस पर सभी लागतें, प्रभार, खर्चे तथा अन्य अनुषंगी व्यय। बकाया देयताएं : स्थानीय सरकार (सम्पत्ति कर, जल कर, बिजली बिल इत्यादि) = बैंक को ज्ञात नहीं	खाता नंबर - 4271296000001 आईएफएससी - सीएनआरबी0004271 शाखा : एसएमई खुर्जा
3.	**श्रीमती नेहा रूहेला पत्नी श्री अंकुर रूहेला, मैसर्स मोहित पेंट स्टोर** की गारंटर तथा बंधकदाता के नाम मोहल्ला मदार दरवाजा, कस्बा खुर्जा, जिला बुलंदशहर स्थित आवासीय भवन, परिमाप 88 वर्ग मीटर अथवा 105.25 वर्ग गज की ईएमटी। **चौहद्दी : पूरब** : 56'-3"/श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल का मकान, **पश्चिम** : 56'-3" /हनुमान टीला मंदिर, **उत्तर** : 16'-10"/श्री भूषा शर्मा का मकान, **दक्षिण** : 16'-2"/15' चौड़ा रास्ता	रू. 16,00,000.00 (रूपए सोलह लाख मात्र)	रू. 1,60,000.00 (रूपए एक लाख साठ हजार मात्र)	रू. 16,01,855.00 (रूपए सोलह लाख एक हजार आठ सौ पचपन मात्र) 07-12-2015 तक + पार्टी को जारी की गई सरफासी मांग सूचना दिनांकित 07-12-2015 के अनुसार + 30-11-2015 की प्रभावी तिथि से उस पर सभी लागतें, प्रभार, खर्चे तथा अन्य अनुषंगी व्यय। बकाया देयताएं : स्थानीय सरकार (सम्पत्ति कर, जल कर, बिजली बिल इत्यादि) = बैंक को ज्ञात नहीं	खाता नंबर - 4271296000001 आईएफएससी - सीएनआरबी0004271 शाखा : एसएमई खुर्जा

ईएमई 30-01-2020 को अथवा पूर्व 1700 बजे तक जमा की जानी चाहिए। सम्पत्ति का निरीक्षण 28-01-2020 से 29-01-2020 तक पूर्वा. 10 बजे से अप. 05 बजे के बीच किया जा सकता है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com अथवा https://indianbankseaution.com में उपलब्ध कराया गया लिंक "E-Auction" देखें अथवा निम्नलिखित से सम्पर्क करें :
क्र. सं. 1 पर सम्पत्ति के लिए :- शाखा प्रभारी श्री वरूण सिंह, प्रबंधक, - फोन - 0120-2542546, मोबाइल - 8130693725, मेल आईडी : cb3980@canarabank.com एवं श्री सतीश गुप्ता, प्रभागीय प्रबंधक, आरएएच नोएडा, फोन - 0120-2531105, मोबाइल - 8130194692, मेल आईडी : ratailhubnoida@canarabank.com
क्र. सं. 2 एवं 3 पर सम्पत्ति के लिए :- शाखा प्रभारी श्री आर के गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक, - मोबाइल - 7895991631, मेल आईडी : cb4271@canarabank.com एवं श्री मनोज कुमार तिवारी, प्रभागीय प्रबंधक, आरओ नोएडा, फोन - 0120-2424892, मोबाइल - 9205277453, मेल आईडी : crmrecronoida@canarabank.com किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय के दौरान।
ई-नीलामी के लिए सेवा प्रदाता :
मैसर्स केनबैंक कॅम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल),
श्री सत्यन्तम के एम, मोबाइल : 9480691777 , ई-मेल : eauction@ccsl.co.in
श्री रमेश टी एच, मोबाइल : 8880531165, ई-मेल : kushal.b@antaressystems.com

तिथि : 30-12-2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : नोएडा **केनरा बैंक**

Archies
The most special way to say you care
ARCHIES LIMITED
Regd. Office: 191F, Sector-4, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050
CIN: L36999HR1990PLC041175, Web: www.archiesonline.com
Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 4966666, Fax: +91 124 4966650.

NOTICE

Notice is given pursuant to the Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Code of the Company under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended from time to time, we would like to inform you that the trading window for the purpose of trading in the securities of the Archies Limited ("Company") by its Designated persons shall remain closed from January 01, 2020 till 48 (Forty Eight) hours after the conclusion of the Meeting of the Board of Directors of the Company to be held for the purpose of consideration and approval of the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ending December 31, 2019. The date and venue of Board Meeting for the aforesaid purpose shall be intimated to you in due course.

Information in this regard is also available on the website of the Company i.e. www.archiesonline.com and on the website of stock exchanges i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Archies Limited
sd/-
Hitesh Kumar
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 01.01.2020

निगम ने संपत्तिकर में सौ फीसद छूट का एलान किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आम माफी योजना बकाया संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मेयर अवतार सिंह ने मंगलवार को बताया कि संपत्तिकर की आम माफी योजना के तहत उत्तरी निगम के सभी संपत्ति करदाताओं को बकाया संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माने में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट एक से 15 जनवरी 2020 तक ही उपलब्ध होगी। अधिकारियों को नगद की जगह डीडीए पेमेंट गेटवे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।

आज के कार्यक्रम

सभी संगोष्ठी/ प्रदर्शनी

आइफैक्स : नीधि, मोहित भारद्वाज, गणेश प्रसाद साहू, कृष्णा श्रेष्ठ, आदि की सामूहिक कला प्रदर्शनी 'अलख्या' का आयोजन, आइफैक्स गालरी, रफीमार्ग, सुबह 11 बजे से, 2 जनवरी 2020 तक।
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : मौतुसी चक्रबोर्ती की कला प्रदर्शनी, आर्ट गैलरी, कमला देवी ब्लॉक, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्समूलर मार्ग, पूर्वाह्न 11 बजे से, 3 जनवरी 2020 तक।

विविध

इंडिया हेबीटाट सेंटर : नृत्य-संगीत , स्टेन सभागार, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

केनरा बैंक
Canara Bank
(भारत सरकार का उपक्रम)

क्रेडिट समीक्षा मानीटरन एवं वसूली अनुभाग,
आंचलिक कार्यालय, सी-3, सेक्टर-1, नोएडा
फोन-0120-2424896 ई-मेल : crmrecronoida@canarabank.com

बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित कब्जा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, संबंधित पार्टियों से बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर दिनांक 08-01-2020 को अप. 12.30 बजे से अप. 01.30 बजे तक (बिक्री की समाप्ति तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों तथा न्यूनतम बोली वृद्धि राशि 10,000.00 के साथ) बेची जाएगी।**

अचल सम्पत्तियों, सुरक्षित मूल्य, ईएमडी, देयताओं और ज्ञात ऋणभार(रों), यदि कोई, का पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	सम्पत्तियों विवरण	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी	मांग सूचना के अनुसार	ईएमडी खाता विवरण
1.	वेर्ना 1.5 सीआरडीआई एसएक्स (ओ) रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी14डीवाई 2836 माडल :- 2018 रंग : पोलर व्हाइट क्यूबिक क्षमता : 1582 सीसी इंजन नंबर : डी4एफबीजेएम 663231 चेसिस नंबर : एमएसी841डीएलजेएम090030 **श्रीमती नीतू पत्नी यशवीर के नाम**	रू. 9.50 लाख (रूपए नौ लाख पचास हजार मात्र)	रू. 95,000.00 (रूपए पिच्यानवे हजार मात्र)	रू. 13,66,042.62 (रूपए तेरह लाख छियासठ हजार बयालीस तथा पैसे बासठ मात्र)	खाता नंबर - 2647296000001 आईएफएससी - सीएनआरबी0002647 शाखा : एसएमई गाजियाबाद
2.	क्रेटा 1.6 सीआरडीआई एसएक्स (ओ) रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी14डीएक्स 1578 माडल :- 2018 रंग : पोलर व्हाइट क्यूबिक क्षमता : 1582 सीसी इंजन नंबर : डी4एफबीजेएम 662438 चेसिस नंबर : एमएएलसी381यूएलजेएम465777 **श्री गौरव कुमार पुत्र श्री किशन लाल के नाम**	रू. 8.50 लाख (रूपए आठ लाख पचास हजार मात्र)	रू. 85,000.00 (रूपए पिच्यासी हजार मात्र)	रू. 15,28,192.62 (रूपए पंद्रह लाख अट्ठाईस हजार एक सौ बानवे तथा पैसे बासठ मात्र)	खाता नंबर - 2647296000001 आईएफएससी - सीएनआरबी0002647 शाखा : एसएमई गाजियाबाद

ईएमई 07-01-2020 को अथवा पूर्व 17:00 बजे तक जमा की जानी चाहिए। वाहनों का निरीक्षण 06-01-2020 से 07-01-2020 तक पूर्वा. 10 बजे से अप. 05 बजे के बीच किया जा सकता है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com अथवा https://indianbankseaution.com में उपलब्ध कराया गया लिंक "E-Auction" देखें अथवा निम्नलिखित से सम्पर्क करें :
क्र. सं. 1 एवं 2 पर सम्पत्ति के लिए :- शाखा प्रभारी श्री कुमार गौरव, मुख्य प्रबंधक तथा प्राधिकृत अधिकारी, - फोन - 0120-2702186, मोबाइल - 8130693736, मेल आईडी : cb2647@canarabank.com किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय के दौरान।
ई-नीलामी के लिए सेवा प्रदाता :
मैसर्स केनबैंक कॅम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल),
श्री सत्यन्तम के एम, मोबाइल : 9480691777 , ई-मेल : eauction@ccsl.co.in
श्री रमेश टी एच, मोबाइल : 8880531165, ई-मेल : kushal.b@antaressystems.com

तिथि : 30-12-2019, स्थान : नोएडा **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

कहासुनी के बाद किशोर की चाकू घोंपकर हत्या

फरीदाबाद, 31 दिसंबर (जनसत्ता)।

व्हर्लपूल चौक स्थित धर्मकांटे के सामने सोमवार आधी रात 12 बजे मामूली कहासुनी के बाद एक 16 वर्षीय किशोर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने मंगलवार सुबह करीब नौ बजे चौक पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस और स्थानीय नेताओं ने लोगों को शांत कराया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया गया है।

धर्मकांटे पर ऑपरेटर का काम करने वाले मुकेश यादव के बयान पर दर्ज मुकदमे में बताया कि वह यहां काम करता है और परिवार सहित यहीं रहता है। कुछ दिन पूर्व उसका भांजा सोनवीर उसके पास छुट्टियां मनाने आया हुआ था। सोनवीर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। सोमवार रात वह, उसका भांजा सोनवीर और रिश्ते में भाई लगने वाला पुष्पेंद धर्मकांटा के अंदर बने कमरे में लेटे थे। रात करीब 12 बजे सोनवीर और पुष्पेंद मोबाइल फोन पर फिल्म देख रहे थे। इस दौरान कमरे के गेट को कुछ युवक बाहर से जोर-जोर खटखटाने लगे। इस दौरान सोनवीर दरवाजा खेलकर बाहर गया और गेट पीटने का कारण पूछा। इस पर सोनवीर व युवकों के बीच कहासुनी हुई, जिस पर एक युवक ने सोनवीर की छाती पर चाकू से वार कर दिया। बचाव करने आए पुष्पेंद के हाथ में भी चाकू लगा। घायल सोनवीर को लेकर बीके अस्पताल आए। पर हृदय के पास चाकू लगने से उसकी मौत हो गई। मामले के जांच अधिकारी का कहना है कि आरपितों की तलाश की जा रही है।

वहीं गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार सुबह करीब 9 बजे परिजनों ने व्हर्लपूल चौक पर जाम लगा दिया। मौके पर मुजेसर थाना प्रभारी सुदीप कुमार, एसीपी राधेश्याम, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बलजीत कौशिक ने आश्वासन देकर जाम खुलवाया।

पीएफआइ पर प्रतिबंध की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

इस्लामी अलगाववादी कट्टरपंथी संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) पर प्रतिबंध लगेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पीएफआइ पर प्रतिबंध की मांग की है। गृह मंत्रालय ने इस आशय की संस्तुति राष्ट्रपति के पास भेजी है। उत्तर प्रदेश में हाल में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में इस संगठन का हाथ होने का संदेह है।

जनसत्ता ने 29 दिसंबर के अंक में खुफिया रिपोर्टों के हवाले से खबर छापी थी कि उत्तर प्रदेश की हिंसा संगठित थी और इसके लिए पीएफआइ पर प्रतिबंध की तैयारी की जा रही है। यूपी के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर पीएफआइ पर प्रतिबंध की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में इस संगठन के प्रमुख वसीम और 16 अन्य कार्यकर्ताओं को नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर हिंसा भड़काने का आरोप है। पुलिस प्रमुख ने बताया कि हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सिफारिश की है कि पीएफआइ पर प्रतिबंध लगाया जाए।

इस बीच, उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रतिबंधित सिमी नए रूप में सामने आया है और राज्य में हुई हिंसा में पीएफआइ की भूमिका साबित हुई है। जांच से सच्चाई सामने आ रही है। अगर सिमी किसी भी अन्य रूप में फिर से सामने आया तो उसे कुचल दिया जाएगा। मौर्य ने कहा कि पीएफआइ को प्रतिबंधित किए जाने कि प्रक्रिया चल रही है। ऐसे संगठनों को पनपने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

पुलिस ने पिछले सप्ताह बताया था कि वसीम हिंसा का कथित मास्टरमाइंड था। लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने संवाददाताओं से कहा था कि हमने हिंसा के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पीएफआइ के वसीम, नदीम और अशफाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वसीम पीएफआइ का प्रदेश प्रमुख है। अशफाक कोषाध्यक्ष है, जबकि नदीम सदस्य है।

उनके पास से नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों के प्लेकार्ड, झंडे, पर्चे, साहित्य, अखबार की कटिंग, बैनर और पोस्टर बरामद किए गए थे। पूछताछ के दौरान नदीम और अशफाक ने पुलिस को बताया था कि लखनऊ में 19 दिसंबर को हुई हिंसा के लिए उन्होंने रणनीति बनाई थी और इसे सोशल मीडिया पर प्रचारित किया था।

ट्रेनों के अंदर भी सीसीटीवी लगाएगा रेलवे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

- रेल में होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय की पहल
- पहले चरण में 7020 कोच में सीसीटीवी लगाने की योजना
- कैमरे कोच के मुख्य गेट, बाथरूम के बाहर व गलियारे में लगाए जाएंगे

यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे ट्रेन में होने वाली चोरी, झपटमारी समेत अन्य गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के लिए रेलवे ने पहल कर दी है। इसके अनुभव के आधार पर अन्य यात्री ट्रेन में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

यह परियोजना आर्टिफिशियल सिक्योरिटी के तहत पूरी की जाएगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने बताया कि इसके तहत हर ट्रेन में सीसीटीवी लगाने की योजना है। किसी भी यात्री की निजता सीसीटीवी से प्रभावित नहीं हो। इसके लिए ये कैमरे ट्रेन के मुख्य गेट, बाथरूम के बाहर व कोच के गलियारे में लगाए जाएंगे। इसका लाभ होगा कि चोरी या अन्य किसी भी प्रकार गड़बड़ी में संबंधित व्यक्ति का चेहरा पहचानने में मदद मिलेगी। पहले चरण में 7020 कोच में सीसीटीवी लगाने की योजना है। इसके तहत ईएमयू और प्रीमियम कोच में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ट्रेन में सीसीटीवी लगाने के लिए रेलवे ने टेंडर जारी कर दिए हैं और जल्द ही कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मंत्रालय के मुताबिक वीडियो को किसी भी घटना व अपराध में प्रमाण के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकेगा। रेल सेवाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे लगातार नई- नई तकनीक का प्रयोग कर रहा है।

रेलवे स्टेशन से शुरू की गई थी योजना

रेल मंत्रालय ने रेल परिसरों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने के कार्य की शुरुआत की थी। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 500 से अधिक परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक सीट पर एक यात्री की व्यवस्था को लागू करने के लिए रेल मंत्रालय आरपीएसफ की मदद ले रहा है और आपदा प्रबंधन के लिए बंगलुरु में एक विशेष केंद्र भी बनाया गया है। मंत्रालय के मुताबिक पहली बार आरपीएफ की एक विशेष फोर्स 'कोरस' भी तैयार की गई है।

आरपीएफ का नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। सोमवार को जारी एक आदेश के मुताबिक मंत्रालय ने आरपीएफ को संगठित ग्रुप (ए) का दर्जा दिया है और इसका नाम बदल दिया है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त सचिव अमिताभ जोशी ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं।

आदेश में हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आदेशों के बाद कैबिनेट के निर्णय के मद्देनजर आरपीएफ को संगठित समूह ए (ओजीएएस) का दर्जा दिया गया है। इन आदेशों के बाद सूचित किया गया है कि आरपीएफ को भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के तौर पर जाना जाएगा। ज्ञात हो कि रेलवे सुरक्षा बल का गठन अधिनियम 1957 के तहत हुआ था। इससे पूर्व 1965 में आरपीएफ का नाम रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स किया गया था। हाल ही में रेलवे के माध्यम से एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 166 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में किसी भी यात्री की जान नहीं गई है।

इसके पीछे मंत्रालय ने यात्री सुरक्षा प्रथम के नारे को आधार बनाया था। इसे लागू करने में आरपीएफ ने अहम भूमिका निभाई।

राजस्थान में जरूरत से ज्यादा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन हुआ

जैसलमेर, 31 दिसंबर (भाषा)।

पश्चिमी राजस्थान में वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन में बदलाव की बयार बह रही है जहां वायु एवं सौर ऊर्जा की मदद से लगातार दसवें साल आवश्यकता से अधिक बिजली पैदा हुई। इस पहल के चलते प्रदेश में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों में काफी हद तक कमी आई है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जैसलमेर क्षेत्र में, पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 3933.52 मेगावॉट और सौर ऊर्जा का उत्पादन 113 मेगावॉट होता है। अधिकारी ने कहा, 'पवन चक्कियां औसतन कुल स्थापित क्षमता का 25 से 30 फीसद उत्पादन करती हैं।'

नीट यूजी आवेदन की तिथि छह जनवरी तक बढ़ी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को 6 जनवरी तक बढ़ा दिया है। पहले मंगलवार तक ही आवेदन की जा सकते थे।

एनटीए से मिली जानकारी के मुताबिक वेबसाइट पर अधिक लोगों के आने की वजह से कुछ आवेदकों ने अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है। उम्मीदवार 7 जनवरी रात 11:50 बजे तक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने आवेदन में 15 से 30 जनवरी 2020 तक सुधार कर सकेंगे। कश्मीर घाटी, लेह और कारगिल के उम्मीदवार एनटीए के बनाए केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। इसकी जानकारी एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

MERGER OF BRANCH

Due to administrative exigencies, it has been decided to merge our Kingsway Camp Branch (1071) with Parmanand Colony Branch (1946), under Delhi North Region with effect from

01/04/2020

The combined branch shall be functioning at the following address:
Muthoot Finance Ltd.
Ground Floor, B-327,
Parmanand Colony, Delhi - 110009
Phone: 011 - 27607956/57/58
Email: mgpar1946@muthootgroup.com
We solicit your committed patronage and support.

Muthoot Finance
muthootfinance.com

इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड
CIN: L74899DL1995PLC068021 | पंजी. कार्यालयः जीएफ-12ए, 94, मेघदूत बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19
कॉर्पो. कार्यालयः बी-8, सेक्टर-132, नोएडा-201304 (उत्तर प्रदेश) | टेली.: 0120-3082000;
फैक्सः 0120-3082095, वेबः http://www.infoedge.in/; ईमेलः investors@naukri.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (एलओडीआर) के विनियमन 47(1) के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक **बुधवार, 12 फरवरी, 2020** को कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय अथवा निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की जाने वाली किसी अन्य पते पर आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ सांविधिक लेखा-परीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।
एलओडीआर के विनियमन 46(2) तथा 47(2) के अनुसार उक्त बैठक का विवरण कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् http://www.infoedge.in/ एवं स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट http://www.bseindia.com एवं http://www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेश से
इंफो एज (इंडिया) लि. के लिये
एमएम जैन
एसवीपी-साचिविक एवं कम्पनी सचिव

तिथिः 31 दिसम्बर, 2019
स्थानः नोएडा

CORDS कोर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 94, 1ला तल, शम्भु दयाल बाग मार्ग, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-III, ओल्ड ईश्वर नगर, नई दिल्ली-20, टेली.: 011-40551200
*Fax No. 011-40551281 *Website: www.cordscable.com
*E-mail: ccil@cordscable.com
*CIN L74999DL1991PLC046092

सूचना

सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के प्रावधानों तथा इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिये कम्पनी की संहिता के अनुपालन में कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो बुधवार, 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त 3री तिमाही/9 महीने के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को सार्वजनिक किये जाने के बाद 48 घंटे की समाप्ति तक निदेशकों, पदनामित कर्मचारियों, इन्सायडरों तथा उनके नजदीकी संबंधियों के लिये बंद रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
कोर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
गरिमा पंत
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 31 दिसम्बर, 2019

HDFC BANK We understand your world
विशेष प्रचालन विभाग
5वां तल, अंसल क्लैसिक टावर, प्लाट नं. 1, जे-ब्लॉक, कम्युनिटी सेन्टर, सूर्या कन्टिनेन्टल के सामने, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027
कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) (''अधिनियम'') के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (यहां के बाद ''नियमावली'' वर्णित) के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर अधोलिखित ऋणधारक (यहां के बाद ''ऋणधारक'' वर्णित) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी बैंक लि. के लिये तथा उसकी ओर से अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित गिरवी रखी गई सम्पत्ति (''प्रतिभूत परिसम्पत्ति'') का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। जिसमें विफल रहने पर नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री कर दी जायेगी।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का व्यवसाय न करें तथा इन प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय लागतों एवं चार्जेज के साथ उस पर ब्याज के साथ बकाया राशि के लिये एचडीएफसी बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।

शाखाः

क्रम. सं	ऋणधारक का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि/कब्जा की तिथि/ बकाया राशि
1.	मै. एम.एम. पल्सेस प्रा. लि., पुर्षार्थ, द्वारा उसके निदेशकों/ गारन्टरों/मार्टगैजरों श्री मोहित मित्तल, श्री मनीश गुप्ता, श्री महेन्द्र कुमार मित्तल, सुश्री कुसुम गुप्ता, सुश्री कविता मित्तल, सुश्री स्वाती गुप्ता तथा मै. मनीष कुमार मोहित कुमार	1. आवासीय सम्पत्ति सं. 29, तरुण एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली, माप 160 वर्ग यार्ड्स 2. आवासीय सम्पत्ति सं. 30, तरुण एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली, माप 160 वर्ग यार्ड्स 3. 2651-2652-2653, प्रथम तल में व्यावसायिक सम्पत्ति, छत के अधिकार के साथ, गली रघुनंदन, नया बाजार, दिल्ली।	मांग सूचना तिथिः 09.10.2019 कब्जा की तिथिः 26 एवं 27 दिसम्बर, 2019, एचडीएफसी बैंक लि. को देय राशिः रु. 7,44,86,405.23 (रुपये सात करोड़ चौआलिस लाख छियालिस हजार चार सौ पांच एवं पैसे तैईस मात्र) तथा खर्चे एवं चार्जेज, आदि के साथ उक्त रूप में 1.10.2019 से उस पर ब्याज
2.	मै. वेदांश एग्री इन्टरनैशनल, पुर्षार्थ, द्वारा उसके पार्टनर्स/गारन्टरों/मार्टगैजरों श्री मोहित मित्तल, श्री मनीश गुप्ता, श्री महेन्द्र कुमार मित्तल, सुश्री कुसुम गुप्ता, सुश्री कविता मित्तल, सुश्री स्वाती गुप्ता तथा मै. मनीष कुमार मोहित कुमार	1. आवासीय सम्पत्ति सं. 29, तरुण एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली, माप 160 वर्ग यार्ड्स 2. आवासीय सम्पत्ति सं. 30, तरुण एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली, माप 160 वर्ग यार्ड्स 3. 2651-2652-2653, प्रथम तल में व्यावसायिक सम्पत्ति, छत के अधिकार के साथ, गली रघुनंदन, नया बाजार, दिल्ली।	मांग सूचना तिथिः 09.10.2019 कब्जा की तिथिः 26 एवं 27 दिसम्बर, 2019, एचडीएफसी बैंक लि. को देय राशिः रु. 8,90,49,088.72 (रुपये आठ करोड़ नब्बे लाख उन्चास हजार अठासी तथा पैसे बहत्तर मात्र) तथा खर्चे एवं चार्जेज, आदि के साथ उक्त रूप में 1.10.2019 से उस पर ब्याज
3.	मै. शिवांश फूड मार्ट, पुर्षार्थ द्वारा उसके पार्टनर्स/गारन्टरों/मार्टगैजरों श्री मोहित मित्तल, श्री मनीश गुप्ता, श्री महेन्द्र कुमार मित्तल, सुश्री कुसुम गुप्ता, सुश्री कविता मित्तल, सुश्री स्वाती गुप्ता तथा मै. मनीष कुमार मोहित कुमार	1. आवासीय सम्पत्ति सं. 29, तरुण एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली, माप 160 वर्ग यार्ड्स 2. आवासीय सम्पत्ति सं. 30, तरुण एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली, माप 160 वर्ग यार्ड्स 3. 2651-2652-2653, प्रथम तल में व्यावसायिक सम्पत्ति, छत के अधिकार के साथ, गली रघुनंदन, नया बाजार, दिल्ली।	मांग सूचना तिथिः 09.10.2019 कब्जा की तिथिः 26 एवं 27 दिसम्बर, 2019, एचडीएफसी बैंक लि. को देय राशिः रु. 18,96,54,434.20 (रुपये अठारह करोड़ छियानवे लाख चौवन हजार चार सौ चौंतीस तथा पैसे बीस मात्र)

तिथिः 27.12.2019
स्थानः दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लि.

IDBI BANK आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN: L65190MH2004GOI148838
38, हरपुर, कोतवाली के पास, सिविल लाइंस, हरपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश –277001
परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)]
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**, की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्याक 54) के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 20.01.2019** को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी **मैसर्स चंदर बुक डिपो (प्रोपराइटर– संजय केशरी)** को नोटिस में वर्णित, बकाया राशि **रु. 9,22,167.59/– (रुपए नौ लाख बाईस हजार एक सौ सड़सठ और उनसठ पैसे मात्र)** उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।
ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा **दिनांक 27, दिसंबर 2019** को ले लिया है।
ऋणी एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन–देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन–देन **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** की बकाया राशि **रु. 9,22,167.59/–** व आगे के ब्याज के अधीन होगा।
सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

नंबर 153 के सभी खंड और अंश, क्षेत्र 850 वर्ग फुट, मौजा–बहादुरपुर, मुतलाईक ब्राह्मण, तहसील– सदर, जिला–बलिया 277001, सदर तालुका और पंजीकरण उप–जिला बलिया, जिला और पंजीकरण जिला बलिया उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है, जोकि श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी राज किशोर प्रसाद केशरी के नाम पर है। **सीमाएं:**
उत्तर में : एल/ओ सुरेश राम
दक्षिण में : 14' चौड़ा कच्चा रास्ता
पूर्व में : एच/ओ बालेश्वर पांडे
पश्चिम में: ओम प्रकाश गुप्ता का बाड़ा
संपत्ति के सभी भाग और अंश के साथ भवन और संरचना के सभी प्लॉट और अन्य जमीन से जुड़ी या स्थायी रूप तो जमीन से जोड़ी हुई सभी मशीनरी शामिल हैं।

दिनांकः 27.12.2019, स्थानः बलिया (यूपी) **प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

IDBI BANK आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN: L65190MH2004GOI148838
38, हरपुर, कोतवाली के पास, सिविल लाइंस, हरपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश –277001
परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)]
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**, की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्याक 54) के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 20.09.2019** को ऋणी **मैसर्स भृगु प्रकाशन (प्रोपराइटर– दयाशंकर पांडे)** को नोटिस में वर्णित, बकाया राशि **रु. 26,87,003/– (रुपए छबबीस लाख सत्तासी हजार तीन मात्र)** उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।
ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा **दिनांक 27, दिसंबर 2019** को ले लिया है।
ऋणी एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन–देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन–देन **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** की बकाया राशि **रु. 26,87,003/–** व आगे के ब्याज के अधीन होगा।
सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

ए. नं. 298/1 के सभी खंड और अंश, क्षेत्र 131.44 वर्ग मीटर में रामपुर उदयभान, परगना और तहसील– सदर, जिला–बलिया 277001, सदर तालुका और पंजीकरण उप–जिला बलिया, जिला और पंजीकरण जिला–बलिया उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जोकि श्रीमती मनभरनि देवी पत्नी श्री शिवजी पांडे के नाम पर है। **सीमाएं:**
उत्तर में : माधोपुर की सीमा बी/ओ अन्य
दक्षिण में : लेन फिर जेल कंपाउंड
पूर्व में : बी/ओ शिव शंकर प्रसाद
पश्चिम में : उषा चौबे की भूमि
संपत्ति के सभी भाग और अंश के साथ भवन और संरचना के सभी प्लॉट और अन्य जमीन से जुड़ी या स्थायी रूप तो जमीन से जोड़ी हुई सभी मशीनरी शामिल हैं।

दिनांकः 27.12.2019, स्थानः बलिया (यूपी) **प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

प्ररूप ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

एसकेएसपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट व्यक्ति का नाम	एसकेएसपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	21/09/2016
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित/ पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित देयता पहचान कॉर्पोरेट व्यक्तियों की संख्या	U70109DL2016PTC315753
5.	कार्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	मकान संख्या 47, लैंडमार्क न्यू कोर्ट के सामने, गोकुल मार्केट, तीस हजारी, नई दिल्ली – 110054
6.	कार्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि	28/12/2019
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या	**अमित कौशल** **पता:** 9-02 ग्रेसमेट, हिमेस कॉलोनी, नई दिल्ली – 110024 **ईमेल:** aka_pcs@yahoo.com **संपर्क विवरण:** 9310050390, 011-46074119 **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-002/IP-N00041/2016-17/10080
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	**27/01/2020**

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **एसकेएसपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड** में **28 दिसम्बर 2019** को स्वैच्छिक परिसमापन आरंभ किया है।
एसकेएसपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को एतद्द्वारा मद 7 के समक्ष उल्लिखित पते पर परिसमापक के पास **27 जनवरी 2020** को या इससे पूर्व अपने दावे के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही उपरोक्त दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
परिसमापक का नाम और हस्ताक्षर – **अमित कौशल**
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00041/2016-17/10080
दिनांक: 31.12.2019
स्थान: नई दिल्ली

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	कुट एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	25 मई, 2007
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार-हिमाचल प्रदेश (कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत)
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित दायित्व पहचान संख्या	U40101HP2007PTC030745
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजी. कार्यालयः कैथ हाउस, एच.एस. खानेरी पेट्रोल पम्प के निकट, तहसील रामपुर बुशाहर, रामपुर बुशाहर, शिमला, हिमाचल प्रदेश-172001-आईएन
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	7 अक्टूबर, 2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	01 जनवरी, 2020
8.	संहिता की धारा 25 (2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	विवरण rp.kutenergy@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकती है।
9.	धारा 29 ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	www.ibbi.gov.in की वेबसाईट पर उपलब्ध अथवा rp.kutenergy@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	16 जनवरी, 2020
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	26 जनवरी, 2020
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	31 जनवरी, 2020
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	10 फरवरी, 2020
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	31 जनवरी, 2020
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	विवरण rp.kutenergy@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकती है।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	01 मार्च, 2020
17.	प्रस्ताव कर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	rp.kutenergy@gmail.com पर ई-मेल भेजकर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में तथा क्रम सं. 21 में दिये गये पते पर मुहरबंद लिफाफे में स्पीड डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	31 मार्च, 2020
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	महेश बंसल IBBI/IPA-001/IP-P00785/2017-2018/11341
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	महेश बंसल मै. महेश बंसल एंड एसोसिएट्स एससीएफ 24, प्रथम तल, भदौर हाउस, लुधियाना 141008 (पंजाब) ई-मेलः emmbee.consulting@gmail.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	महेश बंसल मै. महेश बंसल एंड एसोसिएट्स एससीएफ 24, प्रथम तल, भदौर हाउस, लुधियाना 141008 (पंजाब) ई-मेलः rp.kutenergy@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	अधिक विवरण rp.kutenergy@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	01 जनवरी

जनसत्ता

1 जनवरी, 2020

कुप्रबंधन का हासिल

भारत में विमानन कंपनियों का जिस तरह से भट्ठा बैठता जा रहा है, वह चिंता का विषय है। हालात बता रहे हैं कि अगर सरकार ने विमानन क्षेत्र के लिए जल्द ही सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो देश का विमानन उद्योग चौपट हो जाएगा। इस वक्त देश की सबसे बड़ी सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया जिस दयनीय हालत से गुजर रही है, उससे तो लग रहा है कि भारत में विमानन कंपनियों का भविष्य अंधकारमय है। ताजा खबर यह है कि एअर इंडिया को जल्द ही कोई खरीदार नहीं मिला तो छह महीने के भीतर कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी पर इस वक्त साठ हजार करोड़ रुपए का कर्ज है और सरकार को इससे निपटने का एकमात्र रास्ता इसके विनिवेश का दिख रहा है। लंबे समय से कोशिशें चल रही है कि इसे किसी को बेच कर पिंड छुड़ा लिया जाए, लेकिन किसी ने भी अब तक इसे खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। हालांकि सरकार इसे जिंदा रखने के लिए बतौर ऑक्सीजन इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पैसा डालती रही है, लेकिन इससे सिर्फ यही संभव हो पा रहा है कि कंपनी किसी तरह से अपनी सेवाओं को बनाए हुए है। सिर्फ एअर इंडिया ही नहीं, दूसरी विमान कंपनियों ने भी पिछले कुछ सालों में जिस तरह से दम तोड़ा है, उससे यह तो साफ हो गया है कि इस क्षेत्र में कारोबार की प्रबल संभावनाओं के बाद भी भारत अभी तक विमानन क्षेत्र को संभालने और सुचारू रूप से चलाने के लायक नहीं बन पाया है।

एअर इंडिया के विनिवेश की चर्चा लंबे समय से चल रही है। पिछले साल भी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाए थे। लेकिन मामला सिरे इसलिए नहीं चढ़ पा रहा, क्योंकि एक तो सरकार चौबीस फीसद शेयर और अधिकार अपने पास रखना चाहती है और दूसरी बड़ी समस्या यह है कि कंपनी पर इतना ज्यादा कर्ज है कि कोई भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। लगातार कर्ज बढ़ने से यह संकट और गहराता जा रहा है। विनिवेश की चर्चाओं के बाद कंपनी में नियुक्तियां, पदोन्नति जैसे काम रोक दिए गए और पंद्रह जुलाई तक के खाते भी बंद कर दिए गए थे, ताकि बोली लगाने के लिए इन्हीं खातों को आधार बनाया जा सके। कंपनी में इस वक्त दस हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं। कंपनी की माली हालत खराब होने की वजह कुप्रबंधन तो है ही, उससे भी बड़ा कारण यह है कि सरकार पर इसका लंबे समय से ग्यारह सौ करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया है। इसमें पांच सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया तो सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय पर ही है। जाहिर है, अतिविशिष्ट लोगों की चार्टर उड़ानों की इस बकाया रकम ने भी एअर इंडिया को खोखला करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज हालत यह है कि विमानों के इंजन बदलने तक के लिए भी कंपनी मदद का मुंह ताक रही है।

कभी देश की नबंर-एक कंपनी होने का दावा करने वाली जेट एअरवेज भी ऐसे ही खत्म हुई। यह विमानन कंपनियों के लिए खतरे की घंटी थी। लेकिन तब हमने कोई सबक नहीं सीखा और कोई ऐसे नीतिगत कदम नहीं उठाए जो और कंपनियों को इस हालत में पहुंचने से रोकते। माना जा रहा था कि जितनी ज्यादा कंपनियां बाजार में होंगी, उतनी ही प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विमानन क्षेत्र मजबूत बनेगा। लेकिन होता उल्टा गया। कंपनियां भारी घाटे में जाती रहीं, प्रबंधन खतरे को भांप नहीं पाए। किंगफिशर, जेट जैसी कंपनियों पर बैंकों का भारी कर्ज चढ़ता गया। अब एअर इंडिया भी उसी रास्ते पर है।

विकास के सामने

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कायम सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वे विकास के लिए जरूरी मानकों को केंद्र में रख कर काम करें और हर क्षेत्र में संतुलन के साथ आगे बढ़ें। भारत जैसे संघीय और लोकतांत्रिक ढांचे में यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में विकास संतोषजनक और संतुलित स्वरूप में दिखे। यह सही है कि इस ढांचे में जो पहले से सक्षम और मजबूत राज्य हैं, वहां उपलब्धियों का पैमाना पिछड़े राज्यों से ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहीं एक सवाल उभर कर सामने आता है कि अगर कमजोर और पिछड़े माने जाने वाले राज्यों में विकास के बुनियादी तत्त्वों की अनदेखी होती है या संसाधनों की कमी या फिर अन्य वजहों से जरूरी मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, तो क्या वह विकास की दौड़ में और नहीं पिछड़ता जाएगा? भारत में नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में एक बार फिर इसी तरह की तस्वीर उभरी है, जिसमें दक्षिण के कुछ राज्यों ने समग्र विकास के मामले में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बेहद निराशाजनक स्थिति रही। मसलन, सतत विकास के केंद्र सरकार के मानकों पर केरल पहले स्थान पर रहा, जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

गौरतलब है कि सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी, भारत सूचकांक-2019 में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की उपलब्धियों के आधार पर उनके प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और उनके स्थान निर्धारित किए जाते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस कसौटी पर सत्तर अंकों के साथ केरल शीर्ष पायदान पर बना रहा। हालांकि इस बार केंद्र शासित प्रदेशों में से चंडीगढ़ ने भी सत्तर अंक हासिल किए। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना तीनों ही संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। जाहिर है, इन राज्यों ने सतत विकास लक्ष्यों के अलग-अलग पैमानों पर संतोषजनक प्रदर्शन किया, लेकिन कई स्तरों पर अभी उन्हें बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है। विडंबना यह है कि इस आकलन में बिहार और झारखंड जैसे राज्य सबसे निचले स्तर पर हैं, जहां अमूमन हर क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने की जरूरत सबसे ज्यादा है। यह किसी से छिपा नहीं है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में बिहार या झारखंड में क्या स्थिति है। पर्यावरण का सवाल भी विकास के सरोकार में शामिल नहीं हो सका है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के मसले पर कई स्तरों पर उपेक्षा भी हुई। इन राज्यों में आज भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा काफी सुधार की मांग करता है, क्योंकि समाज के कमजोर तबकों की निर्भरता इन्हीं पर है। रोजगार की हालत में कोई खास प्रगति न होना भी इन राज्यों की तस्वीर को दयनीय बनाता है।

सवाल है कि इन राज्यों में विकास के सरकारी दावों के जरिए राज्य के लोगों और देश के बाकी हिस्सों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिशें नतीजा देने के स्तर पर इस कदर पिछड़ी क्यों हैं? यह अच्छा है कि पिछले कुछ सालों के दौरान विकास भारतीय राजनीति का भी मुख्य मुद्दा बना है और राजनीतिक बहसें भी इसी विषय पर केंद्रित होने लगी हैं। लेकिन यह भी सच है कि विकास की व्याख्या के लिए आमतौर पर अर्थव्यवस्था के ग्राफ को पैमाना बना कर पेश किया जाता है, जबकि सामाजिक स्तर पर विकास के दूसरे क्षेत्रों में प्रगति के मसलों पर चर्चा कम की जाती है। सवाल है कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मोर्चे पर क्रमिक और सतत सुधार की स्थिति नहीं बनी रहती है तो ऐसे में आर्थिक उपलब्धियों को विकास का पर्याय मानना कैसी तस्वीर बनाएगा!

कल्पमेधा

खून की नदियां बहाने के बजाय एक आंसू पोंछने में अधिक सच्ची प्रसिद्धि है।

– बायरन

धुंध में उड़ान की सीमाएं

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

कोहरे आदि के कारण जब विमानों को अपने लक्षित हवाई अड्डे की जगह कहीं और मोड़ दिया जाता है, तब भी कंपनी को घाटा उठाना पड़ता है। इसीलिए लक्षित हवाई अड्डे पर मौसम खराब होने पर कंपनियां अक्सर उड़ानों में देर करती जाती हैं, जबकि इस स्थिति से अनजान यात्री अपने गंतव्य वाले हवाई अड्डे के मौसम को सुधरते देखकर यह नहीं समझ पाते कि उनकी उड़ान बार-बार देरी से होने और इस देरी के बढ़ते चले जाने का असली कारण आर्थिक है, तकनीकी नहीं।

सर्दियों में धुंध और कोहरे के कारण नागरिक विमान सेवाओं के ठप हो जाने से परेशान हवाई यात्रियों के मन में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि चंद्रमा और मंगल ग्रह तक यान भेजने की तैयारी करने वाले भारत में अभी तक ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध हो सकी हैं जो हर साल लाखों यात्रियों को होने वाली इस मौसमी असुविधा का समुचित समाधान कर सकें। इस संदर्भ में नागरिक विमानन सेवाओं के प्रति कोई धारणा बना लेने से पहले यह जरूरी है कि हवाई यात्रियों को दृश्यहीनता के वातावरण में उड़ान भरने की समस्या के हर पहलू की जानकारी हो। इस सच्चाई से अधिकांश यात्री अनभिज्ञ होते हैं कि अभी तक ऐसा कोई हवाई अड्डा विश्व में नहीं है जहां शून्य दृश्यता में भारी यात्री विमानों के उतरने की सुविधा हो। हां, यह जरूर है कि शून्य दृश्यता के बहुत नजदीक पहुंच जाने तक यह संभव है। हवाई पट्टी धरातल से सौ मीटर तक की ऊंचाई तक और रनवे विजुअल रेंज (वह क्षैतिज दूरी जहां से उतरने के लिए विमान को हवाई पट्टी की शुरुआत पर लगे चिह्न और सेंटर लाइन दिखाई देने लगते हैं) कम से कम पचास फीट होने तक विमान का उतरना और उड़ान भरना संभव हो सके। ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने वाले उपकरण का नाम है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आइएलएस)। यह उपकरण हवाई पट्टी के बीचों-बीच एक रेडियो बीम उपलब्ध कराता है, जिसकी सीध में विमान की नाक बनाए रख कर पायलट विमान को पट्टी पर उतारता है। इस प्रणाली का दूसरा अंग धरातल से एक कोण पर उठती हुई रेडियो बीम होती है, जिसकी मिसाल बच्चों के फिसलने के लिए बनाई गई फिसलपट्टी से दी जा सकती है। इस रेडियो बीम के साथ-साथ चलते हुए विमान को ऊंचाई से नीचे तक लाया जा सकता है। कॉकपिट में पायलट इन दोनों रेडियो बीमों से विमान की आड़ी और खड़ी दूरी एक डायल पर देख कर विमान की दिशा और उतरने की गति में आवश्यक सुधार करता चलता है, साथ ही उसके कानों में इस उपकरण से आवश्यक निर्देश चुनी हुई भाषा (प्रायः अंग्रेजी) में मिलता जाता है। इनकी सहायता से विमान इतनी नीचाई तक उतारा जा सकता है, जहां से हवाई पट्टी को अपनी आंखों से देख कर पायलट लैंडिंग पूरी कर सके।

आइएलएस उपकरण तीन श्रेणियों के होते हैं। प्रथम श्रेणी अर्थात कैट वन आइएलएस की सहायता से विमान दो सौ फीट की ऊंचाई तक उतारा जा सकता है और उसके बाद उतरने के लिए सामने की दृश्यता परास कम से कम साढ़े पांच सौ मीटर तक होनी चाहिए, जहां से पायलट अपनी आंखों का इस्तेमाल करके ही विमान नीचे उतारता है। कैट टू में सौ फीट ऊंचाई और साढ़े तीन सौ मीटर रनवे विजुअल रेंज की सीमा होती है। कैट थ्री सिस्टम तीन तरह के होते हैं- 3 ए में कम से कम पचास फीट ऊंचाई और 200 मीटर की दृश्यता की सीमा होती है। कैट 3 बी सिस्टम में कम से कम पचास मीटर की दृश्यता चाहिए। अब रहा कैट 3 सी सिस्टम। सैद्धांतिक रूप से तो इसमें न्यूनतम ऊंचाई और दृश्यता की नहीं होती, लेकिन शून्य दृश्यता और शून्य ऊंचाई अर्थात रनवे पर विमान के छूने तक विमान को कैट 3 सी उपकरणों की सहायता से उतार लेने में समर्थ कोई सिस्टम न्यूयार्क के केनेडी हवाई अड्डे और लंदन के हीथ्रो के अलावा कहीं और नहीं हैं। ऐसे में पूरी दृश्यहीनता में उड़ान भरना केवल एक परिकल्पना है असलियत नहीं।

इसके बाद भी यह ध्यान में रखना होगा कि केवल हवाई अड्डे पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध करा देने से आइएलएस का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता। इस सुविधा को इस्तेमाल करने के लिए विमानों के अंदर भी समान उपकरण का होना अनिवार्य है। इस उपकरण का पूरा उपयोग करने के लिए पायलटों का प्रशिक्षण भी उतना ही आवश्यक है। फिर प्रशिक्षण भी एक बार दे देने से काम नहीं चलेगा, पायलटों को इस उपकरण का इस्तेमाल करने का नियमित अभ्यास भी चाहिए। इतना सब होने के बाद श्रेष्ठतम आइएलएस से भी विमानपत्तन में उतरने के बिंदु तक जहाज ले जाने और फिर पार्किंग-बे तक जहाज को ले जाने में किसी तरह की मदद नहीं मिलती। इस दौरान विमान की किसी अन्य विमान से या अन्य किसी चीज से टकरा कर हो जाने वाले हादसे में विमान के पायलट को कभी माफ नहीं किया जाता। नतीजा यह होता है

कि धुंध में जहाज को टैक्सी करते समय पायलट बेहद चौकन्ने रहते हैं। नतीजतन विमानों द्वारा जमीन पर बिताया गया समय धुंध में अपेक्षाकृत काफी बढ़ जाता है। इस कारण उड़ानों के बीच का अंतराल बढ़ता चला जाता है। इंजन चालू करके जहाज को टैक्सी करने की अपेक्षा उन्हें ट्रैक्टर या टग से जमीन पर टेक ऑफ बिंदु तक ले जाने से ईंधन की काफी बचत होती है ,लेकिन आज के विशालकाय विमानों को टग करने वाले विशालकाय ट्रैक्टर भी कोहरे के कारण बहुत धीमी गति से चलाए जाते हैं। अतः इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम उच्चतम श्रेणी का होने के बावजूद धुंध और कोहरे में उड़ानों का सुचारू रूप से संपन्न होना कठिन हो जाता है। इस सब के चलते उड़ानों में देर होती चली जाती है।

संतोष का विषय है कि हर वर्ष सर्दी के मौसम में धुंध और कोहरे के शिकार बन जाने वाले उत्तर भारतीय विमानपत्तनों पर लगातार रडार और आइएलएस जैसे आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उपलब्ध कराने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पिछले दो-एक वर्षों में कोलकता का नेताजी सुभाष हवाई अड्डा भारत का पांचवां ऐसा विमानपत्तन बन गया है जहां पर अमृतसर, जयपुर, लखनऊ और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की तरह बहुत कम दृश्यता में विमानों के उड़ान भरने और उतर सकने के लिए आइएलएस कैट-3 बी उपलब्ध कराया गया है, बावजूद इसके कि ऐसी हर प्रणाली को स्थापित करने के लिए लगभग दस करोड़ रुपये खर्च होते हैं और उनका मासिक रख रखाव लगभग पचास लाख रुपये पड़ जाता है। नई दिल्ली में एक नहीं, तीन-तीन रनवे हैं जिन पर यह सुविधा उपलब्ध है। विमान कंपनियों को भी एक पायलट को आइएलएस का प्रशिक्षण देने में लगभग दस लाख रुपए का खर्च आता है और जारी रहने वाले प्रशिक्षण में सभी पायलटों को अभ्यास देते रहने का अर्थ है करोड़ों रुपए का खर्च। जब लगभग सभी देशों में एअरलाइंस चलाना बेहद घाटे का सौदा साबित हो चुका है, तब हमारे देश की कितनी विमान कंपनियां सारे विमान चालकों के प्रशिक्षण पर इतना धन सहर्ष करना चाहेंगी?

कोहरे आदि के कारण जब विमानों को अपने लक्षित हवाई अड्डे की जगह कहीं और मोड़ दिया जाता है, तब भी कंपनी को घाटा उठाना पड़ता है। इसीलिए लक्षित हवाई अड्डे पर मौसम खराब होने पर कंपनियां अक्सर उड़ानों में देर करती जाती हैं, जबकि इस स्थिति से अनजान यात्री अपने गंतव्य वाले हवाई अड्डे के मौसम को सुधरते देखकर यह नहीं समझ पाते कि उनकी उड़ान बार-बार देरी से होने और इस देरी के बढ़ते चले जाने का असली कारण आर्थिक है, तकनीकी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक और एअरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जिस रफ्तार से नित्य नया अन्वेषण देखने को मिल रहा है, उसके चलते आश्चर्य नहीं होगा कि यदि बहुत निकट भविष्य में ही पूरी दृश्यहीनता में भी विमानन कंपनियों के भारी भरकम विमान उड़ान भरने और उतरने में सक्षम हो जाएं। जैसे-जैसे देश की समृद्धि बढ़ेगी, हवाई अड्डे और अधिक हवाई यातायात संभाल सकने में सक्षम होते जाएंगे और हमारी विमानन कंपनियां बढ़े हुए खर्च को यात्रियों की सुविधा के लिए सहर्ष स्वीकार करने लगेंगी।

वे बोझ उठाने वाले

आरती मंगल

दुनिया मेरे आगे

हाल ही में जब मैं एक संबंधी को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से घर लाने गई तो यह देख कर हैरान रह गई कि स्टेशन पर 'कुली' यानी सहायक, भारिक या भारवाहक नहीं दिख रहे थे। करीब एक दशक पहले की अपनी याद के मुताबिक कहूं तो रेलवे स्टेशन का जैसा दृश्य हुआ करता था, यह उससे बहुत अलग था। हालांकि अब भी ट्रेन पकड़ने के लिए वैसी ही भीड़ और धक्कामुक्की कायम थी, लेकिन कहीं-कहीं इक्का-दुक्का भारिक दिख रहे थे। उनकी गैर-मौजूदगी साफ महसूस की जा सकती थी। यह दृश्य मुझे यादों की पुरानी गली में ले गया। तब मैं एक बार रेलवे स्टेशन गई थी तो वहां मुझे दो खांचे में बंटे हुए लोग दिखे थे- एक, जिन लोगों ने अलग-अलग रंगों के कपड़े पहने हुए थे, और दूसरे वे लोग जिन्होंने सिंदूरी लाल रंग के परिधान पहन रखे थे। उन्हें आमतौर पर 'कुली' कह कर बुलाया जाता है, हालांकि उन्हें भारिक या भारवाहक कहना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर मौजूद भारिक मुसाफिरों की भीड़ के बीच जगह बनाते हुए कुछ मेहनताने के बदले लोगों के सामान उनकी ट्रेन तक पहुंचा रहे थे। इसके अलावा, जब भी कोई यात्री उनसे कुछ पूछता तो वे ट्रेनों के बारे में जानकारी देकर उन्हें पूछताछ के लिए लगी लंबी लाइनों से बचा भी रहे थे। लेकिन अब उनकी नगण्य संख्या देख कर मैं हैरान थी। सोचती हूं कि इस स्थिति ने क्या केवल मुझे स्तब्ध किया था?

मेरा मानना है कि रेलवे स्टेशनों से भारी तादाद में भारवाहकों की गैर-मौजूदगी की एक बड़ी वजह शायद आजकल तेजी से चलन में उभरे ट्रॉली बैग हैं। यानी ऐसे बैग, जिनके नीचे छोटे पहिये लगे होते हैं और उन्हें कोई भी आसानी से एक से दूसरी जगह खुद ही ले जा सकता है। इसके अलावा, अब काफी लोग ऐसे भी हैं, जो सफर के दौरान पहले की तरह बहुत ज्यादा सामान लेकर नहीं चलते हैं। बेहतर तकनीक ने चीजों का दायरा छोटा किया है। मसलन टेक्नोलॉजी के मामले में उन्नत होने के साथ हम देख सकते हैं कि इंसानों की जगह तेजी से मशीनें ले रही हैं। लेकिन सवाल है कि मशीनों ने जिनकी जगह ली, उन लोगों का क्या हुआ? क्या वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं? वे कहीं हैं तो कहां और किस हाल में हैं? क्या इन सवालों से किसी को कोई सरोकार है? रेलवे महकमा इस हकीकत से बेखबर नहीं है, लेकिन चूंकि भारवाहक रेलवे से किसी नियमित कर्मचारी के रूप में तनख्वाह नहीं लेते, इसलिए उनकी जवाबदेही कोई नहीं लेता।

खैर, 2016 में भारतीय रेलवे ने रेलवे के तंत्र के आधुनिकीकरण के साथ-साथ भारवाहकों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ उपायों की घोषणा की थी। बेशक इसे भारवाहकों के प्रति सरोकार के तौर पर देखा जा सकता है। इसके तहत उन्हें 'कुली' कहने के बजाय 'सहायक' कह कर बुलाए जाने की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा, उनके लिए नए परिधान, उनके भीतर विनम्रता लाने के मकसद से प्रशिक्षण और ट्रॉलियों की संख्या बढ़ाया जाना शामिल था। इन उपायों के जरिए भारवाहकों की स्थिति में सुधार का दावा किया गया था, लेकिन आज वे उपाय कहीं खो गए दिखते हैं। बेशक 'कुली' एक औपनिवेशिक काल का संबोधन है और यह व्यक्ति की गरिमा को कम करता है, लेकिन भारतीय शायद उन्हें इस नजरिए से नहीं देखते हैं। फिर उनके भीतर नरमी या विनम्रता से पेश आने कौशल का विकास करने की बात एक तरह से उनकी गरिमा को कम करती है, क्योंकि इसके साथ यह मान लिया जाता है कि वे विनम्र नहीं हैं और खराब बर्ताव करते हैं।

दरअसल, यह धारणा वर्गीय दंभ या अहं से आती है। इसी तरह, उनके नए परिधानों पर कुछ प्रायोजक कंपनियों के बेमानी 'लोगो' या प्रतीक चिह्न लगाए गए। करीब सौ साल पहले ही भारवाहक सिंदूरी लाल परिधान पहनते रहे हैं। इसमें दो बातें जुड़ी थीं, जिनसे यह पता चलता था कि वे रेलवे के तहत ही आते हैं, भले ही उन्हें रेलवे का नियमित कर्मचारी नहीं माना जाता। इस तरह नए परिधान के साथ जो उनके रेलवे से जुड़े होने की छवि थी, वह खत्म हो गई। इसके अलावा, निश्चित तौर पर ट्रॉलियों की संख्या में इजाफा एक स्वागतयोग्य पहल है, लेकिन आखिर काम नहीं होने की हालत में इसका क्या इस्तेमाल होगा? जबकि भारवाहकों की मांग थी कि उनके लिए सेवानिवृत्ति लाभों की योजना, पेंशन की व्यवस्था की जाए और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। ऐसी स्थिति में इस तरह के उपायों का हासिल क्या होगा, यह देखने की बात होगी।

मैं यह सोच कर अक्सर हैरान हो जाती हूं कि गायब हुए भारवाहकों और उनके परिवारों का क्या हुआ होगा! अब वे क्या कर रहे होंगे? क्या वे कहीं और नौकरी करने लगे होंगे या फिर टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल, रेलवे महकमे और मंत्रालय की संवेदनहीनता या उदासीनता के बीच पिस गए होंगे? इस सबके लिए किसकी जवाबदेही तय की जा सकती है? सच यह है कि जिस दौर में सब कुछ बाजार के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है, उसमें आमतौर पर गरीबों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

गांधी की जरूरत

हमारे देश में सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कुछ अच्छा-बुरा घटता है तो अक्सर हम भारतीय किसी न किसी रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करते हैं। गांधी ने भी कहीं ऐसा ही कहा है... गांधी इसके पक्ष में कभी नहीं रहे... गांधी ने जो मार्ग दिखाया.... या आज अगर गांधी होते...! ऐसी न जाने कितनी उक्तियां नेताओं के भाषणों का ही नहीं, हम आम नागरिकों के आपसी संवाद का भी हिस्सा होती हैं । संवाद ही नहीं, विवाद की स्थिति में भी गांधी का संदर्भ आ जाता है। तकनीक के इस दौर में अब गांधी प्रासंगिक नहीं रहे, या आज की परिस्थितियों में गांधी पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे गांधी भारतीय चिंतन के केंद्र बिंदु हैं। जो भी हो, देश के हाल के दिनों में बने हालात में 'सुन ले बापू यह पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम' जैसा कोई संदेश गांधी तक पहुंचाने की इच्छा जरूर होती है। सत्ता के निरंकुश फैसलों के खिलाफ अपने आप ही एकजुट होकर सड़कों पर उतरे हमारे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी जब सम्मान के साथ गांधी का नाम लेते हैं, तो उनकी पीठ थपथपाने का मन करता है। प्रशासन और पुलिस की बर्बरता के शिकार हो रहे इन युवाओं के संघर्ष को देख कर यह विचार भी आता है कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के डेढ़ सौवें जयंती-वर्ष को बीतते-बीतते हिंसा के ये जख्म किसने दे डाले!

● *शोभना विज, पटियाला*

तापमान का दंश

पेरिस समझौता, 2015 संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले किया गया, जिसमें कुल 196 देशों ने अपने हितों को देखते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह धरती के जीवन को बढ़ाने और अपने देश के नागरिकों के हितों के लिए उठाया गया विशेष कदम था, लेकिन कुछ देश इस महत्त्वपूर्ण संगठन से अलग होने की प्रतीक्षा में हैं इस समझौते से अलग होने के। जबकि अगर इसी में अपनी भागीदारी को और सुदृढ़ करने की कोशिश की जाती तो शायद प्रतिष्ठा और जिम्मेवारी का एक कदम और ऊपर जाता। सिर्फ निजी हितों के लिए अपने ही लोगों का ही दुश्मन बन जाना कहां तक उचित और तर्कपूर्ण है? आज जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग का दंश संपूर्ण पृथ्वी महसूस कर रही है।

इस ज्वलनशील मुद्दे के लिए एक छोटी बच्ची ने विश्व को आईना दिखाया, लेकिन कुछ देश इस गंभीर संकट की अनदेखी कर रहे हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारी पृथ्वी उस जहाज की तरह है, जिसके हम सभी क्रू मेंबर हैं, न कि यात्री! यात्री तो एक जहाज से उतर कर दूसरे जहाज पर सवार हो जाते हैं, पर हम दूसरी पृथ्वी कहां से लाएंगे? हमें अपनी पृथ्वी के प्रति उतना ही जिम्मेवार होना आवश्यक है, जितना एक जहाज के क्रू मेंबर द्वारा होता। इसलिए इस गंभीर समस्या के प्रति हमें अपना कितना अधिक योगदान करना है, यह सभी देशों को समझना होगा।

● *ऋषि कुमार, दृष्टि संस्थान, प्रयागराज*

भाईचारे की राह

आज भारत में नफरत करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लोग प्रेम की राह को छोड़ रहे हैं। जब देश आजाद नहीं था तो हिंदू, मुसलिम, सिख, ईसाई- सबने मिल कर इस देश को आजाद करवाया था। आज समाज में कुछ इस तरह के लोग देखने को मिल रहे हैं, जो राजनीति को लेकर वातावरण में हिंसा फैला रहे हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने भी अहम कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने वतन पर हंसते-हंसते जान दे दिया। आजाद देश में भी उनकी भूमिका बेहद अहम रही है।

हिंसा से नुकसान के अलावा कुछ नहीं। आज कुछ लोग राजनीति को लेकर हिंदू-मुसलिम करते हुए झगड़ रहे हैं। आज जिस तरह की राजनीति हो गई है और उसमें नेता लोग अपनी फायदे के लिए सोचते हैं। राजनीति के नाम पर लोगों को धर्म के दायरे में समेटा जा रहा है। हम सबका इससे सतर्क हो जाना बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह है कि जिसने नफरत की राह पकड़ी, उसकी दुर्गति ही हुई है। इसलिए हम सब को नफरत की राह को छोड़ कर सही राह पर चलना चाहिए। समाज में जहरीले बोल बोल कर नफरत को न फैलाएं, बल्कि एक दूसरे को प्रेम की बातें बताएं। सवाल है कि जिससे सबको केवल नुकसान ही होगा, वैसी बातों को फैलाने से क्या फायदा! हम सब संकल्प लें कि जो हुआ सो हुआ। अब हम सब नफरत को नहीं फैलाएंगे और समाज में जहर की राजनीति बोने वालों को राजनीतिक दुनिया से खारिज करेंगे।

● *मो जमील, मधुबनी, बिहार*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बेरोजगारी रजिस्टर

देश को अगर कोई राष्ट्रीय रजिस्टर चाहिए तो वह राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर है। अगर सरकार यह प्रस्ताव मान लेती है तो देश का हजारों करोड़ रुपए का खर्चा बचेगा, करोड़ों लोग भय और आशंका से मुक्त हो जाएंगे और बेरोजगारी सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने में मदद मिलेगी। वर्तमान हालात को देखते हुए इस समय देश में बेरोजगारी की समस्या एक मुख्य चिंता होनी चाहिए, जिसकी दर 7.6 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। यह पंद्रह साल से ऊपर की उम्र के वे लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से 3.26 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। यह सिर्फ दर्ज लोगों की संख्या है। असंगठित क्षेत्र की कल्पना भी दहला देती है। हैरानी की बात यह है कि इन बेरोजगारों की कोई सूची सरकार के पास नहीं है। बेरोजगारी का सर्वेक्षण राष्ट्रीय सैंपल सर्वे करता है, लेकिन देश भर में एक प्रतिशत से भी कम लोगों का सैंपल लिया जाता है।

आज तक देश में सभी बेरोजगारों की कोई सूची तैयार नहीं हुई है। एनआरसी पर जोर देने के बजाय अगर सरकार चाहे तो 2021 की जनगणना के साथ बेरोजगारी रजिस्टर बनाया जा सकता है, जिसमें हरेक बेरोजगारों की शिक्षा, आयु, हुनर, कामकाज को मूल आधार बनाया जा सकता है। हालांकि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन एनआरसी और हर व्यक्ति की नागरिकता के सबूत जुटाने से आसान होगा। यह रजिस्टर नागरिकों में आशंका के बजाय आशा का संचार होगा, जो देश को अतीत में ले जाने के बजाय भविष्य की ओर ले जाएगा। क्या यह सरकार ऐसे किसी भविष्य की ओर बढ़ने के कदम उठाने का संकल्प रखती है? या सिर्फ अतीत के झगड़ों में उलझा कर जनता कि आंखों में धूल झोंकना चाहती हैं?

● *पारस मल बोस, बाड़मेर, राजस्थान*

www.readwhere.com

ट्रामवे के लिए हैं बेहतर संभावनाएं

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर बरोट ट्रामवे में काफी रंभावनाएं हैं। दुनिया के कुछ ट्रामवे के मुकाबले में यह आ सकता है अगर सरकार चाहे। जोगिंदरनगर ट्रामवे के सफर में आप जंगल में से होकर भी गुजरते हैं। ऐसा कुछ अनुभव आपको अमेरिका के डिज्नीलैंड में पटरी पर चलने वाली छोटी-छोटी कारों के सफर में होता है। पर वहां तो सब जंगल-पहाड़ बनावटी हैं जबकी इस ट्रामवे पर सब कुछ असली है।

नए पोक्सो कोर्ट खोलने में ढिलाई के कारण यौन उत्पीड़न मामलों के निपटारे में देरी

राजीव जैन
जयपुर।

महिलाओं और बालिकाओं के यौन उत्पीड़न के हजारों मामलों की सुनवाई के लिए नए पोक्सो कोर्ट स्थापित करने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई कर उनके निपटारे में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक योजना बनाई हुई है। यह योजना सिर्फ एक वर्ष के लिए है। राजस्थान में इस योजना के तहत 45 विशेष कोर्ट खोलने पर करीब 34 करोड रूपए की लागत आएगी। इसमें केंद्र सरकार अपनी हिस्सा राशि 20 करोड रुपए देगी। नए पोक्सो कोर्ट खोलने की घोषणा से अब राज्य सरकार पीछे हट गई है। उसका कहना है कि पहले से ही चल रही 56 अदालतों में सुविधाएं बढ़ा कर काम में तेजी लाई जाएगी।

राजस्थान

प्रदेश की अदालतों में यौन उत्पीड़न के 11 हजार 800 से ज्यादा मामले विचाराधीन हैं। इनमें भी सात हजार मामले नाबालिगों से बलात्कार से जुड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में मामले अदालतों में विचाराधीन होने के कारण ही सरकार ने इस बार के अपने बजट में 47 नए विशेष कोर्ट खोलने का एलान किया था। सरकार के वित्त महकमे ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। इस बारे में वित्त विभाग ने विधि विभाग को सूचित भी कर दिया है। इस फैसले से वकील समुदाय में रोष है। उनका कहना है कि यौन उत्पीड़न के मामले अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। खास कर नाबालिगों से जुड़े मामले तो बेहद नाजुक होते हैं। इन मामले के दोषियों को सजा मिलने में बहुत अधिक समय लग जाता है, इससे पीड़िताओं को न्याय मिलने में देरी होती है।

वकीलों का कहना है सरकार को विशेष पोक्सो कोर्ट खोलने की अपनी बजट घोषणा को इस साल ही पूरा करना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपक शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत विशेष कोर्ट की स्थापना के लिए 60 फीसद रकम का हिस्सा तो केंद्र सरकार ही दे रही है। प्रदेश में 26 कोर्ट की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते में आ चुके हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार कोर्ट खोलने के अपने निर्णय से पीछे हट गई है। यह बजट एक साल के लिए ही है और इस्तेमाल नहीं होने पर लैप्स हो जाएगा।

जयपुर जिला अदालत में यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की पैरवी से जुड़े वकील वरुण पुरोहित का कहना है कि केंद्र सरकार जब नई अदालतों की स्थापना में मदद करने को तैयार है तो राज्य को इसका फायदा उठाना चाहिए। यौन उत्पीड़न के मामले वर्षों तक अदालतों में चलने से समाज पर उसका उलटा असर होता है। प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कमजोर तबकों के नाबालिगों के साथ होने वाले अत्याचार के मामलों का तो फौरन निपटारा होना चाहिए। सरकार को ऐसे मामलों के लिए कारगर नीति बनानी होगी तभी लोगों को राहत मिल पाएगी।

राज्य सरकार ने बजट घोषणा में इस बार पोक्सो, फैमिली, एडीजे और एससी-एसटी सहित 86 नवीन अदालतों की स्थापना की घोषणा की थी। इसमें से सरकार ने 39 नए कोर्ट खोल दिए। लेकिन सरकार ने 47 नए पोक्सो कोर्ट खोलने की घोषणा को वापस ले लिया। वित्त विभाग का तर्क है कि पिछले सालों में खुले 56 पोक्सो कोर्ट में सुविधाएं बढा कर उनमें त्वरित मामलों का निपटारा कराया जाएगा। सरकार विचाराधीन नए कोर्ट की स्थापना नए वित्तीय वर्ष में करने पर विचार करेगी।

वकीलों का कहना है सरकार को विशेष पोक्सो कोर्ट खोलने की अपनी बजट घोषणा को इस साल ही पूरा करना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपक शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत विशेष कोर्ट की स्थापना के लिए 60 फीसद रकम का हिस्सा तो केंद्र सरकार ही दे रही है। प्रदेश में 26 कोर्ट की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते में आ चुके हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार कोर्ट खोलने के अपने निर्णय से पीछे हट गई है। यह बजट एक साल के लिए ही है और इस्तेमाल नहीं होने पर लैप्स हो जाएगा।

जोगिंदरनगर बरोट ट्रामवे हो सकता है और बेहतर

बीरबल शर्मा
मंडी।

शायद ही देश के बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर में एक ट्रामवे है जिसका निर्माण 1930 में हुआ था। इसका निर्माण जोगिंदर नगर के उहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाते समय किया गया था। यह ट्राम वे पांच चरणों में है जिनमें दो चढ़ाई में, दो उतर में और एक समतल है। कुल लंबाई सात किलोमीटर है। यह ट्रामवे सारी दुनिया में अपनी तरह का एक ही है।

हिमाचल

ट्राम, जिनको अधिकतर स्थानीय लोग ट्रॉली या ट्रक कह कर पुकारते हैं, यहां चल रही हैं। ये पंजाब सरकार के अधीन चल रहे शानन पावर हाउस के निर्माण के समय 1930 में लाई गई थीं। ये अभी भी चालू हालत में हैं।

इस ट्रामवे में लोहे की एक रस्सी के दोनों सिरों पर दो ट्रालियां जुड़ी होती हैं। जब ऊपर बिजली की मोटर चलाई जाती है तो एक ट्रॉली रेल की पटरी जैसी पटरी पर ऊपर जाती है और वैसी ही एक दूसरी ट्रॉली ऊपर से नीचे आती है। ठीक बीच में पटरी द्विशाखित हो जाती हैं और दो पटरियों में परिवर्तित हो जाती है और दोनों ट्रालियां अलग-अलग पटरी पर चलने लगती हैं। बाद मे दोनों पटरियां फिर मिल कर एक हो जाती हैं। जब ये ट्रालियां दो पटरियों पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो यह दृश्य बहुत सुंदर लगता है। ट्रॉली के ड्राइवर के हाथ में तांबे की एक लंबी छड़ होती है। पटरी के साथ साथ खंभों पर बिजली तार लगे हैं। अगर ड्राइवर को बीच में कहीं ट्राली रोकनी पड़े तो वह उस तांबे की लंबी छड़ को खंबों से जाती बिजली की तारों से छू देता है जिसके परिणामस्वरूप ऊपर मोटर के नियंत्रण कक्ष में एक घंटी बजती है और मोटर को चलाने वाला स्विच बंद कर देता है और ट्रॉली रुक जाती है। इसी तरह ट्राली को फिर से चलाने के लिए वह फिर घंटी बजा देता है। बीच में एक स्टेशन आता है जहां आपको पहली ट्रॉली से उतरना होता है और फिर दूसरी ट्रॉली में बैठ जाना होता है। यह सफर समुद्रतल से लगभग 3 हजार फीट से शुरू होकर सीधी खड़ी पहाड़ी पर बिछी लाइन से आसमान को छूते हुए आठ हजार फीट की ऊंचाई तक होता है जिसे करना दुनिया के रोमांच से भरे सफरों में एक है।

इस अत्यंत रोमांचक सफर के बाद मंडी के विख्यात उद्यानी विशेषज्ञ 70 वर्षीय डॉ चिरंजीत परमार जो दुनिया के 36 देशों का भ्रमण उद्यान से जुड़े कार्यों के लिए कर चुके हैं, का इस सफर के बाद यह मानना है कि यहां की सरकार इस ट्रामवे में थोड़ा सा सुधार कर इसको पर्यटकों के लिए क्यों नहीं खोल देती। अगर ऐसा कर दिया जाए तो जोगिंदर नगर इलाके के पर्यटन व्यवसाय में बहुत ही वृद्धि हो सकती है। इस किस्म की सुविधा सारे भारत में कहीं नहीं है। लोग सुबह बरोट जाकर शाम को वापस आ सकते हैं या चाहें तो वहां भी रुक सकते हैं।

डॉ परमार के मुताबिक उन्होंने विदेशों में इस किस्म की ट्रॉली केवल तीन स्थानों पर देखीं हैं और सभी जगह यह पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय हैं। पहली हांगकांग, दूसरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तथा तीसरी ब्राजील के शहर रियो डि जनेरो में।

डॉ परमार के कहना है कि सरकार को जोगिंदर नगर के ट्रामवे को हांगकांग या रियो डे जनेरो की तर्ज पर विकसित करना चाहिए। यहां सब कुछ बना बनाया है। केवल थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। फिलहाल पुरानी ट्रॉलियों ही उपयोग में लाई जा सकती हैं।

अस्पतालों में बढ़ रहा दलालों का दबदबा

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली।

राजधानी के लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल से लेकर एम्स, सफदरजंग, राममनोहर लोहिया, जीटीबी, संजय गांधी,डीडीयू सहित तमाम अस्पतालों में ओटी से लेकर वार्डों तक दलालों की खुली पहुंच है। इन दलालों को कर्मचारी व मरीज इनके नामों से खूब जानते हैं। ये मरीजों को ऑपरेशन के समय जरूरी नेल यानी स्टील या टाइटेनियम की राड,प्लेट या स्क्रू वहीं पर मुहैया कराते हैं।

ऑपरेशन थिएटर से लेकर वार्डों तक घुसे दवा व मेडिकल उपकरण कंपनियों के ये दलाल सबसे ज्यादा सक्रिय हड्डी रोग विभाग में हैं। दुर्घटना का शिकार हुए तमाम मरीजों के परिजनों को भले यह नहीं पता हो कि उनके मरीज का आपरेशन किस नंबर पर होगा, लेकिन विभिन्न कंपनियों के इन दलालों के पास न केवल आपॅरेट होने वाले मरीजों की सूची होती है बल्कि उनको यहां तक मालूम है कि किस नंबर पर कौन से मरीज का ऑपरेशन होना है।

मरीजों के परिजनों का कहना है कि प्रतिनिधि नेल या राड का पूरा सेट लाकर देते हैं और उसका पूरा पैसा मरीज से लेते हैं। कई परिजनों ने यह भी बताया कि कंपनी वाले पैसा वापस करने में आनाकानी करते हैं। एक मरीज के परिजन बसल वर्मा ने बताया कि राड या छल्ले की गुणवत्ता से भी समझौता कर लिया जाता है। टाइटेनियम की जगह स्टील या कई बार नकली राड डाल दिया जाता है।

दिल्ली

एम्स में हड्डी रोग विभाग में रहे डॉ सीएस यादव का कहना है एम्स में तो गड़बड़ी नहीं होती लेकिन तमाम दूसरी जगहों पर इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि हड्डी के इलाज में कई तरह की छोटी बड़ी छड़ (राड) व नट बोल्ट की जरूरत पड़ती है। कौन सा लगेगा यहऑपरेशन के समय ही पता चलता है। कई बार मोटी रॉड से हड्डी क्रेक होने का पता चलता है तो सबसे पतली राड डालनी पड़ती है। किसी मरीज में एक दो नट से काम चल जाता है किसी में ज्यादा। ऐसे में एक रॉड नहीं पूरा सेट मंगाना पड़ता है। इतने ज्यादा नट बोल्ट का हिसाब रखना केवल नर्स से संभव नहीं होता उनको और तरह के काम होते हैं। फिर उन डिवाइसों को ऑपरेशन से पहले कीटाणु रहित करने के लिए पहले से मंगाना पड़ता है। इसलिए उनके कंपनियों के प्रतिनिधियों को ही बता दिया जाता है कि कौन से मरीज के लिए क्या डिवाइस चाहिए।

उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ व जागो ग्राहक के अगुआ रहे बिजॉन मिश्र ने कहा कि स्टेंट, नेल या दलालों से संबंधित मामलों को लेकर लोग शिकायत नहीं कर पाते क्योंकि इसको लेकर कोई कानून नहीं है। लिहाजा मरीज इस बारे में शिकायत नहीं कर पाते फिर मरीज अपने डॉक्टर को नाराज भी नहीं करना चाहते। इसलिए वे शिकायत नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि दलालों व निजी प्रयोगशालाओं के डॉक्टरों से मिलीभगत को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने सन 2015 में एक समिति बनाई थी। अव्वल तो सबूत नहीं मिल पाता लेकिन जिन मामलों में समिति ने पाया भी कि दवा व जांच लैब व मेडिकल डिवाइस वाली कंपनियों ने डॉक्टरों को चेक से भी पैसा दिया है उनको भी कानून न होने से पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि डॉक्टर उस मामले में खुद को परामर्शदाता बता देते हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्टार डॉ गिरीश त्यागी ने बताया कि चिकित्सा परिषद में आमतौर से शिकायतें तो बहुत आती हैं लेकिन डिवाइस वगैरह को लेकर कम ही मामले देखने में आते हैं। क्यों कि अंदर क्या डाला गया यह मरीज या तीमारदार देख नहीं पाते।

गंगा रक्षा के लिए मातृ सदन के 61वें अनशन पर बैठीं साध्वी पद्मावती

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून ।

गंगा रक्षा के लिए पर्यावरण को समर्पित मातृ सदन एक बार फिर से गंगा की रक्षा के लिए आंदोलित है। 22 साल से मातृ सदन गंगा की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। 1998 में मातृ सदन की स्थापना कनखल के पास जगजीतपुर क्षेत्र में गंगा के तट पर की गई थी। इसकी स्थापना स्वामी शिवानंद सरस्वती ने की थी।

मातृ सदन ने 22 साल में गंगा की रक्षा के लिए तीन साधुओं स्वामी गोकुलानंद (2003), स्वामी निगमानंद (2011) और स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद पूर्व प्रोफेसर जीडी अग्रवाल (2018) का बलिदान दिया है। इन सालों में मातृ सदन में गंगा रक्षा के लिए विभिन्न साधुओं ने 61 बार अब तक अनशन किया है और सबसे ज्यादा लंबा अनशन दक्षिण भारत के रहने वाले युवा संन्यासी आइटी के पूर्व छात्र रहे ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद का 194 दिनों (24 अक्टूबर 2018 से 4 मई 2019) तक चला।

उत्तराखंड

मातृ सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद सरस्वती अब तक सबसे ज्यादा 17 बार गंगा रक्षा के लिए अनशन कर चुके हैं। मातृ सदन के संत अपने अनशन को तप का नाम देते हैं, क्योंकि वे गंगा की रक्षा के लिए अनशन नहीं तप और साधना कर रहे हैं। स्वामी शिवानंद सरस्वती तो कई बार अपने अनशन के दौरान जल तक का चुके हैं।

साध्वी पद्मावती

स्वामी शिवानंद

इस बार मातृ सदन के गंगा रक्षा आंदोलन में अनशन यानी तप की बागडोर किसी ब्रह्मचारी या युवा संन्यासी ने नहीं बल्कि 22 साल की युवा साध्वी पद्मावती ने संभाली है और वे स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की राह पर चल निकली है और गंगा रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाए बैठी हैं।। उन्होंने पिछले साल 15 दिसंबर से अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती के आश्रम मातृ सदन में उनकी छत्रछाया में गंगा रक्षा के लिए आमरण अनशन शुरू किया था। मातृ सदन में गंगा रक्षा के लिए यह 61 वां अनशन है और पहली बार कोई साध्वी मातृ सदन में अनशन के लिए बैठी है।

साध्वी पद्मावतीप्रोफेसर जीडी अग्रवाल स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की गंगा रक्षा के लिए की गई मांगों को केंद्र और राज्य सरकार से मनवाने के लिए अनशन पर बैठी हैं। वे नालंदा कॉलेज बिहार की बीए ऑनर्स दर्शन की छात्रा रही हैं। उनके अनशन को 17 दिन हो चुके हैं और उनका वजन डेढ़ किलो से ज्यादा गिर चुका है। परंतु केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उनके अनशन को समाप्त करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की गंगा रक्षा के लिए जिन मांगों को लेकर साध्वी पद्मावती अनशन पर बैठी हैं, उन्हीं मांगों को लेकर इसी मातृ सदन में ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद ने 194 दिन तक अनशन किया था। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और नमामि गंगे के अधिकारियों के लिखित और मौखिक आश्वासन के बाद ब्रह्मचारी ने अपना अनशन समापत किया था। परंतु 6 महीने बीत जाने के बाद भी रक्षा के लिए दिए गए आश्वसनों को धरातल पर नहीं उतारा गया तो अब गंगा रक्षा के आंदोलन चलाने की जिम्मेदारी मातृशक्ति ने अपने ऊपर ली है।

साध्वी पद्मावती का कहना है कि जब तक गंगा एक्ट गंगा रक्षा के लिए नहीं बन जाता और प्रोफेसर अग्रवाल की चार मुख्य मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह अपना अनशन जारी रखेंगी, चाहे उन्हें प्राणों की ही क्यों ना आहुति देनी पड़े।

मातृ सदन की चार मांगें हैं। इनमें पहली गंगा नदी पर प्रस्तावित और निर्माणाधीन समस्त बांधों को निरस्त किया जाए। दूसरी मांग गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बने हुए बांधों गंगा और अन्य नदियों पर आईआईटी रुड़की द्वारा प्रस्तावित जल की मात्रा छोड़ी जाए और ये नियम हरिद्वार के भीमगोड़ा और नरोरा आदि बांधों पर भी हो लागू किया जाए। तीसरी मांग गंगा पर खनन संबंधी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाए और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया ताकि भविष्य में इसके साथ छेड़छाड़ न हो सकें। चौथी मांग गंगा के एक्ट के लिए एक विस्तृत चर्चा हो जिसमें मातृ सदन एवं अन्य गंगा समर्पित संस्था भी सम्मिलित शामिल की जाएं। उसके बाद ही इसे संसद में पारित होने के लिए भेजा जाए। वहीं साध्वी पद्मावती के समर्थन में 5 और 6 जनवरी को देशभर से गंगा रक्षा के आंदोलन से जुड़े संगठनों के आंदोलनकारी जुटेंगे और जो आगे की रणनीति बनाएंगे।

किताबें बनेंगी वीडियो गेम, खेलेंगे नहीं पढ़ेंगे बच्चे

सुशील राघव
नई दिल्ली।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) अपनी किताबों को मजेदार और जीवंत बना रहा है। इसके लिए परिषद ने वीडियो गेम की तर्ज पर ई-पाठशाला ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप के जरिए विद्यार्थी किताबों में मौजूद चित्रों, आरेखों (डायग्राम) और मानचित्रों को न सिर्फ त्रिआयामी में देख सकेंगे बल्कि इनमें से कुछ को संचालित होते हुए भी देखा जा सकेगा। इससे उन्हें पाठ को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। फिलहाल कक्षा 9 और 10 की किताबों के चित्रों को जीवंत बनाने का कार्य किया जा रहा है।

देश

केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआइईटी) के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अमरेंद्र बेहेरा के मुताबिक विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों और कक्षाओं की चार दीवार से आगे जानने में सक्षम बनाने के लिए, डिजिटल संसाधनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यह उन्हें अनुभव से सीखने और समस्या के समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। किताबों में जो भी चित्र या आरेख होते हैं, वे सभी द्विआयामी होते हैं। बच्चों को इन्हें समझने में बहुत परेशानी होती है। शिक्षक भी इन चित्रों समझाने में नाकाम रहते हैं क्योंकि इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए त्रिआयामी छवि की आवश्यकता होती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सीआइईटी के एआर मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से किताबों में मौजूद चित्रों की त्रिआयामी छवि देख सकते हैं। इतना ही नहीं, विद्यार्थी इन्हें संचालित होते हुए भी देख सकते हैं और इसके साथ प्रयोग भी कर सकते हैं।

डॉक्टर बेहेरा के मुताबिक इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को अवधारणा को गहराई से समझने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्हें इंटरेक्टिव त्रिआयामी सिमुलेशन का भी अनुभव मिलेगा। इससे शिक्षकों को अपने पाठ को मजेदार और इटरेक्टिव बनाने में सहायता मिलेगी। यह ऐप पढ़ने-पढ़ाने के तरीकों को नए आयाम पर ले जाएगा और वास्तविक व वर्चुल दुनिया की दूरी को कम करने में सहायता करेगा।

इंजीनियरिंग विद्यार्थी दे रहे मदद

डॉक्टर बेहेरा ने बताया कि किताबों को जीवंत बनाने में इंजीनियरिंग विद्यार्थी हमारी सहायता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिट्स पिलानी और चंडीगढ़ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ विद्यार्थी गर्मियों की छुट्टियों में दिल्ली एनसीईआरटी मुख्यालय आएंगे और इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। यह उनके लिए इंटर्नशिप की तरह होगा।

ऐसे करेंगे उपयोग

सबसे पहले गूगले प्ले स्टोर से ई-पाठशाला एआर ऐप डाउनलोड करना होगा

इसके बाद कक्षा, विषय और पाठ को चुनना होगा

मोबाइल कैमरा को किताब में मौजूद उस चित्र पर फोकस करना होगा जिसको जीवंत देखना है

इसके बाद मोबाइल पर किताब के चित्र की त्रिआयामी छवि उभर आएगी और संचालित भी होने लगेगी

बिहार : नीतीश से हाथ मिलाने में कांग्रेस को गुरेज नहीं

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

● कांग्रेस महासचिव शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता

● जद (एकी) उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी भिड़े ट्विटर पर

बिहार के सत्तारुढ़ गठबंधन में जारी खटपट के बीच कांग्रेस ने कहा है कि उसे सूबे के आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ मिलाने से कोई गुरेज नहीं है। पार्टी पांच साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और जनता दल (एकी) को मिलाकर किए गए महागठबंधन के प्रयोग को दोबारा आजमाए जाने के विकल्प को फिर से आजमाने की संभावना भी तलाश रही है।

बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने नए साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के साथ फिर से हाथ मिलाए जाने को लेकर पूछने पर कहा कि इस संभावना से वे बिलकुल इनकार नहीं कर सकते। बिहार अनंत संभावनाओं का प्रदेश है और वहां यह संभावना भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि अभी सूबे में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ही हैं लेकिन वक्त आने पर अन्य दलों को भी साथ लिया जा सकता है।

सूत्रों का कहना है कि हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन तथा महाराष्ट्र व झारखंड में सहयोगी दलों के साथ मिलकर भाजपा के विजय रथ को रोकने में कामयाबी हासिल करने के बाद कांग्रेस की नजर अब बिहार पर है। पार्टी वहां पर एकबार फिर से वर्ष 2015 का वह प्रयोग दोहराने की ताक में है जब राजद, जद (एकी) और कांग्रेस ने महागठबंधन बनाकर भाजपा को परास्त कर दिया था। हालांकि बाद में राजद व जद (एकी) में मची रार के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के साथ चले गए और एनडीए सरकार का गठन हो गया।

दिलचस्प यह भी है कि पांच साल पहले बिहार में महागठबंधन के प्रयोग के समय नीतीश के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर अब जद (एकी) के उपाध्यक्ष हैं और इन दिनों भाजपा को लेकर दिए जा रहे अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उनके और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बीच ट्विटर पर जारी सियासी भिड़ंत यह संकेत दे रही है कि पटना की बाढ़ के समय से भाजपा व जद (एकी) के बीच अंदरखाने जारी खटपट अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर लिखा कि बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व और जद (एकी) की सबसे बड़े दल की भूमिका बिहार की जनता ने तय किया है, किसी दूसरी पार्टी के नेता या शीर्ष नेतृत्व ने नहीं। किशोर ने उपमुख्यमंत्री व भाजपा नेता सुशील मोदी पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट में यह भी कहा– 2015 में हार के बाद भी परिस्थितिवश उपमुख्यमंत्री बनने वाले सुशील मोदी से राजनीतिक मर्यादा और विचारधारा पर व्याख्यान सुनना सुखद अनुभव है।

इससे पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक ट्वीट में कहा– जो लोग किसी विचारधारा के तहत नहीं, बल्कि चुनावी डाटा जुटाने और नारे गढ़ने वाली कंपनी चलाते हुए राजनीति में आ गए, वे गठबंधन धर्म के विरुद्ध बयानबाजी कर विरोधी गठबंधन को फायदा पहुंचाने में लगे हैं। दरअसल, मोदी ने यह टिप्पणी प्रशांत किशोर के उस बयान के बाद की जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में जद (एकी) को भाजपा के मुकाबले एक ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए।

भाजपा व जद (एकी) नेताओं के बीच जारी बयानबाजी के बीच कांग्रेस महासचिव गोहिल के नीतीश से हाथ मिलाने की संभावना से इनकार नहीं करना और फिर से महागठबंधन के फार्मूले को अपनाने की तैयारी करने से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सूबे में अगले कुछ महीने नए राजनीतिक गठजोड़ की कवायदें भी होंगी। यह दीगर है कि महागठबंधन के मामले में राजद प्रमुख लालू यादव के फैसले पर ही सब कुछ निर्भर करेगा।

सोनिया-राहुल से मिले महाराष्ट्र के मंत्री, नेता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में विसतार के बाद कांग्रेसी खेमे के कुछ वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी की खबरों के बीच सूबे की सरकार में पार्टी के कोटे के मंत्रियों ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की।

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं ने चुनाव में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की और मंत्रियों को शुभकामनाएं दीं। राहुल से मुलाकात के दौरान पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री बालासाहब थोराट, प्रदेश सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण, नितिन राउत, अमित देशमुख और कांग्रेस कोटे के कई अन्य मंत्री तथा नेता मौजूद थे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस मौके पर मौजूद थे।

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस कमेटी के मंत्रियों ने सोनिया के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं व मंत्रियों ने सोनिया व राहुल से उस वक्त मुलाकात की है जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि प्रदेश इकाई के कुछ वरिष्ठ नेता मंत्रिमंडल में कुछ नेताओं के शामिल होने से नाराज हैं। माना जा रहा है कि इन अटकलों पर अब विराम लग गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को तो मंत्री बनाया गया है जबकि पृथ्वीराज चव्हाण को मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया है। इसी प्रकार सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है।

महाराष्ट्र में कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार का गठन किया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली इस सरकार में कांग्रेस के कोटे से 12 मंत्री शामिल हैं।

नए साल में देश को सशक्त बनाने का प्रयास जारी रहेगा : मोदी

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2020 में लोगों के साथ मिलकर भारत में बदलाव और 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाने का प्रयास जारी रहेगा।

प्रधानमंत्री ने ट्विटर एकाउंट नमो 2.0 को रिट्वीट किया जिसमें 'वर्ष 2020 गीत' शीर्षक वाला वीडियो जारी किया गया है । उन्होंने अपने ट्वीट में इस गीत को सुंदर संकलन बताया। उन्होंने कहा कि इसमें 2019 में हमने जो प्रगति हासिल की उसके बारे में उल्लेख है।

उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 2020 में लोगों के साथ मिलकर भारत में बदलाव और 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाने का प्रयास जारी रहेगा। गौरतलब है कि ट्विटर एकाउंट नमो 2.0 से 'वर्ष 2020 गीत' वीडियो जारी कर पूछा गया कि 'उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपको यह पसंद आया होगा' ।

इस गीत में 2019 में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है और वर्ष 2020 में सरकार के लक्ष्यों का भी जिक्र है। प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में भी नव वर्ष के संकल्प व उसकी पूर्ति का उल्लेख करते हुए कहा था कि 130 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ, उनके सामर्थ्य, संकल्प पर अपार श्रद्धा रखते हुए हम चल पड़ें।

प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'युवा भारत प्रतिभावान और उज्जल हैं। वह माहौल तैयार करने के लिये जो कुछ भी हम कर सकते हैं, उसे करके खुशी है जिसमें युवा आगे बढ़े, नवाचार कर सके और खुशहाल बनें। '

बंगाल के राज्यपाल अपने ट्वीट के चलते हुए ट्रोल

कोलकाता, 31 दिसंबर (भाषा)।

ट्विटर पर मंगलवार को लोगों ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को जमकर ट्रोल किया गया क्योंकि इस माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर अपनी तस्वीर के साथ की गई पोस्ट में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए इस्तेमाल की गई मेज को 'ऐतिहासिक' बताया था। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने राज्यपाल की आलोचना करते हुए दावा किया कि उन्होंने अपने ट्वीट में विभाजन का महिमामंडन किया है। दो प्रमुख लेखकों, जिन्होंने 1947 में बंगाल विभाजन की विभीषिका का अनुभव किया है, ने कहा कि धनखड़ द्वारा इस्तेमाल किया गया 'ऐतिहासिक' शब्द गलत है।

जम्मू कश्मीर में पथकर चौकियां खत्म

पेज 1 का बाकी

मौत का काला वारंट बताया।' इस निर्णय की घोषणा केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन के प्रधान सचिव (योजना,निगरानी और विकास) रोहित कंसल ने की। उन्होंने कहा कि सरकार सलाहकार के के शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाएगी जो सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर के राज्य में उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करेगी।

ईडी ने मीडिया समूह की संपत्ति कुर्क की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग (धन शोधन) मामले में एक मीडिया समूह की 127 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। जांच एजंसी ने मंगलवार को बयान में कहा कि यह मामला पिक्सन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, महुआ मीडिया प्राइवेट, पिक्सन विजन प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड और उनके निदेशकों पीके तिवारी, आनंद तिवारी, अभिषेक तिवारी और अन्य से संबंधित है।

ईडी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुल 127.74 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें मुंबई, चेन्नई, नोएडा और कोलकाता में समूह की कंपनियों के 11 वाणिज्यिक भूखंड और भूतल (फ्लोर) शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक समूह की कंपनियों ने धोखे से बैंकों से 2,600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है।

खर्च में कटौती की कवायद शुरू की सरकार ने

पेज 1 का बाकी

जनवरी– मार्च तिमाही के दौरान खर्च सीमा को कम कर दिया गया है। सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि वह जनवरी– मार्च 2020 तिमाही के दौरान अपने खर्च को बजट अनुमान के 25 फीसद तक सीमित रखें।

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा जारी हाल में जारी ज्ञापन में कहा गया है, 'चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह तय किया गया है कि चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही और आखिरी महीने में खर्च को सीमित किया जाए।' इसमें कहा गया कि मार्च तिमाही में विभागों का खर्च उनके बजट अनुमान के 25 फीसद से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे पहले यह सीमा 33 फीसद तक थी। इसी प्रकार वित्त वर्ष के आखिरी महीने में यह खर्च बजट अनुमान के 10 फीसद से अधिक नहीं होना चाहिए। पहले यह सीमा 15 फीसद रखी गई थी।

इसमें कहा गया है कि अंतिम तिमाही के पहले दो माह में खर्च विभागों के वर्ष के बजट अनुमान के 15 फीसद से अधिक नहीं होना चाहिए। मौजूदा सीमा 18 फीसद है। ज्ञापन में कहा गया है कि संसद की पूर्वानुमति की आवश्यकता वाले अनुदान में बचत के पुनः आवंटन के जरिये किए जाने वाले खर्च को संसद से अनुपूरक अनुदान मांगों को मंजूरी मिलने के बाद ही खर्च किया जाना चाहिए। कोई भी अतिरिक्त व्यय संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही होगा।

मंत्रालय के ज्ञापन में कहा गया कि मंत्रालयों और विभागों से आग्रह किया जाता है कि इन दिशानिर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करें और चालू वित्त वर्ष के दौरान इसी के मुताबिक खर्च का नियमन करें।
हालांकि, इसमें स्पष्ट किया गया है कि बड़े खर्च वाली मद के मामले में इससे पहले जारी दिशानिर्देशों का ही अनुसरण किया जाएगा। व्यय के बारे में दिशानिर्देशों में आखिरी बार 2017 में संशोधन किया गया था। तब यह तय किया गया था कि वर्ष की अंतिम तिमाही और आखिरी महीने में खर्च को बजट अनुमान का क्रमशः 33 फीसद और 15 फीसद तक सीमित रखा जाएगा।

बुनियादी उद्योगों का उत्पादन नवंबर में गिरा 1.5 फीसद

पेज 1 का बाकी

जो कि नवंबर 2018 में 8.8 फीसद पर थी। रिफाइनरी और उवर्रक के उत्पादन में नवंबर महीने में क्रम से 3.1 फीसद और 13.6 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल अप्रैल–नवंबर अवधि में बुनियादी क्षेत्र के आठ उद्योगों का उत्पादन कुल मिला कर एक साल पहले के स्तर पर बरकार रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में इन उद्योगों के उत्पादन में 5.1 फीसद की वृद्धि दर्ज की गयी थी। बुनियादी उद्योगों में अगस्त से गिरावट है।

दिल्ली सहित उत्तर भारत में शीतलहर जारी

पेज 1 का बाकी

दिसंबर रहा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस दिसंबर में दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 18.76 डिग्री सेल्सिसय रहा जो दिसंबर, 1997 के 17.3 डिग्री के बाद दूसरा सबसे कम औसत अधिकतम तापमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'दिसंबर का औसत अधिकतम तापमान केवल चार बार– 1919,1929,1961 और 1997 में 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे कम रहा।' अधिकारी ने बताया कि 1919 और 1929 में दिसंबर में औसत अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री था, जबकि दिसंबर, 1962 में यह 20 डिग्री था।

बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर मोबाइल सेवा पर लगाई रोक

पेज 1 का बाकी

ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार सोमवार को ऑपरेटरों ने भारत के साथ लगी सीमाओं पर करीब एक किलोमीटर के भीतर नेटवर्क पर अस्थायी रोक लगा दी है। बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग (बीटीआरसी) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ग्रामीण फोन, टेलीटॉक, रॉबी और बांग्लालिंक को अपने आदेश में रविवार को कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज को देश की सुरक्षा के लिए अगले आदेश तक निलंबित रखा जाना चाहिए। बीडीन्यूज24 ने बीटीआरसी के अध्यक्ष जहुरुल हक के हवाले से कहा कि सरकार ने उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया और उसके बाद निर्देश जारी किए गए।

ढाका ट्रिब्यून ने बीटीआरसी के अधिकारी के हवाले से कहा कि करीब दो हजार बेस ट्रांसीवर स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। इससे भारत और म्यांमा से लगी सीमाएं साझा करने वाले 32 जिलों में करीब एक करोड़ उपयोगकर्ता प्रभावित होंगे।

बढ़ा रेल किराया आज से लागू

पेज 1 का बाकी

शयन श्रेणी व प्रथम श्रेणी शामिल है। इसी प्रकार मेल या गैर वातानुकूलित ट्रेन में इन सभी श्रेणियों में दो पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। जबकि वातानुकूलित श्रेणी से किए जाने वाले सफर में चार फीसद का इजाफा किया गया है। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदेभारत, तेजस, हम सफर, गरीब रथ, जन शताब्दी, समेत अन्य ट्रेन में तय प्रावधानों के तहत किराया लागू होगा।

इसके अतिरिक्त यात्रियों से वसूले जाने वाले अन्य शुल्क भी देय होंगे। इनमें आरक्षण शुल्क व सुपर फास्ट अधिभार शामिल है। जीएसटी को तय प्रावधान के मुताबिक वसूला जाएगा। नए किराए की आखिरी सूची जल्द ही रेलवे आकलन करके जारी करेगा। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी यात्री द्वारा किसी भी ट्रेन से यात्रा के लिए बुकिंग कराई गई है तो उस टिकट पर कोई अतिरिक्त पैसा नहीं वसूला जाएगा। ताजा आदेश एक जनवरी 2020 से ही मान्य माने जाएंगे। ये आदेश भारतीय रेलवे के वित्त निदेशक के आदेशों के बाद जारी किए गए हैं और इसकी प्रति सभी विभागों को भेजी गई है।

कांग्रेस विधायक के समर्थकों ने कार्यालय में की तोड़फोड़

पेज 1 का बाकी

बताया कि थोप्टे के समर्थकों ने यहां कांग्रेस भवन पर हमला किया और उसमें तोड़फोड़ की। उन्होंने थोप्टे को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की। थोप्टे पूर्व मंत्री अनंतराव थोप्टे के बेटे हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि शिवसेना–राकांपा–कांग्रेस की विकास अघाड़ी सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद कांग्रेस के राजनीतिक परिवारों के समर्थकों के बीच नाराजगी फैल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी और सोलापुर से तीन बार की विधायक प्रणीति, थोर से संग्राम थोप्टे, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ऐसे नेताओं में हैं जिन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं किया गया है।

'पाक आतंकी अड्डे बंद करे, वर्ना हमले का अधिकार'

पेज 1 का बाकी

ही उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। जनरल नरवणे ने कहा कि अगर वह आतंकवाद का पोषण नहीं रोकता तो हमारे पास एहतियातन आतंकी अड्डों पर हमला करने का अधिकार है। थलसेना के उप प्रमुख पद पर रहे जनरल नरवणे ने जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया।

जनरल नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान के उकसावे या उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के किसी भी कृत्य का जवाब देने के लिए कई सारे विकल्प हैं। पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए अधिक समय तक छद्म युद्ध नहीं चला सकता है। नरवणे ने ऐसे समय में सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है, जब भारत सीमा पार से आतंकवाद और सीमा पर चीन की ओर से मिल रही सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। जनरल नरवणे की प्राथमिकताएं सेना में लंबे समय से रुके सुधारों को लागू करना, कश्मीर में सीमा पार से जारी आतंकवाद पर लगाम लगाना और उत्तरी सीमा पर सेना की संचालनात्मक क्षमताओं को बढ़ाना है जहां तिब्बत में चीन अपना सैन्य ढांचा बढ़ा रहा है।

उप सेना प्रमुख नियुक्त होने से पहले जनरल नरवणे सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे, जो चीन के साथ लगती भारत की लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा करती है। अपनी 37 वर्षों की सेवा में जनरल नरवाने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति और उग्रवाद विरोधी अभियानों तथा कई कमानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन तथा पूर्वी मोर्चे पर इंफेंट्री ब्रिगेड में भी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा वह श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा बल का हिस्सा रह चुके हैं और उन्होंने तीन साल तक म्यांमा में भारतीय दूतावास में भारत के रक्षा अताशे के रूप में भी सेवा दी। उनकी नियुक्ति जून 1980 में सिख लाइट इंफेंट्री रेजीमेंट की सातवीं बटालियन में हुई थी।

काम संभालने के बाद नए सेना प्रमुख ने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क आतंकवाद को अपनी नीति बना चुका है। यह अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। आतंकवाद वैश्विक समस्या है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना लगातार संघर्षविराम उल्लंघन कर रही है। हमें पता है कि दूसरी तरफ आतंकवादी सीमा पार करने की कोशिश में हैं। हम उनसे निपटना जानते हैं।

कश्मीर में नए साल में एसएमएस सेवा बहाल

पेज 1 का बाकी

कश्मीर में चलाई जा रही सेव हार्ट कश्मीर नाम सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई। इस सेवा के तहत दो सौ चिकित्सकों का एक व्हॉट्सएप समूह दिल के दौरे पड़ने पर सेवाएं दिया करता था। सरकार ने कुल 149 दिन तक एसएमएस सेवाओं पर प्रतिबंध रखा। एसएमएस सेवाओं को बहाल करने का निर्णय पांच कश्मीरी नेताओं को रिहा करने के एक दिन बाद आया है।

पूरे जम्मू और कश्मीर में सभी नेटवर्क और लैंडलाइन फोन सेवाएं पांच अगस्त को निलंबित कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था और मोबाइल सेवाओं पर रोक लगा दी थी।

जम्मू में प्रतिबंध के कुछ दिनों बाद ही संचार सेवाएं बहाल कर दी गई थीं और अगस्त के मध्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी शुरू कर दी गई थीं। 18 अगस्त को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं थी। लेकिन कश्मीर में यह पाबंदी जारी रही। अक्तूबर में कश्मीर में भी पोस्ट पेड मोबाइल सेवा बहाल कर दी गई थीं।

विधानसभाओं के पास सीएए पर कोई शक्ति नहीं : रविशंकर

पेज 1 का बाकी

गौरतलब है कि यह संशोधित अधिनियम (सीएए) पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का सामना करने के कारण भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। उन्होंने यहां कहा, 'यह सिर्फ संसद है, जिसे नागरिकता पर कोई कानून पारित करने की शक्तियां प्राप्त हैं, केरल विधानसभा सहित किसी (अन्य) विधानसभा को नहीं।'

प्रसाद ने कहा कि यह अधिनियम भारतीय नागरिकों से संबद्ध नहीं है और इस कारण यह नागरिकता ना तो सृजित करता है, न ही छीनता है। उन्होंने यह याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने क्रमशः युगांडा के अल्पसंख्यकों और श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता मुहैया कराई थी।

प्रसाद ने हैरानी जताई कि यदि कांग्रेस ऐसा करती है तो यह ठीक और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह यही चीज करते हैं तो यह एक परेशानी कैसे है। उन्होंने सीएए का पुरजोर बचाव करते हुए कहा, 'यह दोहरा मानदंड और निकृष्ट तरह का पाखंड है।' गौरतलब है सीएए के खिलाफ पिछले कुछ हफ्तों के दौरान देश भर में प्रदर्शन हुए हैं। मंत्री ने कहा, 'सीएए किसी भारतीय नागरिक से संबद्ध नहीं है। यह भारतीयों की नागरिकता न तो सृजित करता है, ना ही इसे छीनता है। यह धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए अल्पसंख्यकों (तीन देशों से आए) पर सिर्फ लागू होता है।' उन्होंने कहा सीएए बिल्कुल ही संवैधानिक और कानूनी है। इसके खिलाफ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा काफी सारा दुष्प्रचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर उन्होंने कहा कि यह भारत के सामान्य निवासियों के बारे में सूचनाओं का एक व्यापक संग्रह है और इसका नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। यह किसी गांव या शहर के सामान्य भारतीय निवासियों के बारे में है और इसका नागरिकों से कोई लेनादेना नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या रजिस्टर के डेटा का उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकारें विकास और नीति निर्माण प्रक्रियाओं के लिए करती हैं।

102 लाख करोड़ की परियोजनाओं की पहचान

पेज 1 का बाकी

में ही एक कार्यबल ने 70 संबद्ध पक्षों से विचार विमर्श करने के बाद 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की पहचान की है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें तीन लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं और भी शामिल हो सकतीं हैं। सीतारमण ने बताया कि करीब 25 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं बिजली क्षेत्र में हैं। जबकि 20 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं सड़क निर्माण की हैं और करीब 14 लाख करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं हैं। जो कि कतार में हैं और जिनके क्रियान्वयन की तैयारी है। उन्होंने बताया कि बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं में अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा रेलवे, शहरी विकास, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और डिजिटल क्षेत्र की परियाजनाएं शामिल हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना क्रियान्वयन प्रक्रिया के तहत आने वाली ज्यादातर ढांचागत परियोजनाएं इन क्षेत्रों से ही होंगी। इन परियोजनाओं में 39 फीसद केंद्र सरकार और 39 फीसद राज्य सरकारों के हिस्से की होंगी। जबकि 22 फीसद निवेश निजी क्षेत्र से किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि पिछले छह साल के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में 51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन परियोजनाओं पर अमल होने से देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि ढांचागत क्षेत्र की जिन 102.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की गई है इनमें एक चौथाई परियोजनाएं अकले ऊर्जा क्षेत्र की हैं। इसके बाद सड़क और रेलवे क्षेत्र की परियोजनाएं हैं जिनमें सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं के बारे में उपलब्ध कराए गए ब्योरे के मुताबिक अकेले ऊर्जा क्षेत्र में ही 24.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 11.7 लाख करोड़ रुपए केवल बिजली क्षेत्र में निवेश होगा। सड़क परियोजनाओं में 19.63 लाख करोड़ रुपए जबकि रेलवे परियोजनाओं में 13.68 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

बंदरगाह क्षेत्र में एक लाख करोड़ रुपए और हवाईअड्डों में 1.43 लाख करोड़ रुपए निवेश होने का अनुमान है। इसके अलावा 16.29 लाख करोड़ रुपए का खर्च शहरी ढांचागत सुविधाओं में और 3.2 लाख करोड़ रुपए दूरसंचार परियोजनाओं में खर्च होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की इस पाइपलाइन में 42.7 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पहले से ही क्रियान्वयन में हैं जबकि 32.7 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं परिकल्पना के स्तर पर और शेष परियोजनाएं विकास के क्रम में हैं।

'सीमा पर हर चुनौती से निपटने को सेना तैयार'

पेज 1 का बाकी

भी चुनौती से निपटने के लिए सेना बेहतर तरीके से तैयार है। जनरल रावत ने 31 दिसंबर 2016 को 27 वें थलसेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाला था और विशिष्ट करियर के बाद इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सोमवार को वह भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किए गए। उन्होंने बतौर सेना प्रमुख आखिरी गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद सीडीएस का काम संभाल लिया।

रस्मी विदाई के बाद जनरल रावत ने तीन साल के अपने कार्यकाल को याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर बेहतर तरीके से चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुई है। रायसीना हिल परिसर में साउथ ब्लॉक के प्रांगण में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।

थलसेना प्रमुख बनने के पहले कई वर्षों तक उन्होंने पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा (एलओसी) और चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर व पूर्वोत्तर में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली थीं।

जनरल रावत ने कहा, 'मेरा ध्यान सेना के पुनर्गठन, आयुध सिस्टम के आधुनिकीकरण और गैर संपर्क युद्ध पर रहा। और मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया।'

उनके कार्यकाल में सेना को एम 777 अमेरिकी अल्ट्रा लाइट होवित्जर और के–9 वज्र सहित महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली और सिग सौएर असॉल्ट राइफलों से लैस किया गया। उन्होंने कहा, 'कई काम अब तक अधूरे हैं। काम शुरू हो गया लेकिन अगले प्रमुखों पर काम पूरा कराने की जिम्मेदारी होगी।'

विदाई सलामी गारद के बाद जनरल रावत ने उम्मीद जताई कि नए सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में सेना नई ऊंचाइयों को छुएगी। जनरल रावत ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी।

www.readwhere.com

अमेरिका- चीन के बीच पहले चरण का व्यापार समझौता 15 जनवरी को

वाशिंगटन, 31 दिसंबर (एएफपी)।

अमेरिका और चीन के बीच एक नए आंशिक व्यापार समझौते पर अगले महीने के मध्य में हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगवालर को यह बात कही। उन्होंने कहा कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए इसके बाद वह चीन की यात्रा भी करेंगे।

वॉल स्ट्रीट के खुलने से कुछ समय पहले ही ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, 'मैं 15 जनवरी को चीन के साथ पहले चरण के बहुत बड़े और व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं।' उन्होंने कहा, 'यह हस्ताक्षर समारोह वाइट हाउस में होगा। इस मौके पर चीन के उच्चस्तरीय प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।' ट्रंप ने कहा कि इसके बाद बातचीत को आगे जारी रखने के लिए वह बेजिंग की यात्रा पर जाएंगे। दोनों देशों की ओर से पिछले महीने पहले चरण के व्यापार समझौते को लेकर घोषणा की गई थी। अमेरिका और चीन के बीच

> ●ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, 'मैं 15 जनवरी को चीन के साथ पहले चरण के बहुत बड़े और व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं।' उन्होंने कहा, 'यह हस्ताक्षर समारोह वाइट हाउस में होगा। इस मौके पर चीन के उच्चस्तरीय प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।'

करीब दो साल तक चले व्यापार युद्ध के बाद यह सहमति बनी है। चीन ने जहां एक ओर अमेरिका से आयात बढ़ाने और व्यापार क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया वहीं अमेरिका ने इसके जवाब में कुछ सामानों पर शुल्क को कम किया और नए उत्पादों पर लगाए जाने वाले शुल्क को निरस्त कर दिया। दोनों देशों के बीच समझौते पर सहमति बनने और व्यापार विवाद शांत पड़ने के बाद इस महीने वॉल स्ट्रीट में तेजी का रुख बना रहा लेकिन मंगलवार को अमेरिका में शेयरों की शुरुआत कमजोर दिखी।

येल्तसिन के निधन की आशंका से चिंतित रहता था ब्रिटेन

लंदन, 31 दिसंबर (एएफपी)।

ब्रिटेन 1995 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन को अक्सर पड़ने वाले दिल के दौरों और शराब पीने की उनकी लत से इतना चिंतित था कि पद पर रहते हुए उनका निधन हो जाने की आशंका के चलते आकस्मिक योजनाएं पहले ही तैयार कर ली जाती थीं। सार्वजनिक हुईं फाइलों से मंगलवार को यह खुलासा हुआ।

ब्रिटेन के नेशनल आर्काइव्स से जारी दस्तावेज के मुताबिक येल्तसिन को दूसरी बार दिल का दौरा पड़ने के बाद विदेश मंत्रालय ने उनकी सेहत को लेकर डर के चलते शोक संबंधी बयान तैयार करने शुरू कर दिए थे। येल्तसिन ने 23 अक्तूबर, 1995 को न्यूयॉर्क के हाइडे पार्क में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ शिखर वार्ता की थी। उसी दिन मास्को में राजदूत एंड्रयू वुड ने येल्तसिन के स्वास्थ्य के बारे में न्यूयार्क में दस्तावेज लिखा जिसमें उन्होंने कहा था 'हाइडे पार्क में उन्होंने (येल्तसिन ने) बहुत शराब पी और फिर एक समारोह में अपनी अनुपस्थिति को लेकर अफसोस जाहिर किया।' येल्तसिन को 26 अक्तूबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद मॉस्को के अस्पताल में ले जाया गया। ब्रिटेन इसलिए परेशान रहता था क्योंकि कूटनीतिक वार्ताओं के दौर के बीच में येल्तसिन का अगर निधन हो जाता तो असाधारण राजनीतिक भ्रम पैदा हो जाता। खराब स्वास्थ्य के बावजूद येल्तसिन 1999 में दिसंबर तक सत्ता में रहे।

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

अंचल कार्यालय-1: दिल्ली रिकवरी एवं रिजॉल्यूशन बिजनेस यूनिट (आरआरबीयू)
सिंडिकेट बैंक, # 6, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड नई दिल्ली-110001 टेली. 011-23070420, फैक्स: 011-23386739 E-mail: ro.delhi@syndicatebank.co.in

सार्वजनिक नीलामी द्वारा हापोथेकेटेड वाहनों की बिक्री

''जैसा है जहाँ है आधार'' पर निम्न वाहनों की बिक्री के लिये मुहरबंद निविदायें आमंत्रित हैं:

क्रम सं.	शाखा	बीआईसी	व्हीकल मैक एवं पंजीकृत संख्या	ऋणधारक का नाम एवं खाता सं.	निर्धारित आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान
1	हौज खास	9049	DL-1RT-9200 हयुण्डई एक्सेन्ट Model -2015 CNG	राम सोरत मौर्य 90497910000370	40,000	4,000
2	हौज खास	9049	DL-1RTA-8309 मारुति सुजूकी डिजायर LXI MODEL - 2016 CNG	अनिल पंडित 90497910000717	1,00,000	10,000
3	संगम विहार	9189	DL-1RTA-6883 हयुण्डई एक्सेन्ट Model - 2016 CNG	सतीश 91897910000185	1,00,000	10,000
4	संगम विहार	9189	Dl-1RT-8559 - हयुण्डई एक्सेन्ट - Model -2015 CNG	सतीश कुमार शर्मा 91897910000177	88,000	9,000
5	ग्रीन पार्क	9048	UK-06AE-8552 ICML Extreme D-2015	प्रीति शर्मा 90487790000781	80,000	8,000
6	सिविक सेन्टर	9169	DL-1RTA-2175 हयुण्डई एक्सेन्ट Model- 2016 CNG	संजीव कुमार भारद्वाज 91697910000312	1,00,000	10,000
7	सिविक सेन्टर	9169	DL-1RTA-1300 हयुण्डई एक्सेन्ट Model- 2016 CNG	संतोष कुमार 91699910000291	1,00,000	10,000
8	सिविक सेन्टर	9169	DL-1RTB-3899, मारुति वैगनआर R LXI Model - 2016 CNG	बलराम 91699910000098	1,40,000	14,000
9	छतरपुर	9013	DL-1RT-8766 हयुण्डई एक्सेन्ट Model-2015 CNG	प्रयाग महतो 90137910000670	80,000	8,000

नियम एवं शर्तें

1. इच्छुक बोलीदाता को 'सिंडिकेट बैंक' के पक्ष में नई दिल्ली में देय डीडी द्वारा प्रत्येक वाहन के समक्ष वर्णित 10% की ईएमडी (असफल बोलीदाता को बिना किसी ब्याज के प्रतिदेय) के साथ मुहरबंद लिफाफे में (प्रत्येक वाहन के लिये अलग-अलग) अपनी बोली भेजना होगी। यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों, समय का पालन नहीं करते तथा किसी भी रूप में चूक करते हैं तो बिना किसी पूर्व सूचना के ईएमडी जब्त कर ली जायेगी। वह बोली इस तरह से भेजी/जमा की जायेगी ताकि वह सिंडिकेट बैंक, रिकवरी एवं रिजॉल्यूशन बिजनेस यूनिट (आरआरबीयू), अंचल कार्यालय-I, II रा तल, # 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001 में 16.01.2020 के 5.00 बजे अप. या उससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाये।
2. बोली/निविदाओं को उपस्थित बोलीदाता/आम जनता के समक्ष नीलामी स्थल अर्थात् लेन नं. 5, सैदुलाजब, साकेत मेट्रोस्टेशन के निकट, स्टर्लिंग सिक्युरिटी चैम्बर्स के यार्ड, साकेत, नई दिल्ली-110017 में 17.1.2020 को 11.30 पूर्वा. में खोला जायेगा।
3. बोली/निविदा खुलने के बाद प्राधिकृत अधिकारी की स्वेच्छा पर इच्छुक बोलीदाताओं को प्रस्ताव मूल्य बढ़ाने के लिये आपस में इंटर-से बिडिंग का अवसर दिया जायेगा।
4. वाहनों के क्रेताओं को उनके नाम में वाहनों के अंतरण से संबंधित लागत/शुल्कों, परिवहन विभाग को देय करों, वाहन बीमा तथा इस तरह के शुल्कों का वहन करना होगा।
5. प्राधिकृत अधिकारी स्वामी, बोलीदाता, जनता आदि को आगे कोई सूचना दिये बिना किसी भी समय बिक्री को निरस्त/स्थगित कर सकते हैं एवं/अथवा किसी भी शर्तों को शामिल/हटा/परिवर्तित कर सकते हैं।
6. अधिक विवरणों के लिये 16.1.2020 को या उससे पूर्व कार्यावधि के दौरान हमारे कार्यालय के श्री राहुल सैनी, वरिष्ठ प्रबंधक, रिकवरी एवं रिजॉल्यूशन बिजनेस यूनिट (आरआरबीयू) से सम्पर्क करें। वाहन निम्न पते पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं: (लेन नं. 5, सैदुल अजब, साकेत मेट्रो स्ट्रेशन के निकट, स्टर्लिंग सिक्युरिटी चैम्बर्स यार्ड, साकेत, नई दिल्ली-110017, सम्पर्क व्यक्ति श्री कैलाश (मोबाईल-9716464960)
7. सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि की तिथि से 10 दिनों के भीतर 90% बोली राशि (ईएमडी रहित) का भुगतान करना होगा। चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।

तिथि: 31.12.2019 हस्ता./-
स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

इराक में अमेरिकी दूतावास में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए

बगदाद, 31 दिसंबर (एएफपी)।

इराकी प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को यहां उच्च सुरक्षा वाले अमेरिकी दूतावास परिसर की बाहरी दीवार को तोड़ दिया। प्रदर्शनकारी सप्ताहांत में हुए हवाई हमलों के दौरान ईरान समर्थक लड़ाकों के मारे जाने से गुस्से में थे। अमेरिकी सुरक्षाबलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए परिसर के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े।

प्रदर्शनकारी रविवार को हुए अमेरिकी हवाई हमलों का विरोध कर रहे थे, जिसमें कटाईब हिजबुल्लाह (हिजबुल्ला ब्रिगेड) के कट्टरपंथी गुट के कम से कम 25 लड़ाके मारे गए थे। अमेरिका ने गुट पर अमेरिकी ठेकेदार की हत्या का आरोप लगाया है। सऊदी अरब ने इराक में अमेरिकी बलों पर हुए हमले की निंदा की है और इस पर गंभीर चिंता जताई है।

सऊदी अरब की प्रेस एजंसी ने अनाम सूत्र के हवाले से कहा, 'सऊदी अरब इराक के अंदर आतंकवादी हमलों के बढ़ने से बेहद चिंतित है जिनमें हालिया हमलों के तहत इराक में मौजूद अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ ईरानी शासन द्वारा समर्थित आतंकवादी मिलिशिया द्वारा हमले किए गए थे।' इसमें कहा गया, 'सऊदी अरब इन आतंकवादी हमलों की निंदा करता है। आतंकवादी मिलिशिया द्वारा किए गए ये हमले इराक की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं और इसकी सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित करते हैं।'

अमेरिकियों की रक्षा करने में नाकाम इराक : वाशिंगटन

वाशिंगटन, 31 दिसंबर (एएफपी)।

ईरान समर्थित समूह पर हवाई हमले करने से पैदा हुए आक्रोश के एक दिन बाद अमेरिका ने इराक पर वाशिंगटन के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। अमेरिका के विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा, 'हमने इराक सरकार को कई बार आगाह किया और हमने आमंत्रित अतिथियों के तौर पर हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए उनके साथ सूचना साझा की।'

रेडियो पाकिस्तान का फेसबुक पर आरोप

इस्लामाबाद, 31 दिसंबर। पाकिस्तान के सरकारी प्रसारक ने दावा किया कि फेसबुक ने कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के बारे में उसकी खबरों के बुलेटिन के सीधे प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया। रेडियो पाकिस्तान ने कहा 'फेसबुक प्रशासन ने कश्मीर में लगातार ज्यादतियों, कर्फ्यू और सैन्य कार्यवाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पीबीसी के समाचार बुलेटिनों का सीधा प्रसारण ब्लॉक कर दिया।' **(भाषा)**

रिपब्लिकन सांसद ने कश्मीर में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तारीफ की

वाशिंगटन, 31 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को 'अप्रचलित प्रावधान' बताते हुए अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद ने कश्मीर में 'स्थिरता' सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और संसद के कदमों की सराहना की।

अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में अरिजोना के सांसद पॉल ए गोसर ने क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्य जारी रखने के लिए ट्रंप प्रशासन की तारीफ की। गोसर ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटे जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि शांति और आर्थिक समृद्धि के लिए यह बदलाव करना आवश्यक था। मैं जम्मू-कश्मीर में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और संसद की, उनके नेतृत्व के लिए सराहना करता हूं।' उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के लिए लागू कानून का अप्रचलित प्रावधान अनुच्छेद 370 अब नहीं रहा है। अनुच्छेद 370 और इसकी वजह से ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल के कारण क्षेत्र में हजारों निर्दोष लोगों की जान गई।'

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा (दिल्ली) – 8 वीं मंजिल डीसीएम बिल्डिंग 16, बाराखम्भा रोड, सी पी, नई दिल्ली – 110001
शाखा (सेक्टर-3, नोएडा) – भूतल, डी-2, सेक्टर – 3, नोएडा (उ.प्र.) – 201301, शाखा (सेक्टर-63, नोएडा) – एच-1ए / 10, प्रथम तल, सेक्टर – 63, नोएडा- 201301 (उ.प्र.)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2), अद्यतन संशोधित, के अधीन सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने अपनी दिल्ली शाखा शाखा (दिल्ली) – 8 वीं मंजिल डीसीएम बिल्डिंग 16, बाराखंभा रोड, सी पी, नई दिल्ली – 110001, शाखा (सेक्टर-3, नोएडा) – भूतल, डी-2, सेक्टर – 3, नोएडा (उ.प्र.) – 201301, शाखा (सेक्टर-63, नोएडा) – एच-1ए / 10, प्रथम तल, सेक्टर – 63, नोएडा- 201301 (उ.प्र.) पर स्थित है शाखा कार्यालय द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय III की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से निम्नवर्णित आप सब कर्जदारों / सह-कर्जदारों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता, किश्तों / ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्तु आपके द्वारा मूलधन की किश्तों, ब्याज इत्यादि के भुगतान में की गई चूकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपेक्षित भी है। एतदद्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतन ब्याज तथा अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्याभूत आस्तियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्याभूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिल है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि यदि सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है, तो आप उसके पश्चात प्रत्याभूत आस्ति(यों) छुड़ाने के हकदार नहीं होंगे।

आगे, आप के ऊपर, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है।

क्र. सं.	ऋण खाता सं. एवं शाखा	कर्जदार / सह-कर्जदार का नाम/पता	गारंटर का नाम/पता	बंधक रखी गई सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि
1.	00166660004675 बी.ओ. सेक्टर -3, नोएडा	श्री अरुण चंद खन्ना, मैसर्स फास्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री गोकल चंद खन्ना, श्रीमती मोनिका खन्ना, 1 श्री राम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 और सी -14, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201003	नहीं	KUB0082302, कुबे, जेपी ग्रीन्स, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301	27.11.2019	27.11.2019 तक रू 89,29,287.87
2.	00166660006012 बी.ओ. सेक्टर -3, नोएडा	श्री पियूष खंडेलवाल, श्रीमती प्रिया खंडेलवाल, ई -51, द्वितीय तल, सुशांत लोक -1, गुड़गांव, हरियाणा-122009 और पश्चिम छोर 502, नाइटसब्रिज, गुड़गांव, हरियाणा -122001	नहीं	यूनिट नं.-KS20050401, जेपी ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश -201301	27.11.2019	27.11.2019 तक रू 27,49,271.41
3.	00166660003612 बी.ओ. सेक्टर -3, नोएडा	श्रीमती दीप शिखा सिंह, श्री रितु राज चौधरी, सी -302, मयूर ध्वज अपार्टमेन्ट, प्लॉट नंबर -60, आई पी एक्सटेंशन, दिल्ली -110092	नहीं	फ्लैट नं- 0601, ब्लॉक - ए1 यूनिटेक यूनिहोम - 3, सेक्टर -113 नोएडा, उत्तर प्रदेश -201301	27.11.2019	27.11.2019 तक रू 15,41,346.03
4.	HOU/NOI/0119/629672 बी.ओ. नोएडा	श्री कार्तिक चोपड़ा, श्रीमती डॉली चोपड़ा, फ्लैट नंबर 805, 8वीं तल, रॉयल हाइट पाटिल रोड, बोपोडी, पुना, महाराष्ट्र- 411020	नहीं	बी -104, 1-टावर बी, वैभव हेरिटेज हाइट, प्लॉट नं. जीएच-01ई, सेक्टर -16, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश -201310	27.11.2019	27.11.2019 तक रू 46,30,139.00
5.	00166660005673 बी.ओ. नोएडा	श्री राहुल चौहान, श्री सोमपाल सिंह चौहान, 506 सी ईगल, आईएनएस हम्ला मारुवे रोड, सलाड वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400095	नहीं	705, 7, टावर एएन सी, अजनारा अम्बासिया, सेक्टर -118, नोएडा, एक्सप्रेसवे के पास, उत्तर प्रदेश -201301	27.11.2019	27.11.2019 तक रू 44,80,675.92
6.	00166660003704 बी.ओ. सेक्टर -3, नोएडा	मेसर्स जीएलएस फार्मा लिमिटेड, श्री सुरेश पाठक, श्रीमती सुनीता पाठक, बी-1 / 58, प्रथम तल, मालवीय नगर, दिल्ली 110017 और 206, स्काई लार्क बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, दिल्ली-110019 और आर-4 मेन खिलारी रोड, खिरकी एक्सटेंशन मालवीय नगर, दिल्ली -110017	नहीं	के7-2101, कैलिफोर्नी कोर्ट जेपी ग्रीन्स, सेक्टर -128 नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301	27.11.2019	27.11.2019 तक रू 1,03,06,085.78
7.	HOU/NOI/0119/628727 बी.ओ. सेक्टर -3, नोएडा	श्री संजय राव, श्रीमती विमला राव, फ्लैट नंबर 6, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 23 और 23ए, ब्लॉक बी1, संपर्क पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली -110059	नहीं	सीवीएन -टी 06-01-03, 1, टावर टी 6, सीएवडी वान्स, फाजिलपुर डारसा गांव, गुड़गांव, हरियाणा -122001 निरंजना कट्टी -II के पास	27.11.2019	27.11.2019 तक रू 1,04,22,182.50
8.	00166660004675 बी.ओ. दिल्ली	श्री सुशील भारद्वाज, सुश्री एकता भारद्वाज, श्री हेट राम शर्मा, सुश्री रश्मि भारद्वाज और श्री सुधीर भारद्वाज पता: फ्लैट नं- सी 24, एचईडब्ल्यूओ अपार्टमेंट, सेक्टर -16ए, फरीदाबाद हरियाणा 122002	श्री हरीश बैसला, पता: – 733, सेक्टर -17, फरीदाबाद हरियाणा 122001 एवं श्री राजेश गौर, ई -24, नेहरू ग्राउंड, एनआईआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा 122001	फ्लैट नं. सी – 24, हेवो अपार्टमेंट्स, सेक्टर -16ए, फरीदाबाद हरियाणा -122002	10.12.2019	10.12.2019 तक रू 3,00,027.23
9.	00016660007092 बी.ओ. दिल्ली	श्री गोपाल सिंह पता: 1 / 2697 राम नगर शाहदरा दिल्ली 110032	श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता जे -14, ब्रह्मपुरी, गली नं 10, दिल्ली 110053	मकान नं ए -3, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-ए, पार्ट-II (डब्ल्यूएस), सेक्टर-12, टीएचए, रामप्रस्था गाजियाबाद, उ.प्र.	05.12.2019	05.12.2019 तक रू 5,20,488.63
10.	00016660009776 बी.ओ. दिल्ली	श्री देवाशीष रावत एवं श्री पदम सिंह रावत पता : – फ्लैट नंबर बी – 19 / सी -1, आईआईटी कैंपस, हौज खास, नई दिल्ली -110016	नहीं	फ्लैट नं. 1107, ग्यारहवीं मंजिल, टावर -बी4, युनिहोम्स- 3, सेक्टर -113, नोएडा, उ प्र	02.12.2019	02.12.2019 तक रू 21,09,945.90
11.	HOU/DEL/0615/225726 बी.ओ. दिल्ली	श्री संतोष कुमार और श्रीमती शबनम जसवाल पता: – जी-37, द्वितीय तल, श्याम नगर, दिल्ली एवं फ्लैट नंबर आर 1601 द हाइड पार्क सेक्टर 304 नोएडा -201304	नहीं	बी -004, जीएच -01 / बी, ब्लॉक बी, भूतल, आकृति शांति निकेतन, सेक्टर 143बी, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201301	02.12.2019	02.12.2019 तक रू 76,61,563.70
12.	00016660006999 बी.ओ. दिल्ली	श्री अशोक कपूर पता: – ए -123, विवेक विहार, दिल्ली – 110095	श्री मुकेश अग्रवाल, ए-148, विवेक विहार, दिल्ली 110095	फ्लैट नं एम-302, प्लॉट नं. 28, दूसरी मंजिल, एम आई जी फ्लैट, शालीमार गार्डन एक्स -I, गाजियाबाद, उ प्र -201005	12.12.2019	12.12.2019 तक रू 5,17,466.80
13.	HOU/NOIB/0617/397663 बी.ओ. सेक्टर -63, नोएडा	श्री देव कुमार और श्री रश्मि गौतम अनिल विहार खोरा कॉलोनी, भारत उत्तर प्रदेश गाजियाबाद 201301	नहीं	ई डब्ल्यू एस फ्लैट नं. 238-डी, तीसरी मंजिल, ब्लॉक-59, सेक्टर-73, नोएडा, तहसील और जिला गौतम बुद्ध नगर नोएडा, उत्तर प्रदेश -201305	28.08.2019	22.08.2019 तक रू 12,13,100.14
14.	HOU/NOI/1015/244746 बी.ओ. सेक्टर -3, नोएडा	श्रीमती शालिनी त्रिपाठी, एमआईजी -3 / 12 / 123 नेहरू नगर, रीवा, मध्य प्रदेश -486001	श्री अभिषेक त्रिपाठी, 100- सी, सिंगल स्टोर, रमेश नगर, नई दिल्ली -110015	2007, बीसवीं मंजिल, टावर- बी -1, मॉर्फियस प्रतीक्षा, प्लॉट नं. जी एच -16 ए, सेक्टर – 01, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश -201301	09.12.2019	09.12.2019 तक रू 31,24,024.74
15.	00166660002823 बी.ओ. सेक्टर -3, नोएडा	श्रीमती मीनू जैन एवं श्री मनीष जैन, फ्लैट नंबर -4, प्रथम तल, बालाजी एपार्टमेंट, ब्लॉक-बी, नेहरू नगर -2, गाजियाबाद, उ.प्र.- 201001	श्री जितेन्द्र कुमार, बी- 77, हरदेव सहाय नगर, कालका गारी चौक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201001	प्लॉट नं. 42, पहली मंजिल, ब्लॉक -सी, मगन एन्क्लेव, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201009	10.12.2019	10.12.2019 तक रू 17,49,495.27
16.	NHL/GRP/0417/379004 बी.ओ. ग्रीन पार्क	गुरमिंदर सिंह साहनी, वरजीन कौर साहनी, नरेंदर कौर साहनी, ए-90 द्वितीय तल, मोरा बाग, दिल्ली, भारत, 110026	नहीं	सम्पत्ति नं. 48, भूतल (फ्रंट साइड), नार्थ एवेन्यू रोड, पंजाबी बाग पश्चिम, दिल्ली, भारत -110026	20.12.2019	20.12.2019 तक रू 1,65,95,872.61
17.	HOU/GRP/1016/325512 बी.ओ. ग्रीन पार्क	प्रियंका, बी -66, तृतीय तल, बी-ब्लॉक, पटेल गार्डन, दिल्ली – 110078 एवं फ्लैट नंबर 1741, जिनिनिया टावर्स, गौर सौन्दर्यम, ग्रेटर नोएडा वेस्ट- 201306	नहीं	508.5, टावर डी (डायमंड), एसजी ग्रैंड, खसरा नं. -145 और 199, गांव -मोरती, गाजियाबाद, एन ए, रिवर हाइट्स, एन ए, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत -201017	20.12.2019	20.12.2019 तक रू 11,66,289.95
18.	166660001937 बी.ओ. नोएडा	श्री जय नाथ सिंह, जे -146, ओल्ड सीमापुरी, दिल्ली – 110095	श्री अनिल कुमार वर्मा, म. नं. 83, गली जैन मंदिर, कस्तूरबा नगर, छोटा बाजार के पास शाहदरा नई दिल्ली- 110032	यूनिट नं. ए -104 भूतल क्वांटम रेजीडेंसी, राज नगर नूर नगर, गाजियाबाद, उ प्र -201002	20.12.2019	20.12.2019 तक रू 9,13,206.36

स्थान : दिल्ली एनसीआर दिनांक : 01.01.2020 प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कार्यालय: रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा सूचना

आर.सी. नं. 278/2018 तिथि: 18.12.2019

पंजाब नेशनल बैंक बनाम मोह. शाकिर

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

सेवा में
सीडी 1: मोह. शाकिर, पुत्र श्री मोह. जहीर, ए-28, मदरडेयरी के निकट, न्यू जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली-110032
सीडी 2: सुश्री मुमताज जहॉन, पत्नी मोह. शाकिर, ए-28, मदरडेयरी के निकट, न्यू जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली-110032

1. जैसा कि सुट के संस्थापन की तिथि से वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागतों तथा चार्जेज के साथ सर्टिफिकेट डेब्टर्स से 9.6% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के साथ प्रतिवादी सं. 1 से 2 के विरुद्ध रु. 82,65,140.06 (रुपये बयासी लाख पैंसठ हजार एक सौ चालिस तथा पैसे छः मात्र) की वसूली के लिये पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा ओए नं. 522/2017 तिथि 27.9.2018 में वसूली प्रमाणपत्र सं. 278/2018 तैयार किया गया है।
2. तथा जैसा कि उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि में अधोहस्ताक्षरी ने अनुसूची में नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 6.2.2020 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच यदि जरूरी हो 4.00 बजे अप. के बाद 5 मिनट के विस्तार के साथ में ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन-लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली'' के माध्यम से वेबसाईट https://drt.auctiontiger.net पर होगी।
4. यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त सीडी'ज की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
5. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
6. ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।
7. यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

7.1 संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, ल

पांच कंपनियों पर जुर्माना

नई दिल्ली, 31 दिसंबर। सेबी ने पांच कंपनियों पर एक कंपनी के शेयरों के बाजार को साठगांठ के जरिए प्रभावित करने के आरोप में 14.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।

सूचकांक ने लगाया 304 अंक का गोता

मुंबई, 31 दिसंबर (भाषा)।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ बैंक और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट से साल 2019 के आखिरी दिन सूचकांक 304 अंक लुढ़क गया।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 304.26 अंक यानी 0.73 फीसद गिरकर 41,253.74 अंक पर आ गया।

इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 87.40 अंक यानी 0.71 फीसद गिरकर 12,168.45 अंक पर आ गया। सूचकांक की कंपनियों में टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा 2.51 फीसद की गिरावट आई। बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी और टीसीएस के शेयर भी गिरे।

दूसरी तरफ, एनटीपीसी, सन फार्मा, ओएनजीसी, पावरग्रिड और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में तेजी रही। विश्लेषकों ने कहा कि किसी बड़े आर्थिक कारक के अभाव में और शेयर विशेष में बिकवाली से बाजार में गिरावट आई।

वैश्विक बाजार में, शंघाई 0.33 फीसद बढ़कर जबकि हांगकांग 0.46 फीसद गिरकर बंद हुआ। तोक्यो और सोल में छुट्टी की वजह से बाजार बंद रहा।

चालू खाते का घाटा दूसरी तिमाही में कम होकर 0.9 फीसद रहा : आरबीआइ

मुंबई, 31 दिसंबर (भाषा)।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर 2019) के दौरान चालू खाते का घाटा (कैड) कम होकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.9 फीसद रह गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह जीडीपी के मुकाबले 2.9 फीसद पर था।

रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत में चालू खाते का घाटा कम होकर 0.9 फीसद यानी 6.3 अरब डॉलर रह गया जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 2.9 फीसद या 19 अरब डॉलर रहा था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2019) में यह घाटा जीडीपी के दो फीसद यानी 14.2 अरब डॉलर पर रहा था। रिजर्व बैंक ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा है, कैड में आई यह कमी प्राथमिक तौर पर 38.1 अरब डॉलर के निम्न व्यापार घाटे की वजह से है। एक साल पहले व्यापार घाटा 50 अरब डॉलर की ऊंचाई पर था।

एअरलाइन कंपनियों की बाजार बिगाड़ने की नीति जारी : पुरी

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि भारत में एअरलाइन कंपनियां अब भी दूसरे के पर कतरने वाली मूल्य नीति पर चल रही हैं। उन्होंने आगाह किया कि यह सिलसिला अगर बना रहा तो कुछ अन्य एअरलाइनें भी डूब सकती हैं।

> सिलसिला जारी तो कुछ एअरलाइनें डूब जाएंगी

पुरी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में हालांकि यह भी कहा कि उनके मंत्रालय की ऐसी कोई सोच नहीं है कि विमान किरायों को विनियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि किराए खुले बाजार की नीति के दायरे में ही रहने चाहिए। हमें बाजार में संतुलन बनाने की जरूरत है। एअरलाइन कंपनियों की खराब वित्तीय हालत के लिए केवल गलाकाट मूल्य स्पर्धा ही जिम्मेदार नहीं है। लेकिन यह कई कारणों में से एक कारण जरूर है। पुरी ने कहा, एअरलाइनों से बातचीत के बाद बाजार बिगाड़ने वाली मूल्य नीति में कुछ कमी आई है; हमारा सुझाव है कि किराये को व्यवहारिक रखा जाए।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम, रेल मंत्रालय)
उत्तर मध्य क्षेत्र (एनसीआर), छठवीं मंजिल, आईडब्ल्यूएआई बिल्डिंग, ए-13, सेक्टर-1 नोएडा-201301 (उ.प्र.), दूरभाष: 0120-4052950, फैक्स: 0120-4052988

ई-निविदा सूचना

ई-निविदा सूचना सं.: कॉन/एनसीआर/पीएंडए/एडीपी ईएमपी/2020 दिनांक 01.01.2020

कॉनकॉर द्वारा अपने उत्तर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, सेक्टर-1, नोएडा में विभिन्न एनआईटी विज्ञापन के प्रकाशन के कार्य निष्पादन के लिए न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाली पूरी तरह से आईएनएस अनुमोदित विज्ञापन एजेंसियों की सूचीबद्धता के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु एकल बोली प्रणाली में ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा बिक्री की अंतिम तारीख 21.01.2020 को अपराह्न 5.00 बजे तक है तथा वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL पर प्रस्ताव दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख 22.01.2020 को अपराह्न 5.00 बजे तक है। विस्तृत जानकारी एवं किसी भी संशोधन के लिए कृपया वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। मुख्य महाप्रबंधक/उत्तर मध्य क्षेत्र

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

समक्ष वसूली अधिकारी–द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
माँग तथा उपस्थित होने की सूचना
(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 29 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)

आर.सी. संख्या 393/2019, ओ.ए. संख्या 184/2019 डायरी संख्या 764, दिनांक: 03.12.2019
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स जे0पी0 राईस इंडस्ट्रीज एवं अन्य
रामनगर रोड, काशीपुर शाखा, उधम सिंह नगर– 244713, उत्तराखण्ड

सेवा में,
1. मैसर्स जे.पी. राईस इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रार ऑफिस ग्राम-मिस्सरवाला, पोस्ट-कुन्डा, काशीपुर, उधमसिंह नगर- 244713, उत्तराखंड पार्टनर्स-जगरूप सिंह पुत्र स्व0 श्री दलबीर सिंह एवं श्रीमती पलविन्दर कौर पत्नी श्री दलजीत सिंह।
2. जगरूप सिंह पुत्र स्व0 श्री दलबीर सिंह, निवास- ग्राम- मिस्सरवाला, पोस्ट- कुन्डा, काशीपुर, उधमसिंह नगर- 244713, उत्तराखंड।
3. श्रीमती पलविन्दर कौर पत्नी श्री दलजीत सिंह, निवास- ग्राम- मिस्सरवाला, पोस्ट-कुन्डा, काशीपुर, उधमसिंह नगर- 244713, उत्तराखंड।
4. श्री पलदीप सिंह पुत्र सुरता सिंह, निवासी- ग्राम- कमालू गंज गौड़, पोस्ट- लामाचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल- 263139, उत्तराखण्ड
5. कश्मीर सिंह पुत्र स्व श्री दलबीर सिंह (अब मृत) के उत्तराधिकारी:
5(A). श्रीमती हरविन्दर कौर पत्नी स्व0 श्री कश्मीर सिंह, निवासी- ग्राम- मिस्सरवाला, पोस्ट-कुन्डा, काशीपुर, उधमसिंह नगर- 244713, उत्तराखंड।
5(B). श्री रौनक दीप अपनी माता/अभिभावक के माध्यम से श्रीमती हरविन्दर कौर पत्नी स्व0 श्री कश्मीर सिंह, निवासी- ग्राम- मिस्सरवाला, पोस्ट-कुन्डा, काशीपुर, उधमसिंह नगर- 244713, उत्तराखंड।
5(C). श्री रौशनदीप अपनी माता/अभिभावक के माध्यम से श्रीमती हरविन्दर कौर पत्नी स्व0 श्री कश्मीर सिंह, निवासी- ग्राम- मिस्सरवाला, पोस्ट-कुन्डा, काशीपुर, उधमसिंह नगर- 244713, उत्तराखंड।
5(D). श्रीमती भजन कौर पत्नी स्व. श्री दलबीर सिंह स्व0 श्री कश्मीर सिंह निवासी- ग्राम- मिस्सरवाला, पोस्ट- कुन्डा, काशीपुर, उधमसिंह नगर- 244713, उत्तराखंड।

सर्टिफिकेट डेबटर्स

(v) यह सूचित करना है कि आप पर रू0 2,85,04,102.39/– (दो करोड़, पचासी लाख चार हजार एक सौ दो रूपये उनतालीस पैसे मात्र) + वाद कालीन प्रभावी ब्याज, ओ.ए. की दिनांक 20.04.2019 से @12.00% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अन्य खर्चे बकाया है। जो कि प्रेसीडिंग ऑफिसर ऋण वसूली अधिकरण–देहरादून के द्वारा दिनांक 23.08.2019 को जारी वसूली प्रमाणपत्र के ओ.ए. 184/2019 के अनुसार आपके विरूद्ध रू0 1,88,000.00 का वाद व्यय सहित देय हैं।
(vi) आप को यह मांग पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर उपर्युक्त लिखित राशि जमा कराने के लिए कहा जाता है, जिसमें असमर्थ रहने पर ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और नियम के अनुसार वसूली की जाएगी।
(vii) उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
सी) इस प्रमाण पत्र/निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि सभी लागत, प्रभार और खर्चे।
डी) इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।
(viii) यदि आप द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता उस स्थिति में आपको आदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11.02.2020 को समय 11:00 पूर्वान्ह उपस्थित हो।
अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से 03 दिसम्बर, 2019 से जारी।
रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी, देहरादून

सिंडिकेट बैंक
जे-34, ग्रा तल, डीडीए फ्लाईओवर एस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मुनीरका विहार के सामने, नयाबाज नगर, दिल्ली-110024
E-mail: sanib.delhi@syndicatebank.co.in
शुद्धिपत्र
[illegible]
मुख्य प्रबंधक

एम एस टी सी लिमिटेड MSTC LIMITED
एमपीऑयलफेड बिल्डिंग
पहली मंजिल, 1, अरेरा हिल्स, भोपाल–462004 (म.प्र.)
दूरभाष 0755–2552241/2570684
ई–नीलामी
MSTC/BPL/BHEL, BHOPAL/12/BHOPAL/19-20/30670
ई–नीलामी दिनांक – 09.01.2020
अधिक जानकारी के लिए हमारे वेब साइट पर देखें :
www.mstcecommerce.com
www.mstcindia.co.in

वादपदों के स्थिरीकरण के लिए प्रतिवादी को सम्मन
(आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मिर्धा, जिला-उदयपुर (राज.)
श्रीमती प्रभा कंवर सोलंकी... वादी
बनाम श्री नरेन्द्र कुमार व अन्य... प्रतिवादीगण
वाद संख्या 46/2018 राजस्व वाद
प्रतिति: 2. श्री दिनेश जैन पिता श्री एम.एल. जैन, नि.- जे.बी. नगर, जवाहरी पूर्व, मुम्बई, महाराष्ट्र
4. श्रीमती मंजूला पत्नी श्री राजेश जैन, नि. अमर कॉलोनी, राजस्व नगर, नई दिल्ली
5. श्रीमती मंगू पिता श्री एम.एस. जैन, नि. सिन्धु नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान
चूंकि वादीगण ने आपके विरूद्ध वाद कायम, बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लिए एक वाद संस्थित किया है। अतः आपको हतद् द्वारा आहूत किया जाता है कि आप या तो स्वयं ऐसे या अधिवक्ता जो कि सम्बन्धकरूपेण अनुदिष्ट हो व वाद सम्बन्धी सर्व सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो या सिवाके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो के द्वारा दिनांक 22.01.2020 के दिवस को 10.00 AM बजे दावे का उत्तर देने हेतु इस न्यायालय में उपस्थित हो और आगे आपको हतद् द्वारा यह भी निर्देश दिया जाता है कि उस दिन आप अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश करें और उसी दिन वे सब प्रश्न जो आपके अधिवक्ता या अधिकार में हो व जिन पर आप अपना प्रतिरक्षा या प्रतिपादन या प्रतिदावा आधारित करते हो, भी प्रस्तुत करें तथा जहां आप किसी अन्य प्रश्न जो आपके अधिवक्ता या अधिकार में हो या न हो पर अपनी प्रतिरक्षा या प्रतिपादन का प्रतिदावा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में भरोसा रखते हो, उन प्रश्नों को अपने लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
सूचित रहे कि पूर्वोपर्णित दिवस को आपके द्वारा अपनी उपस्थिति में व्यतिक्रम होने पर कथित वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना व अवधारित किया जायेगा।
प्रदत्त दिनांक 30.12.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी, मिर्धा, उदयपुर

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम
दिल्ली हाट, पीतम पुरा, रोड न. 41, टीवी टॉवर के पास, पीतम पुरा, दिल्ली, फोन नंबर: 27317663
ई–मेल: delhitourismadav@yahoo.co.in
निविदा सूचना
दिल्ली सरकार की ई–खरीद प्रणाली और ई–नीलामी वेबसाइट के माध्यम से निम्नलिखित निविदाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।
1.दिल्ली हाट पीतम पुरा में निविदा आईडी DHPP/e-Auction /Halls/01/2020-21/3 Years. के अंतर्गत लाइसेंस शुल्क के आधार पर भाजा/सामाजिक मेलजोल/भोजनालय/ आदि के हेतु दो हॉल।
2.दिल्ली हाट पीतम पुरा में निविदा आईडी 2019_DTTDC_186641_1 के अंतर्गत बिना टिकट वाले क्षेत्र में तीन दुकानों के संचालन हेतु खाद्य तियोरक/पुस्तकों की दुकान/फूलों की दुकान/स्मारिका दुकान के हेतु निविदा
3.जीटीबी मेमोरियल सिंधु बॉर्डर, दिल्ली में निविदा आईडी 2019_DTTDC_186620_1 के अंतर्गत फूड प्लाजा एवं कियोस्क के संचालन हेतु
अनुबंध के विस्तृत नियम एवं शर्तों वाले निविदा दस्तावेज को दिल्ली सरकार की वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in और www.tenderwizard.com/DTTDC से डाउनलोड किया जा सकता है। ई–निविदा/ई–नीलामी जमा करने की अंतिम तिथि 30.01.2020 को 3:00 बजे तक है। 30.01.2020 को 4:00 बजे, 18–ए, डीडीए शॉपिंग कम ऑफिस कॉम्पलेक्स, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 में निविदाएं खोली जाएंगी। यदि कोई भी शुद्धिपत्र हुए तो केवल दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.tenderwizard.com पर जारी किये जाएंगे।
प्रबंधक(दिल्ली हाट पीतम पुरा)

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
कार्यालय कार्यपालक अभियंता (इलेक्ट)/डब्ल्यूजेड
ओल्ड जोनल बिल्डिंग, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–27
निविदा आमंत्रण सूचना
एनआईटी न. ईई/इलेक्ट्रिकल/पश्चिम जोन/2019-20/32, लाइन न. 01, दिनांक 30.12.2019
कार्य का नाम: पश्चिम जोन के अधीन जे–8, राजौरी गार्डन में बहुमंजिला भूमिगत कार पार्किंग में एमईपी उपकरणों का वार्षिक व्यापक प्रचालन एवं रखरखाव अनुबंध।
निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
Ro No. 146/DPI/South/2019-20
कार्यपालक अभियंता (ई)/डब्ल्यूजेड

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (ई एंड एम) III
चन्द्रावल वाटर वर्क्स नं. 1, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054
प्रैस एन.आई.टी. सं. 11 (2019–20)/ ईई (ई एंड एम) III

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	ईएमडी राशि	ई–प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई–प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	बागवानी कार्य के लिये द्वारका में शोधित एफ्ल्युएन्ट पम्पिंग स्टेशन का एस.आई.टी.सी. (पुनर्आमंत्रित)	मद दर	500/–	78700/–	30.12.2019 3.00 बजे अप. तक, निविदा आईडी: 2019_DJB_186825_1	13.1.2020 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी हस्ता./–
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019–20/745 कार्यपालक अभियंता (ई एंड एम) III

SBI
विपणन एवं संप्रेषण विभाग, कॉरपोरेट केन्द्र,
स्टेट बैंक भवन, 8वां तल, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400021.
शुद्धिपत्र
कृपया पब्लिक रिलेशन एजेंसी (आरएफपी नं. CC/M&C/2019-20/03) के संदर्भ में पढ़ें, जो इस अखबार में 12.12.2019 को प्रकाशित किया गया था. शुद्धिपत्र के विवरण हमारी वेबसाइट https://bank.sbi पर 'खरीद फरोख्त समाचार' के अंतर्गत उपलब्ध हैं.
स्थान: मुंबई हस्ताक्षर
दिनांक: 01.01.2020 उप महाप्रबंधक (विपणन परिचालन)

भा.कृ.अ.प. केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र – लखनऊ
ICAR - Central Soil Salinity Research Institute, Regional Research Station, Old Jail Road, P.O. Dilkusha, Lucknow - 226002
Ph.: 0522 - 2984712, Fax : 0522 - 2984713, Email : headcssrirrsl@gmail.com
(विज्ञप्ति) Date: 30.12.2019
WALK-IN-INTERVIEWS
A walk-in-interview has been fixed on 15th January 2020 at ICAR-Central Soil Salinity Research Institute Regional Research Station, Lucknow for recruitment of One Young Professional-I purely on contractual basis. For details of the posts, duration eligibility, qualification, age, experience, honorarium etc., please visit institutes' website www.cssri.res.in
I/c Admn.

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर. VIII
यमुना विहार सीवेज शोधन संयंत्र (डा. अम्बेदकर कॉलेज के निकट), दिल्ली–110094
फोन नं.: 011–22813593, ईमेल: kkharit1@gmail.com
प्रैस एनआईटी सं.–4 (2019–20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित अनुबंध मूल्य (ईसीबी)/निविदा राशि (रु.)	धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.)	निविदा प्रॉसेसिंग शुल्क अप्रतिदेय (रु.)	निविदा जारी की तिथि/निविदा आईडी	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	हर्ष विहार में राइजिंग मैन सहित 3.85 (एमजीडी) डब्ल्यूडब्ल्यूपीएस का निर्माण।	(लम्प सम) डीबीओ आधार	2623700/–	1500/–	30.12.2019/ 2019_DJB_186854_1	20.1.2020 3.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी हस्ता/–
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019–20/749 कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर -VIII

कार्पोरेशन बैंक
(सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक)
आंचलिक कार्यालय–दिल्ली (दक्षिण), कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, प्रथम तल, फैज रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली – 110005 फोन नं. 011–28755101,28754642, ई मेल:cb8821ssd@corpbank-co-in
बिक्री सूचना
कार्पोरेशन बैंक कार्यालय की एक कार का निपटान (का बेचना) चाहते है। टाटा इंडिगो जिसका पंजीकरण दिनांक 05.01.2010 है। इसे निविदा या बोली के आधार पर किया जायेगा। अन्य ब्यौरे तथा आवेदन–पत्र के लिये हमारे आंचलिक कार्यालय, दिल्ली (दक्षिण)से उपरोक्त पते पर पर संपर्क करें। आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अंतिम दिनांक 10.01.2020 को 03.00 अपराहन है। कृपया दलाल आवेदन न करें।
तिथि : 31.12.2019 उप महा प्रबंधक

कार्यालय: रिकवरी अधिकारी–II, ऋण वसूली अधिकरण–II, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
आर.सी. नं. 278/2018 तिथि: 18.12.2019
पंजाब नेशनल बैंक बनाम मोह. शाकिर
कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 18.12.2019 के अनुसार 6.2.2020 को सार्वजनिक ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगी: यह नीलामी बिक्री वेबसाईट https://drt.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ई–नीलामी" होगी।
नीलामी की तिथि एवं समय: 6.2.2020 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. (4 बजे अप. के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)
संपत्ति का विवरण
i) सम्पत्ति सं. ए–28, 1ला तल, ब्लॉक–ए, न्यू जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली–110032 (माप 901 वर्ग फीट)
ii) आरक्षित मूल्य: पैरा (i) में वर्णित सम्पत्ति के लिये रु. 5000000/– (रुपये पचास लाख मात्र) है।
iii) धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी): पैरा (i) में वर्णित सम्पत्ति के लिये रु. 5,00,000/– (रुपये पांच लाख मात्र) है।
नियम एवं शर्तें
1. नीलामी बिक्री वेबसाईट पोर्टल: https://drt.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ई–नीलामी" होगी।
2. ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–II, दिल्ली खाता "आर.सी. नं. 278/2018" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा अथवा पंजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी शाखा, मयूर विहार फेज–II, नई दिल्ली, खाता नं. 4408002100515419, आईएफएससी कोड: PUNB00440800 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा किया जाएगा जिसके साथ पहचान के स्व– सत्यापित प्रमाण (वोटर आई–कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति अधिकतम 4.2.2020 के 4.00 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. ईएमडी या ईएमडी के एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा जमा की गई मूल प्रमाण तथा प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई–मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर आदि से युक्त लिफाफे के ऊपर 'आरसी नं. 278/2018' शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है आधार" पर की जा रही है।
5. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://www.drtauctiontiger.net देखें एवं/अथवा श्री शिवानंद भांजा, सहायक महा प्रबंधक, मो. नं. 7044070801 से सम्पर्क करें।
6. संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो ई–प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए–201/2018, वाल स्ट्रीट–II, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, गुजरात कॉलेज के निकट, अहमदाबाद–3800006, सम्पर्क नं. +91079–40016800, फैक्स: 917940016876, ईमेल आईडी: support@auctiontiger.com, सम्पर्क व्यक्ति श्री राम कुमार, सम्पर्क नं. 8000023297, ई–मेल: delhi@auctiontiger.net से प्राप्त करना अनिवार्य है।
7. इच्छुक बोलीदाता मै ई–प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए–201/2018, वाल स्ट्रीट–II, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, गुजरात कॉलेज के निकट, अहमदाबाद–3800006 सम्पर्क नं. +91079–40016800, फैक्स: 917940016876, ईमेल आईडी: support@auctiontiger.com, सम्पर्क व्यक्ति श्री राम कुमार, सम्पर्क नं. 8000023297, ई–मेल: delhi@auctiontiger.net से ई–नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल ऐसे बोलीदाता ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैध यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर या एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
9. संभावित बोलीदाता 29.1.2020 तथा 30.1.2020 को 11.00 बजे से 16.00 बजे तक साईट पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
10. जो इच्छुक बोलीदाता 4.2.2020 तक आरक्षित मूल्य के ऊपर से अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई–नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 6.2.2020 को 3 बजे अप से 4 बजे अप. के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी।
11. बोलीदाता रु. 100,000/– (रुपये एक लाखा मात्र) के गुणक में अपनी बोली सुधार कर सकते हैं।
12. असफल बोलीदाता ई–नीलामी के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली से/सीएच बैंक अर्थात पंजाब नेशनल बैंक प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
13. सफल/उच्चतम बोलीदाता को ई–नीलामी की समाप्ति के बाद धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली खाता "आर.सी. नं. 278/2018" के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली के कार्यालय में इस तरह से भेजना होगा ताकि वह ई–नीलामी की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी कार्यालय में पहुंच जाए अन्यथा धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जायेगी।
14. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II दिल्ली, खाता आर.सी. नं. 278/2018 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा तथा संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को 1000/– तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली के पास रजिस्ट्रार, डीआरटी–II, दिल्ली के पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली के पास पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।
15. सीएचएफआई/ सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि बिक्री उद्घोषणा दस्ती, स्पीड पोस्ट, कूरियर द्वारा तथा संपत्ति के किसी उपयुक्त भाग में उसे चिपकाकर सीडीज को उपलब्ध कराएं तथा परिक्षेत्र में ड्रम का वादन कराएं तथा उसकी एक प्रति अधिकरण की सूचना पटल पर लगवाएं।
16. बिक्री उद्घोषणा क्षेत्र में व्यापक प्रचार वाले अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जाए।
17. सीएचएफआई/ सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन को सुनिश्चित करें तथा प्रकाशन का मूल प्रमाण सुनवाई की अगली तिथि को दाखिल करें।
18. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती है, या किसी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
संपत्ति की अनुसूची

बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या इसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी अन्य ऋणभार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा कोई अन्य ज्ञात विवरण जिसमें उसकी प्रकृति एवं मूल्य हो
ए–28, 1 ला तल, ब्लॉक–ए, न्यू जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली–110032 (माप 901 वर्ग फीट)	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

ई–नीलामी के उद्देश्य से सर्विस (ट्रैक परिणामों क्वा स्पीड पोस्ट तथा कूरिअर सहित) तथा दस्ती, समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा व्यापक प्रचार के मूल प्रमाणों के साथ ई–नीलामी बिक्री सूचना का शपथ पत्र दाखिल करने के लिए मामले को 29.1.2019 को सूचीबद्ध कराई जाए।
(अविनाश चन्द्रा),
रिकवरी अधिकारी–II,
डीआरटी–II, दिल्ली

प्रपत्र – 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	श्री सी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	09/07/2010
3.	प्रक्रियाधीन शिकायत अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70200DL2010PTC205607
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: सी–23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट–I, नई दिल्ली – 110048 निगमित कार्यालय: (पंजीकृत कार

याकूब के लिए दया अनुरोध वाला मंत्री का पत्र वायरल

असलम शेख ने इसके लिए भाजपा को ठहराया जिम्मेदार

मुंबई, 31 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस विधायक असलम शेख को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के एक दिन बाद, 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट के दोषी याकूब मेमन के लिए दया का अनुरोध करने वाला उनका एक पुराना पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

शेख ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि चूंकि भगवा दल राज्य की सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार नहीं रख सका, इसलिए वह विभिन्न मुद्दों पर लोगों को गुमराह कर रहा है।

शेख महाराष्ट्र के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने मेमन के लिए 2015 में दया का अनुरोध किया था। उस वक्त भाजपा नीत गठबंधन का हिस्सा रही शिवसेना ने मेमन की मौत की सजा का स्वागत किया था। उद्धव ठाकरे नीत पार्टी ने पिछले महीने राकांपा और कांग्रेस से गठबंधन करके राज्य में सरकार बनाई है। शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा से अपना गठबंधन खत्म कर दिया और अपनी पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी पार्टियों से हाथ मिला लिया।

पुराना पत्र वायरल होने के बाद, शेख ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, जिस दिन से भाजपा सत्ता से बाहर हुई है, तब से वह विभिन्न मुद्दों पर लोगों को गुमराह कर रही है। मंत्री ने कहा, जिन्होंने नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया, वे मेरे खिलाफ (आतंकवाद पर नरम रुख रखने का) आरोप लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ब्रिटिश तक नहीं कर सके। शेख मुंबई की मलाड सीट से विधायक हैं।

जुलाई 2015 में शेख ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर मेमन के लिए दया का अनुरोध किया था।

बहरहाल, मेमन की दया याचिका को खारिज कर दिया गया था और मेमन को 30 जुलाई 2015 को नागपुर की एक जेल में फांसी दे दी गई थी।

नागरिकता कानून के तहत प्रक्रिया ऑनलाइन करने पर विचार

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून के तहत नागरिकता प्रदान करने की समूची प्रक्रिया केंद्र द्वारा ऑनलाइन बनाने की संभावना है, ताकि राज्यों को इस कवायद में दरकिनार किया जा सके। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दरअसल, कुछ राज्य इस नए कानून के खिलाफ हैं।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'हम जिलाधिकारी के बजाय एक नए प्राधिकार को नामित करने और आवेदन, दस्तावेजों की छानबीन व नागरिकता प्रदान करने की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन बनाने की सोच रहे हैं।'

चंद्रयान-3 इसी साल : जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत 2020 में चंद्रयान-3 को लॉंच करेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान पर चंद्रयान-2 से भी कम लागत आएगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि चंद्रयान-2 को निराशा करार देना गलत होगा। जबकि यह चंद्रमा के सतह पर उतरने की भारत की पहली कोशिश थी और कोई देश पहली कोशिश में ऐसा नहीं कर सका। अमेरिका ने भी कई कोशिशें की थी। सिंह ने कहा, 'हां, लैंडर व रोवर मिशन के 2020 में होने की बहुत संभावना है।

सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित एसआइटी को मिला थाने का दर्जा

लखनऊ, 31 दिसंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के तहत कानपुर में हुए फसाद के मामले में दर्ज मुकदमों की जांच के लिए इस साल फरवरी में गठित विशेष अनुसंधान दल (एसआइटी) को पुलिस थाना घोषित करने संबंधी प्रस्ताव को मंगलवार को हरी झंडी दे दी।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। एसआइटी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2(ध) के तहत पुलिस थाना घोषित किए जाने से 1984 में कानपुर में हुए दंगों से संबंधित मुकदमों की जांच में तेजी आयेगी और पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने बताया कि कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं के सिलसिले में पांच फरवरी 2019 को एसआइटी का गठन किया गया था।

केनरा बैंक भारत सरकार का उपक्रम — **Canara Bank** A Government of India Undertaking — **अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस**

क्र. सं.	ऋणी / गारंटर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	स्पीड / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड नोटिस भेजने की तारीख: 24.12.2019 डिमांड नोटिस की तारीख: 24.12.2019 नोटिस के अनुसार देय राशि
1.	**शाखा: पीलीभीत** 1.श्रीमती सीमा देवी (ऋणकर्ता) पत्नी राजेश शर्मा मोहल्ला छोटा खुदा गंज, उत्तरी सिविल लाइंस देश नगर, अन्दर बुर्गी पीलीभीत 2. श्री सुनील कुमार सिंह (गारंटर) पुत्र राम बहादुर सिंह देश नगर पीलीभीत	आवासीय मकान स्थित मोहल्ला–छोटा खुदागंज, उत्तरी सिविल लाइंस, देश नगर, अन्दर बुर्गी जिला–पीलीभीत क्षेत्रफल 98.88 वर्गमीटर सम्पत्ति श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री राजेश शर्मा के नाम। **सीमायें:–उत्तर:** अन्य का प्लॉट, **दक्षिण:** शडक 6.70 मीटर, **पूर्व:** विक्रेता का प्लॉट, **पश्चिम:** ओमप्रकाश का मकान	रु0 1687185.00 24.12.2019 को + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 09.12.2019 से

सिक्योरिटाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एवं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के नियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी / ऋणियों / गारन्टर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था, जो बैंक की शाखा में डाक विभाग / कोरियर द्वारा बिना वितरण के (Undelivered) वापस आ गया / लेने से इन्कार किया। आपको सूचित किया जाता है कि आप वापस आये नोटिस को मूल रूप में अधोहस्ताक्षर से प्राप्त कर सकते है

आप अपनी समस्त देयताओं का निस्तारण इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन्यथा बैंक (secured creditor) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों अथवा किसी एक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकारी होगा।

दिनांक 31.12.2019 स्थान:पीलीभीत प्राधिकृत अधिकारी

राजस्थान : महीने में एक दिन 'नो वीकल डे' पर अमल आज से

जयपुर, 31 दिसंबर (भाषा)।

राजस्थान का यातायात विभाग सड़क सुरक्षा व सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने और प्रदूषण को कम करने के लिए महीने में एक दिन 'नो व्हीकल डे' के रूप में मनाएगा। नए वर्ष में बुधवार को पहला नो व्हीकल डे मनाया जाएगा।

यातायात मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि हर महीने के पहले कार्यदिवस पर सुरक्षा गार्ड से लेकर आयुक्त तक के विभाग के सभी कर्मचारी पैदल चलकर या साइकिल चलाकर या सार्वजनिक परिवहन के जरिये कार्यालय पहुंचेंगे। हालांकि जो कर्मचारी प्रवर्तन ड्यूटी में लगे हैं, दिव्यांग हैं या जो लोग बीमारी या कुछ अन्य कारणों से इन दिशा निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हैं, उन्हें इससे छूट दी गई है।

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) NFL
विजयवाड़ा रोड-बठिंडा- 151 005 (पंजाब)
उपमहाप्रबंधक (प्रोसेस प्लांट)
फोन: 0164-2270231, 2760262 फैक्स: 0164-2760270

संदर्भ नं. NFB/Production/Bagging/40/Internal handling of urea in bagging plant/2020-21 दिनांक : 01.01.2020

वर्ष "2020-21" हेतु बैगिंग प्लांट में यूरिया की आन्तरिक हैण्डलिंग हेतु एजेन्सी के लिए अनुबन्ध की पूर्व-अर्हता-सह-अपील। निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा माध्यम से अभिज्ञान संविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा दस्तावेज के विक्रय की अन्तिम तिथि 31.01.2020 को 12.00 बजे तक है तथा निविदाएँ 31.01.2020 को 15.00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी और उसी दिन 15.30 बजे खोली जायेंगी। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.nationalfertilizers.com देखें।

क्र. सं.	नि.आ.सू. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु.)	अनुबन्ध की अवधि	निविदा शुल्क	ज.ध.रा. (रु.)	निविदा निर्णयक प्राधिकरण/ अन्तिम तिथि
1.	NFB/PROD/ Bagging/40/ 202021	वर्ष 2020-21 हेतु बैगिंग प्लांट में यूरिया की आन्तरिक हैण्डलिंग	404.54 लाख और प्रयोग भी.इ.टी	एक वर्ष	1000/-	1 लाख	डीजीएम (उत्पादन)

उपमहाप्रबन्धक (उत्पादन)

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (भारत सरकार का उपक्रम) — ई-नीलामी बिक्री सूचना

ओ.बी.सी लार्ज कॉरपोरेट शाखा, प्रथम तल, हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-49191101,49191134,49191135,49191139, फैक्स: (011) 23417236

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना ईएमडी (धरोहर जमा राशि) तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 01-02-2020 को सांय 5.00 बजे तक

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 (2002 की सं. 54) के अधीन बैंक के पास बंधक पड़ी चल/अचल सम्पत्ति की बिक्री, जैसाकि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक की बकाया राशि की वसुली हेतु "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" उसको बेचने के अधिकार के साथ हमारी शाखाओं के पास निम्नलिखित ऋण खाते में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन जारी की गयी सूचना के अनुपालन में निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। इसकी बिक्री वेब साईट: www.bankeauctions.com में प्रदान किये गये ई-नीलामी लिंक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली में वृद्धि हेतु राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	सम्पत्ति की निरीक्षण की तिथि एवं समय	मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि (जमानती कर्ज)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण
सोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 20 नॉर्थ वेस्ट एवेन्यू, पंजाबी बाग, दिल्ली-110026 सोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 28 KMS, रोहतक माइल स्टोन, रोहाड बीच पास, गाँव रोहाड, जिला झज्जर, हरियाणा – 124507 श्री जितेंद्र केजरीवाल (निदेशक/ बंधककर्ता/गारंटर) मकान नं. 20-सी/ 73, पंजाबी बाग, पश्चिम, नई दिल्ली-110026 श्री जितेंद्र केजरीवाल (निदेशक / बंधककर्ता/गारंटर) 20 नॉर्थ वेस्ट एवेन्यू, पंजाबी बाग, दिल्ली – 110026	बंधक फैक्ट्री भूमि, 28 किलोमीटर, रोहतक माइलस्टोन, गाँव रोहाड, नेशनल हाईवे 10, जिला झज्जर में स्थित, यह सम्पत्ति जितेंद्र केजरीवाल के नाम पर है।	₹ 13.79 करोड़ / ₹ 1.40 करोड़ / ₹ 2.00 लाख	04-02-2020 समय 60 मिनट दोपहर 12.00 बजे से अपरांह 01.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	21-01-2020 दोपहर 12.00 से अपरां. 4.00 बजे के बीच	रु. 172,92,62,505/- दिनांक 06.12.2016 तक प्लस दिनांक 07.12.2016 से भविष्य का ब्याज, लागत एवं अन्य प्रभार	00071181000332 E-Auction under SARFAESI A/C Sonear Industries Limited IFSC Code ORBC0100007

नियम व शर्तें

1. ई-नीलामी "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" आयोजित की जा रही है।
2. धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 01.02.2020 को सांय 5.00 बजे तक है।
3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नही है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे/अधिकार/बकाए के संबंध में बिड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण-भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी/जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
4. रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त सभी सम्पत्तियां फ्री होल्ड सम्पत्तियां है। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा बैंक के पास है।
5. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने धरोहर राशि जमा किया है और लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई-बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गाँव, हरियाणा-122015, हैल्प लाईन न. 0124-4302020, 4302021, 4302022, 4302023, 7291981124 / 1125 / 1126 और ईमेल delhi@c1india.com, support@bankeauctions.com व्यक्ति का नाम जिसे सम्पर्क किया जा सके श्री विनोद चौहान, मो. +91-9813887931 / 7291981129) और सम्पत्ति से संबंधित जानकारी हेतु श्री विजय बिहारी प्रसाद, 011-49191121, मुख्य प्रबंधक, 011-49191121, श्री एच एस फिलिप, (प्राधिकृत अधिकारी), श्री अखिलेश श्रीवास्तव, श्री किरणजीत कुमार, प्रबंधक, 011-49191134/ 35/36, ई-मेल: bm0007@obc.co.in से कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।
6. बोलीदाता अपनी बोली प्रत्येक सम्पत्ति के सामने 'बोली वृद्धि राशि' कालम के तहत वर्णित राशि, के गुणजों में बढ़ा सकेंगे। ई-नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जाएगा (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर)।
7. उपरोक्त भूमि को सरफेसी अधिनियम के तहत बेचा जाएगा और बिल्डिंग को IBC के प्रावधानों के तहत परिसमापक द्वारा बेचा जाएगा, सभावित उच्चतम बोलीदाता बोली कंगल नहीं मानी जाएगी जब बोली भूमि और भवन दोनों के लिए दी जाएगी।
8. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले अदा की गई ईएमडी समायोजित करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरन्त बाद जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री के 15वें दिन को अथवा उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मान्य होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता बोलीदाता का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।
9. क्रेता को लागू स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/अंतरण / रूपांतरण प्रभार, शुल्क इत्यादि और किसी प्राधिकरण को देय सांविधिक/गैर-सांविधिक देयताओं, करों, दरों, आकलनों, प्रभारों, शुल्कों इत्यादि का भी भुगतान वहन करना होगा।
10. उपरोक्त बंधक सम्पत्तियों जो कि ई-नीलामी में लगी है की निलामी असफल होने की स्थिती में नियमानुसार बैंक प्राईवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री करने का अधिकार रखता है।

(विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया हमारी वेबसाईट : www.obcindia.co.in और www.bankeauctions.com देखें)

दिनांक 01-01-2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

लिफ्ट गिरने से छह लोगों की मौत

महू (मध्यप्रदेश), 31 दिसंबर (भाषा)।

महू के एक फार्म हाउस में मंगलवार शाम को लिफ्ट के गिरने से उसमें सवार 6 लोगों की मौत हो गई।

महू के अनु विभागीय अधिकारी पुलिस विनोद शर्मा ने बताया कि लिफ्ट गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मृतकों में से एक की पहचान पुनीत अग्रवाल के रूप में की गई है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, हम अस्पताल में हैं। हमें अब तक चिकित्सक से बाकी लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं मिले हैं।

टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड
सी.आई.एन.: L92200DL1999PLC103001, वेबसाइट: www.aajtak.intoday.in
पंजीकृत कार्यालय: F-26, फस्ट फ्लोर, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001
फोन: 0120-4807100, फैक्स: 0120 4807172
ईमेल: investors@aajtak.com

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के संचालक मंडल की सभा शुक्रवार दिनॉक 7 फरवरी, 2020 को होनी निर्धारित हुई है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त होने वाली तिमाही एवं नौ महीने के स्टैंडअलोन एवं कन्सोलिडेटेड अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

दिनांक: 31 दिसम्बर, 2019
स्थान: नई दिल्ली

कृत टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड
आशीष समरवाल
ग्रुप हेड सेक्रेटेरियल एवं कंपनी सचिव
सदस्यता नंबर: F4991

यह सूचना कंपनी वेबसाइट www.aajtak.intoday.in एवं स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

जहरीला चारा खाने से सौ मवेशियों की मौत

महेसाणा, 31 दिसंबर (भाषा)।

गुजरात में महेसाणा शहर के बाहरी इलाके में मंगलवार को 109 भैंसे और उनके बच्चे मक्के के पौधे का चारा खाकर मर गए। एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना के बाद महेसाणा 'बी' संभाग पुलिस थाने ने इस मामले को संबंधित विभाग को सौंप दिया।

अधिकारी ने बताया कि राधनपुर रोड पशुशाला में ये मवेशी चारा खाने के मर गए। उन्होंने कहा कि उनमें 85 कटरा थे। पशुशाला के प्रबंधक विमल सिंह ने कहा कि हमारे पशुशाला में 950 मवेशी हैं, उनमें गायें भी हैं। 100 से अधिक भैंसे और उनके बच्चे चारे के रूप में मक्के का पौधा खाने के बाद मर गए। सरकारी अस्पताल के पशुचिकित्सकों ने करीब 350 अन्य मवेशियों को बचा लिया जो खाद्य विषाक्तता से बीमार हो गए थे।

उत्तराखंड में प्रियंका के बयान का साधु-संतों ने किया विरोध

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 31 दिसंबर।

उत्तराखंड के साधु-संतों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भगवा के बारे में कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी के हालिया बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

श्री उदासीन पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा और श्री प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के महन्त रूपेंद्र प्रकाश महाराज का कहना है कि प्रियंका गांधी को भारतीय दर्शन का कोई ज्ञान नहीं है और वे योगी जी के अध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती। तभी वे उनके बारे में ऐसी बात कह रही हैं।

प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]
मै. खुल्लर हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मै. खुल्लर हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	24.02.2009
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली तथा हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U55101DL2009PTC187886
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	-कोई नहीं-
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	18.11.2019 (13.5.2019 अर्थात् सीआईआरपी शुरू करने के लिये आदेश तिथि 8.5.2019 की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तिथि से 189 दिन)
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	30.12.2019 (परिसमापन आदेश तिथि 18.11.2019 की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तिथि)
8.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल का पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	कमल अगरवाल, 487/27 स्कूल रोड, पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के निकट, नई दिल्ली-110087 ई-मेल: advocate.kamal.aggl@gmail.com मो.: 9811138823 IBBI/IPA-001/IP-P00868/2017-18/11466
9.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	29.01.2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, (नई दिल्ली पीठ II) ने अपने आदेश तिथि 18.11.2019, जिसकी प्रमाणित प्रति 30.12.2019 को प्राप्त हुई, के माध्यम से मै. खुल्लर हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड का परिसामपन शुरू करने का आदेश दिया है। अतएव, परिसमापन शुरू होने की तिथि 30.12.2019 से शुरू होना माना गया है।

एतद्द्वारा मै. खुल्लर हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 8 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 29.01.2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 01.01.2020 (कमल अगरवाल)
स्थान: नई दिल्ली परिसमापक
IBBI/IPA-001/IP-P00868/2017-18/11466

दावे जमा करने के लिये अधोलिखित संबंधित प्रपत्रों www.ibbi.go.in से डाउनलोड की जा सकती है:
प्रपत्र सी-ऑपरेशनल क्रेडीटर्स, प्रपत्र डी-वित्तीय क्रेडीटर्स, प्रपत्र ई-कर्मियों/कर्मचारियों, प्रपत्र एफ-कर्मियों/कर्मचारियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि, प्रपत्र जी-अन्य स्टेक धारकों।

बिक्री सूचना
सोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(परिसमापन में)
परिसमापक : श्री संजय गुप्ता
परिसमापक का पता : ई-10ए, कैलाश कालोनी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
ई-मेल : assetsale1@aaainsolvency.in, sanjaygupta@aaainsolvency.com
मोबाइल – 8800865284 (पुनीत सचदेवा/राज कुमार) 011-4666 4619 (श्री हर्ष गुप्ता)
दिवाला और ऋण शोध अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री
नीलामी की तिथि और समय : 04 फरवरी, 2020 दोपहर 12.00 बजे से अप. 1.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ)

सोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (परिसमापन में) द्वारा स्वाधिकृत आस्तियों और सम्पत्तियों की बिक्री, जो माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ द्वारा आदेश दिनांकित 10 अप्रैल, 2019 के माध्यम से नियुक्त, परिसमापक द्वारा विरचित परिसमापन सम्पदा का भाग है। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म https://aaa.auctiontiger.net के माध्यम से की जाएगी।

आस्ति	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	बोली वृद्धि राशि
बिल्डिंग तथा शेड स्ट्रक्चर सोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 28वां केएम रोहतक माइलस्टोन, रोहाड रेलवे स्टेशन रोड, ग्राम रोहाड, जिला झज्जर (हरियाणा) में स्थित शेड।	क	4.25 करोड़	45.25 लाख	2 लाख
वाहन 28वां केएम रोहतक माइलस्टोन, रोहाड रेलवे स्टेशन रोड, ग्राम रोहाड, जिला झज्जर (हरियाणा) में जेनियो महिन्द्रा (उपयोगिता वाहन)	ख	1.5 लाख	0.15 लाख	5 हजार

नोट – भूमि की बिक्री सरफासी ऐक्ट के तहत अलग से की जाएगी तथा उपरोक्त बिल्डिंग और शेड स्ट्रक्चर परिसमापक द्वारा आईबीसी के प्रावधानों के तहत बेचे जाएंगे। संभावित उच्चतम बोली पर केवल तब ही विचार किया जाएगा जब यह भूमि तथा बिल्डिंग/शेड स्ट्रक्चर के लिए एक साथ दी जाएगी।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं

1. ई-नीलामी 'जैसा है जहां है', जो है जैसा है' तथा 'जो भी है वहां है' आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर)** के माध्यम से संचालित की जाएगी।
2. ई-नीलामी प्रक्रिया के पूर्ण दस्तावेज जिसमें आस्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बिड फार्म, घोषणा तथा वचनपत्र फार्म, ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के साधारण नियम एवं शर्तें दी गई हैं, वेबसाइट **https://aaa.auctiontiger.net** पर उपलब्ध है। सम्पर्क : श्री तिलक मराठा +91-6351896834 / 079-68135416 / 417 एवं 9898989773 **kushal@auctiontiger.net/rikin@auctiontiger.net / support@auctiontiger.net** (लिंक **https://aaa.auctiontiger.net** पर जाने पर इच्छुक बोलीदाताओं को वर्णित कम्पनी की खोज के लिए निम्नलिखित दो में से किसी एक विकल्प का उपयोग करना होगा (i) कम्पनी का नाम (सोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड), अथवा (ii) राज्य और सम्पत्ति का प्रकार)।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, सम्पत्ति के स्थानिक, सम्पत्ति के संबंध में बकाया स्थानीय करों, बिजली तथा जल प्रभारों, अनुरक्षण प्रभारों, यदि कोई है, के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच अपने स्वयं के खर्चे पर कर लेनी चाहिए तथा अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए। संभावित बोलीदाताओं द्वारा उपरिवर्णित सम्पत्तियों का निरीक्षण श्री पुनीत सचदेवा/राज कुमार : 8800865284 से सम्पर्क कर निरीक्षण का समय पूर्व निर्धारित करके सम्पत्ति की साइट पर किया जा सकता है।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि जमा (ईएमडी) राशि एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से 'सोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एसी' नामक खाते, खाता नंबर : 50200039146870, एचडीएफसी बैंक, आईएफएससी कोड – HDFC0000092, बी-54-ए, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 में जमा करनी होगी अथवा किसी अनुसूचित बैंक पर 'सोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एसी' के नाम में आहरित डीडी के रूप में जमा करनी होगी अथवा ईएमडी राशियों हेतु एक बैंक गारंटी ई-नीलामी प्रक्रिया के पूर्ण दस्तावेज में दिए गए फार्मेट 'ए' अथवा फार्मेट 'बी' के अनुसार देनी होगी।
5. इच्छुक बोलीदाता को ईएमडी जमा अथवा बैंक गारंटी हेतु साक्ष्य और ई-नीलामी में प्रतिभागिता हेतु अनुरोध पत्र के साथ (1) पहचान का प्रमाण (2) वर्तमान पता-प्रमाण (3) पैन कार्ड (4) वैध ई-मेल आईडी (5) लैंडलाइन तथा मोबाइल फोन नंबर (6) शपथपत्र और वचनपत्र संलग्नक 1 के अनुसार (7) बोली आवेदन प्रपत्र संलग्नक 2 के अनुसार (8) बोलीदाता द्वारा घोषणा संलग्नक 3 के अनुसार की स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। इन दस्तावेजों के फार्मेट ई-नीलामी प्रक्रिया के पूर्ण दस्तावेज से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये दस्तावेज परिसमापक के कार्यालय में अथवा ई-मेल द्वारा, नीचे दिए पते पर 01 फरवरी, 2020 को अप. 05.00 बजे से पूर्व पहुंच जाने चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने केवाईसी दस्तावेज ईएमडी जमा करने के विवरण सहित **https://aaa.auctiontiger.net** पर 01 फरवरी, 2020 को अप. 05.00 बजे से पूर्व अपलोड करने होंगे।
6. परिसमापक द्वारा ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्य बोलीदाताओं के नाम पोर्टल (**https://aaa.auctiontiger.net**) पर चिह्नित किए जाएंगे। ई-नीलामी सेवा प्रदाता (ऑक्शन टाइगर) ग्राह्य बोलीदाताओं को यूजर आईडी और पासवर्ड ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराएगा।
7. ई-नीलामी समाप्त होने के समय से पहले अंतिम 5

तोक्यो के लिए उम्मीदें जगाकर विदा हुआ 2019

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

क्रिकेट के मैदान पर सफलता की नई सीढियां चढ रही भारतीय क्रिकेट टीम के लिए विश्व कप सेमीफाइनल में हार कसक बनकर रह गई लेकिन ओलंपिक से जुड़े खेलों में शानदार प्रदर्शन से खिलाड़ियों ने तोक्यो 2020 के लिए नयी उम्मीदें जगाई। हॉकी टीमों के लिए यह साल कामयाबी की नई दास्तां लिख गया जिसमें पुरूष और महिला दोनों टीमों ने तोक्यो का टिकट कटाया।

रियो ओलंपिक 2016 में नाकाम रहे निशानेबाजों ने इस साल राइफल पिस्टल विश्व कप और फाइनल्स में 21 स्वर्ण, छह रजत और तीन कांस्य पदक अपनी झोली में डाले। इसके साथ ही 15 ओलंपिक कोटा स्थान भी भारत को मिले जो अब तक का रिकार्ड है । निशानेबाजी रेंज पर मनु भाकर, सौरभ चौधरी, दिव्यांश सिंह पंवार और इलावेनिल वालारिवान की युवा ब्रिगेड ने जलवा बिखेरा। पहलवानों और मुक्केबाजों ने भी विश्व चैंपियनशिप में उम्दा प्रदर्शन किया। कुश्ती में एक रजत और चार कांस्य समेत चार ओलंपिक कोटा भी भारत के नाम रहे। मुक्केबाजी रिंग में अमित पंघाल ने तीन स्वर्ण और विश्व चैंपियनशिप में एक रजत पदक जीता। एम सी मेरीकोम ने विश्व

हॉकी टीमों के लिए यह साल कामयाबी की नई दास्तां लिख गया जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमों ने तोक्यो का टिकट कटाया।

पीवी सिंधू देश की पहली विश्व चैंपियन बनीं

सौरव गांगुली ने बीसीसीआइ अध्यक्ष के रूप में नई पारी की शुरुआत की।

चैंपियनशिप में आठवां पदक जीता जिससे वह टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे कामयाब मुक्केबाज बन गई। पंकज आडवाणी ने बिलियडर्स में रेकार्ड 23वां विश्व खिताब अपने नाम किया।

विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट ने खत्म हो रहे साल में अच्छी प्रगति की जबकि सौरव गांगुली ने बीसीसीआइ अध्यक्ष के रूप में नई पारी की शुरुआत की। भारत ने साथ ही 2019 में अंततः दिन-रात्रि टेस्ट खेला। विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत की हार दिल तोड़ने वाली रही जबकि महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर संशय बरकरार है जो पिछले छह महीने से क्रिकेट से दूर हैं। विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत को न्यूजीलैंड ने हराया जिसमें धोनी का 'रन आउट' बरसों तक उसी तरह याद रहेगा जिस तरह विश्व कप 2011 में हेलिकाप्टर शाट पर विजयी छक्का। बैडमिंटन कोर्ट पर पीवी सिंधू देश की पहली विश्व चैंपियन बनी। साइना नेहवाल चोट के कारण अधिकांश समय बाहर ही रहीं। विश्व चैंपियनशिप में बी साइ प्रणीत ने प्रकाश पादुकोण के 36 वर्ष बाद पुरूष एकल में कांस्य पदक जीता।

टेनिस में सुमित नागल ने अमेरिकी ओपन के पहले दौर में रोजर फेडरर से एक सेट जीता। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों के नाम कोई उपलब्धि नहीं रही। भारतीय टेनिस में कोर्ट के बाहर का ड्रामा बदस्तूर जारी रहा। पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप मुकाबले को लेकर यह चरम पर पहुंच गया। महेश भूपति की अगुवाई में शीर्ष खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। प्रशासकों ने भी इस पर सहमति जताई नतीजतन आइटीएफ ने उनकी मांग मानते हुए डेविस कप मुकाबला कजाखस्तान में कराने का ऐलान किया। आइटीएफ के भारत का अनुरोध मानने के तुरंत बाद भारतीय टेनिस संघ ने भूपति को कप्तानी से हटा दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान जाने से इनकार करने वाले सभी खिलाड़ियों को हटा दिया गया। लिएंडर पेस ने पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप खेला और रेकार्ड 44वीं युगल जीत दर्ज की। उन्होंने अगले साल टेनिस को अलविदा कहने का भी ऐलान कर दिया।

आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा के बेटे को बिहार रणजी टीम में जगह

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

इंडियन प्रीमियर लीग स्पाट फिक्सिंग प्रकरण के याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा के बेटे लखन राजा को पटना में मिजोरम के खिलाफ होने वाले रणजी ट्राफी मैच के लिए बिहार की टीम में जगह मिली है। क्रिकेट में भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले वर्मा को हमेशा से लगता था कि उनके बेटे को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बराबरी का मौका नहीं मिला। लखन बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज हैं।

वर्मा ने बताया, 'मेरे बेटे को अंततः बिहार की रणजी टीम में जगह मिल गई है। मुझे यकीन है कि उसे मिजोरम के खिलाफ मैच में अंतिम एकादश में जगह मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि वह रन बनाएगा और टीम में अपनी जगह पक्की करेगा।' अनधिकृति बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) के सचिव वर्मा ने 2013 में स्पाट फिक्सिंग मामले में बीसीसीआइ के खिलाफ याचिका दायर की थी और तत्कालीन अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को अदालत में घसीटा था। लखन हालांकि अब श्रीनिवासन की ही कंपनी इंडिया सीमेंट्स के लिए काम करता है। वर्मा श्रीनिवासन के धुर विरोधी रहे लेकिन नई दिल्ली में बीसीसीआइ की आम सभा की बैठक के दौरान उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली। वर्मा को जब समझ में आया कि उनके रुख से उनके बेटे के क्रिकेट करियर पर असर पड़ रहा है तो उन्होंने नरम रवैया अपनाया और बीसीसीआइ के पुराने अधिकारियों के साथ संबंध सुधारे।

हंपी ब्लिट्ज प्रतियोगिता में 12वें स्थान पर रहीं

मास्को, 31 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हंपी का अंतिम तीन दौर में हार के कारण विश्व महिला रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में दूसरा खिताब जीतने का सपना टूट गया और दो दिन तक चली ब्लिट्ज प्रतियोगिता के आखिर में उन्हें 12वें स्थान से संतोष करना पड़ा। रूस की कैटरीना लागनो और नार्वे के मैगनस कार्लसन ने क्रमशः महिला एवं पुरुष ब्लिट्ज चैंपियनशिप में अपना खिताब बरकरार रखा।

शनिवार को चीन की ली टिंगजी के खिलाफ आर्मेगेडोन बाजी ड्रा कराकर विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली हंपी पहले दिन नौ दौर के बाद सात अंक लेकर दूसरे स्थान पर चल रही थी। लेकिन यह 32 वर्षीय खिलाड़ी अपनी लय बरकरार नहीं रख पाई और आखिर में 17 बाजियों में 10.5 अंक ही बना पाई। हंपी ने ब्लिट्ज प्रतियोगिता के दूसरे दिन की शुरुआत पहली दो बाजियों में जीत दर्ज करके की। इसके बाद उन्होंने दो ड्रा खेले और 13वें दौर के बाद वह लागनो के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर थी। हंपी और लागनो के 13वें दौर के बाद समान दस अंक थे।

उपलब्धियों और सीखने का साल रहा 2019 : बुमराह

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मंगलवार को साल 2019 को मैदान के अंदर और बाहर 'उपलब्धियों, सीखने और यादों' का साल बताया और कहा कि वह 2020 में एक अन्य सफल साल का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं।

बुमराह ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस साल अपनी उपलब्धियों की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है, 'वर्ष 2019 मैदान के अंदर और बाहर उपलब्धियों, सीखने, कड़ी मेहनत और सुखद यादें जोड़ने का साल रहा। वर्ष 2020 में मैं जो भी हासिल करूंगा मुझे उसका इंतजार है। ' बुमराह वर्ष 2019 में न सिर्फ तीनों प्रारूपों में भारतीय तेज गेंदबाजी के अगुआ बने बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज भी बने।

This is a public announcement for information purposes only and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities nor is it a prospectus announcement. Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, outside India. Not for distribution in the United States.

THE PARK

APEEJAY SURRENDRA PARK HOTELS LIMITED

Our Company was originally incorporated at Karnataka on November 27, 1987, as Budget Hotels Limited, as a public limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated November 27, 1987 issued by the Registrar of Companies, Bangalore at Karnataka. Subsequently, pursuant to an acquisition agreement dated May 5, 1999 entered between Apeejay Hotels Delhi and the erstwhile shareholders of our Company, the entire issued and paid up equity share capital of our Company constituting 571,940 equity shares of face value of ₹ 100 each, was acquired by Apeejay Hotels Delhi and our Company became the wholly owned subsidiary of Apeejay Hotels Delhi. Subsequently, pursuant to the scheme of amalgamation approved vide orders of the High Court of Madras dated June 13, 2003, High Court of Delhi dated August 6, 2003, and High Court of Karnataka dated September 17, 2003, Apeejay Hotels Delhi, and Gemini Hotels and Holdings Limited (a wholly owned subsidiary of Apeejay Hotels Delhi) were amalgamated with our Company, with the appointed date being April 1, 2001. Thereafter, to closely identify the association of our Company with the Apeejay Surrendra Group, the name of our Company was changed from Budget Hotels Limited to Apeejay Surrendra Park Hotels Limited, pursuant to the resolution passed by our Shareholders at their EGM held on March 8, 2004 and the certificate of incorporation pursuant to change of name was issued by the RoC on March 29, 2004. Further, pursuant to our Shareholders' resolution dated November 30, 2016 and order dated June 22, 2017 passed by the Regional Director, South East Region, Hyderabad, our registered office was shifted from the State of Karnataka to State of West Bengal. For further details relating to changes in the registered office and name of our Company, see "***History and Certain Corporate Matters***" on page 169 of the Draft Red Herring Prospectus dated December 30, 2019 ("**DRHP**").

Registered Office: 17, Park Street, Kolkata – 700 016, West Bengal, India; **Corporate Office:** The Park Hotels, N-80, Connaught Place, New Delhi 110 001; **Telephone number:** +91 33 2249 9000; **Contact Person:** Shalini Keshan, Company Secretary and Compliance Officer; **E-mail:** skeshan@theparkhotels.com; **Website:** www.theparkhotels.com; **Corporate Identity Number:** U85110WB1987PLC222139

OUR PROMOTERS: KARAN PAUL, PRIYA PAUL, APEEJAY SURRENDRA TRUST AND FLURY'S SWISS CONFECTIONERY PRIVATE LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH ("EQUITY SHARES") OF APEEJAY SURRENDRA PARK HOTELS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 10,000 MILLION (THE "OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 4,000 MILLION BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 6,000 MILLION, COMPRISING UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 1,254.12 MILLION BY APEEJAY SURRENDRA TRUST (THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDER"), [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 3,549.50 MILLION BY APEEJAY PRIVATE LIMITED AND [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 847.30 MILLION BY APEEJAY HOUSE PRIVATE LIMITED (TOGETHER WITH APEEJAY PRIVATE LIMITED, THE "PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDERS"), [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 332.05 MILLION BY RECP IV PARK HOTEL INVESTORS LTD AND [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 17.03 MILLION BY RECP IV PARK HOTEL CO-INVESTORS LTD (TOGETHER WITH RECP IV PARK HOTEL INVESTORS LTD, THE "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS", AND THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS TOGETHER WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER AND PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDERS, THE "SELLING SHAREHOLDERS") AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFERED SHARES") ("OFFER FOR SALE"). THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [•] EQUITY SHARES (CONSTITUTING UP TO [•]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION") AT A DISCOUNT OF UP TO [•]% (EQUIVALENT TO ₹ [•]) ON THE OFFER PRICE. THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [•] % AND [•] %, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE SELLING SHAREHOLDERS AND THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS (THE "BRLMS") AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED BENGALI NEWSPAPER, BENGALI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF KOLKATA, WEST BENGAL, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS SITUATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSES OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding a total of 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company in consultation with the Selling Shareholders and the BRLMs may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release, and also by indicating the change on the websites of the BRLMs, and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "**SCRR**") read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "**SEBI ICDR Regulations**"). This Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations wherein not less than 75% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (the "**QIB Portion**"), provided that our Company in consultation with the Selling Shareholders and the BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis. One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. If at least 75% of the Net Offer cannot be Allotted to QIBs, the Bid Amounts received by our Company shall be refunded. Further, not more than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not more than 10% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders, other than Anchor Investors, are mandatorily required to participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective ASBA Accounts (including UPI ID for Retail Individual Bidders using UPI Mechanism) which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") or the Sponsor Bank, as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, see "***Offer Procedure***" on page 373 of the DRHP.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP dated December 30, 2019 with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") on December 31, 2019 in relation to the Offer. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public, for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of the DRHP filing, by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, and the websites of the Book Running Lead Managers i.e. ICICI Securities Limited, Axis Capital Limited and JM Financial Limited at www.icicisecurities.com, www.axiscapital.co.in and www.jmfl.com, respectively. Our Company invites the members of the public to give comments on the DRHP filed with the SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Compliance Officer and/or the Book Running Lead Managers at their respective addresses mentioned herein below on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity – related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "***Risk Factors***" on page 27 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE OFFER
ICICI Securities	AXIS CAPITAL	JM FINANCIAL	LINK Intime
ICICI Securities Limited ICICI Centre, H.T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020, Maharashtra, India **Telephone number:** +91 22 2288 2460 **E-mail:** parkhotels.ipo@icicisecurities.com **Website:** www.icicisecurities.com **Investor grievance e-mail:** customercare@icicisecurities.com **Contact person:** Rishi Tiwari/Nidhi Wangnoo **SEBI registration number:** INM000011179	**Axis Capital Limited** 1st Floor, C-2, Axis House, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400 025, Maharashtra, India **Telephone number:** +91 22 4325 2183 **E-mail:** parkhotels.ipo@axiscap.in **Website:** www.axiscapital.co.in **Investor grievance e-mail:** complaints@axiscap.in **Contact person:** Akash Aggarwal / Sagar Jatakiya **SEBI registration number:** INM000012029	**JM Financial Limited** 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400 025, Maharashtra, India **Telephone number:** +91 22 6630 3030 **E-mail:** parkhotels.ipo@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com **Investor grievance e-mail:** grievance.ibd@jmfl.com **Contact person:** Prachee Dhuri **SEBI registration number:** INM000010361	**Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083, Maharashtra, India **Telephone number:** +91 22 4918 6200 **E-mail:** parkhotels.ipo@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Investor grievance e-mail:** parkhotels.ipo@linkintime.co.in **Contact person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI registration number:** INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **Apeejay Surrendra Park Hotels Limited**
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Date: December 31, 2019
Place: Kolkata

Apeejay Surrendra Park Hotels Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated December 30, 2019 with SEBI on December 31, 2019. The DRHP shall be available on the websites of SEBI, BSE and NSE at www.sebi.gov.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the websites of the BRLMs i.e. ICICI Securities Limited, Axis Capital Limited and JM Financial Limited at www.icicisecurities.com, www.axiscapital.co.in and www.jmfl.com, respectively. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "***Risk Factors***" on page 27 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia). These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The Securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "**Securities Act**").
The Securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

Adfactors/691

ओ.बी.सी

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)
Cluster Office- RR&L : Resolution, Recovery & Law पीबी–107, केजे–13, कविनगर, गाजियाबाद – 201002, फोन : 0120-4155167, 0120-4155567, ई–मेल: rrl_7624@obc.co.in

ई–नीलामी सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक **31.01.2020** को बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा/कर्जदार/गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि	ई–नीलामी की तारीख/समय
1	दिवाकर पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद श्रीमती रेखा सिंह पत्नी श्री हरवीर सिंह (कर्जदार)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. एस–2, द्वितीय तल, प्लॉट नं. सी–353, स्वर्णजयंती पुरम जिला गाजियाबाद में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं. 354, पश्चिम में – प्लॉट नं. 352, उत्तर में – प्लॉट नं. 348, दक्षिण में – 9मी. चौडी रोड (भौतिक कब्जा)	रु. 12.16 लाख रु. 1.21 लाख रु. 0.20 लाख	₹ 12,14,785.87 और दिनांक 01.02.2017 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	31-01-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
2	चिकम्बरपुर, गाजियाबाद मैसर्स बेबी सेल्स एजेंसी (प्रोप. बटेश्वर झां), (कर्जदार)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि दुकान नं एल जी ई–निचले भूतल की दुकान का 11ए ½ (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. सी–7/ई, ब्लॉक सी, रामप्रस्था, जिला गाजियाबाद में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – 30फीट चौडी रोड और दुकान (एल.जी. ई नं. 11बी) का बाकी हिस्सा, पश्चिम में – रास्ता, उत्तर में – 30 फीट चौडी रोड, दक्षिण में – रास्ता और दुकान, (रचनात्मक कब्जा) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. एफ–1, प्रथम तल, प्लॉट नं. 16ए और 17, ब्लॉक एम, 3 बी सैक्टर 12, रामप्रस्था, गाजियाबाद में स्थित, प्लॉट नं. 16–ए की चौहद्दी : पूरब में – रेलवे लाईन, पश्चिम में – 30 फीट चौडी रोड, उत्तर में – प्लॉट नं. 16, दक्षिण में – प्लॉट नं. 17 प्लॉट नं. 17 की चौहद्दी: पूरब में – रेलवे लाईन, पश्चिम में – 30 फीट चौडी रोड, उत्तर में – प्लॉट नं. 16–ए, दक्षिण में 7 प्लॉट नं. 18 (रचनात्मक कब्जा)	रु. 4.50 लाख रु. 0.45 लाख रु. 0.10 लाख रु. 15.49 लाख रु. 1.55 लाख रु. 0.20 लाख	₹ 18,43,962.00 और दिनांक 01.05.2017 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	31-01-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
3	वसुंधरा, गाजियाबाद श्रीमती नीरजा दीक्षित पत्नी श्री अशवनी दीक्षित (कर्जदार)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. जी–08–डी मूसल, टॉवर नं. 8 मैपल वूड गुलमोहर ग्रीन्स मोहन नगर, गाजियाबाद, यू.पी.–201005 में स्थित, सुपर निर्मित क्षेत्रफल 1510 वर्ग फीट (140.28 वर्ग मी.) और कवर्ड क्षेत्रफल 108.10 वर्ग मी. सब रजिस्ट्रार ।।। गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, यू.पी. में पंजीकृत, यह सम्पत्ति श्रीमती नीरजा दीक्षित पत्नी अशवनी दीक्षित के नाम पर पंजीकृत चौहद्दी : पूरब में – खुला एरिया, पश्चिम में – रास्ता और सीढ़ियां, उत्तर में – फ्लैट नं. जी–09–ए, दक्षिण में – फ्लैट नं. जी–08–ए (रचनात्मक कब्जा)	रु. 58.00 लाख रु. 5.80 लाख रु. 0.50 लाख	₹ 47,66,659.88 और दिनांक 01.10.2019 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	31-01-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
4	सरना, गाजियाबाद मैसर्स ए.के. टेक्सटाइल (प्रोप. श्री साबिर अली) (कर्जदार)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 123 और 124, खसरा नं. 744, जोकि वार्ड नं. 14, आर्या नगर, सारना मुरादनगर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 171.70 वर्ग मी., सब रजिस्ट्रार – मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, यू.पी. में पंजीकृत, यह सम्पत्ति मो. साबिर अली के नाम पर है। चौहद्दी :पूरब में – प्लॉट नं. 117 और 118, पश्चिम में – 20फीट चौडा रास्ता, उत्तर में – प्लॉट नं. 122, दक्षिण में – प्लॉट नं. 125 (रचनात्मक कब्जा) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 126 खसरा नं. 744, जोकि वार्ड नं. 14, आर्या नगर, सारना मुरादनगर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 85.85 वर्ग मी., सब रजिस्ट्रार – मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, यू.पी. में पंजीकृत, यह सम्पत्ति मो. साबिर अली के नाम पर है। चौहद्दी :पूरब में – प्लॉट नं. 115, पश्चिम में – 20फीट चौडा रास्ता, उत्तर में – प्लॉट नं. 125, दक्षिण में – प्लॉट नं. 127 (रचनात्मक कब्जा)	रु. 31.51 लाख रु. 3.16 लाख रु. 0.50 लाख रु. 16.20 लाख रु. 1.62 लाख रु. 0.20 लाख	₹ 45,49,043.80 और दिनांक 01.03.2019 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	31-01-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)

नियम एवं शर्तें
1. ई–नीलामी "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" आधार पर" आयोजित की जा रही है।
2. धरोहर राशि और दस्तावेजों को https://ibapi.in पर जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 30.01.2020 को सांय 4.00 बजे तक है।
3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नही है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे/अधिकार/बकाए के संबंध में बिड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण–भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी/जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
4. इच्छित बोलीदाता को भागीदारी और पूर्व बोली औपचारिकताओं के लिए और संपत्ति से संबंधित जानकारी हेतु https://ibapi.in पर पंजीकरण करना होगा और सम्पत्ति का निरीक्षण हेतु मुख्य प्रबंधक, RR&L क्लस्टर गाजियाबाद, ई–मेल: rrl_7624@obc.co.in, फोन: 0120-4155167, 0120-4155567, 8650507886 से कार्यादिवस में सम्पर्क कर सकते है।

(विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाईट : www.obcindia.co.in/content/auctions और www.eprocure.gov.in/epublish, https://ibapi.in देखें)

दिनांक 01-01-2020, स्थान : गाजियाबाद — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 45, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड